दिनांक 11-03-2013 विधानसभा
को प्रस्तुत
Presented to Legislature
on 11-03-2013

भारत के
नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राज्य के वित्त

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2012 – 13 का प्रतिवेदन संख्या 1

www.cag.gov.in

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
प्रस्तावना		(vii)
कार्यकारी सार		(ix)
अध्याय – 1		
राज्य सरकार के वित्त		
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	3
राजस्व प्राप्तियां	1.3	5
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.4	9
व्यय की गुणवत्ता	1.5	17
राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.6	21
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.7	26
ऋण पोषण	1.8	28
राजकोषीय असंतुलन	1.9	29
निष्कर्ष	1.10	33
अनुशंसाएं	1.11	34
अध्याय – 2		
वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	37
विनियोजन लेखाओं का संक्षेप	2.2	38
वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	2.3	38

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
बजटीय धारणाओं के विश्लेषण के परिणाम	2.4	44
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.5	46
नए उप विस्तृत एवं विषय शीर्ष खोलना	2.6	48
निष्कर्ष	2.7	49
अनुशंसाएं	2.8	49
अध्याय – 3		
वित्तीय प्रतिवेदन करना		
उपयोग प्रमाण-पत्र प्रेषित करने में विलम्ब	3.1	51
लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.2	51
प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.3	52
विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	3.4	53
दुर्विनियोजन, हानियां, गबन, इत्यादि	3.5	54
लेखाओं का गलत वर्गीकरण	3.6	55
व्यक्तिगत जमा खाता में निधियों का हस्तांतरण	3.7	56
निष्कर्ष	3.8	56
अनुशंसाएं	3.9	56

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरणी	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य पार्श्वक	1.1, 1.3.1, 1.4.1 एवं 1.4.2	59
1.2	भाग -क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं प्रारूप भाग-ख: वित्त लेखाओं का प्रदर्शन	1.1 1.1	60 61
1.3	भाग -क: वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005	1.1 1.1	63 64
1.4	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े	1.3	69
1.5	भाग क: वर्ष 2011-12 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग ख: 31 मार्च 2012 को हरियाणा सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1.1 एवं 1.7.1	71 73
1.6	वर्ष 2011-12 के लिए 13वें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी	1.1.1	75
1.7	मुख्य घटकों के संबंध में कर राजस्व के संग्रहण तथा उनके संग्रहण पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा	1.3.1	76
1.8	अंतिम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2012 को)	1.6.3	77
1.9	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी	1.6.4	78
1.10	सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी मूलभूत संरचना के अन्तर्गत पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा	1.7.4	79
1.11	सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के अन्तर्गत मूलभूत संरचना कार्यान्वयन का ब्यौरा	1.7.4	80
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, की विवरणी	2.3.1	81
2.2	2011-12 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा	2.3.3	82

परिशिष्ट	विवरणी	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.3	बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण दर्शाने वाले ब्यौरे	2.3.4	84
2.4	प्रकरणों के ब्यौरे जहां पूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.7	85
2.5	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां पूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए, की विवरणी	2.3.7	86
2.6	अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुनर्विनियोजन का ब्यौरा	2.3.8	87
2.7	वास्तविक बचतों (₹ 50 लाख अथवा अधिक) के आधिक्य में अभ्यर्पित निधियों को दर्शाने वाले ब्यौरे	2.3.9	97
2.8	अनभ्यर्पित ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचतों का ब्यौरा	2.3.10	98
2.9	मार्च 2012 के अंत में ₹ 10 करोड़ के आधिक्य में निधियों के अभ्यर्पण का ब्यौरा	2.3.10	99
2.10	वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता दर्शाने वाले ब्यौरे	2.3.11	100
2.11	2011-12 के दौरान अनुमानित प्राप्तियां और व्यय तथा उनके विरूद्ध वास्तविकता दर्शाने वाले ब्यौरे	2.4	101
2.12	स्कीमें, जिनके लिए परिव्यय ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में अनुमोदित किए गए थे किन्तु मार्च 2012 तक कोई बजट प्रदान नहीं किया गया था, के ब्यौरे	2.4.2	102
2.13	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में अनुमोदित बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं (ई.ए.पी.), किन्तु कोई बजट परिव्यय प्रदान नहीं किये गये थे, के ब्यौरे	2.4.2	105
2.14	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित किन्तु छोड़ी गई स्कीमों/परियोजनाओं के ब्यौरे	2.4.2	106
2.15	अनुमोदित योजना 2011-12 में शामिल स्कीमों के ब्यौरे, किन्तु संशोधित अनुमानों के दौरान वापस ले ली गई और कोई व्यय नहीं किया गया था	2.4.2	112
2.16	उन स्कीमों के ब्यौरे जहां संशोधित अनुमानों में प्रावधान घटाया गया था किंतु कोई व्यय नहीं किया गया था	2.4.2	114
2.17	उन स्कीमों के ब्यौरे जहां संशोधित अनुमानों में प्रावधान बढ़ाया गया था किंतु कोई व्यय नहीं किया गया था		
2.18	उन स्कीमों के ब्यौरे जहां अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया किंतु कोई व्यय नहीं किया गया था	2.4.2	116

परिशिष्ट	विवरणी	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.19	उन स्कीमों के ब्यौरे जहां बजट अनुमान बढ़ाये गये थे किंतु व्यय मूल प्रावधानों से कम था	2.4.2	119
2.20	संशोधित अनुमानों में शामिल स्कीमों के ब्यौरे	2.4.2	121
2.21	स्कीम, जिसके लिए ए.पी. के साथ-साथ आर.ई. में कोई प्रावधान नहीं किया गया था किन्तु व्यय किया गया था, की सूची	2.4.2	123
2.22	उन स्कीमों के ब्यौरे जिनमें कोई व्यय नहीं किया गया था (अनुदान संख्या 13)	2.5.1	124
2.23	वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय के वेग वाली स्कीमों के ब्यौरे (अनुदान संख्या 13)	2.5.1	125
2.24	उन स्कीमों के ब्यौरे जिनमें कोई व्यय नहीं किया गया था (अनुदान संख्या 36)	2.5.2	126
2.25	वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के वेग वाली स्कीमों का ब्यौरा (अनुदान संख्या 36)	2.5.2	127
2.26	वर्ष 2011-12 हेतु वित्त विभाग को बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्बों को दर्शाने वाले ब्यौरे	2.5.3	129
2.27	वे मामले, जहां मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नए उप/विस्तृत तथा विषय शीर्ष प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की सहमति के बिना खोले गए थे, के ब्यौरे	2.6	130
3.1	31 मार्च 2012 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे	3.1	131
3.2	निकाय एवं प्राधिकरण, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए, के नाम दर्शानेवाली विवरणी	3.2	132
3.3	स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण तथा सी.ए.जी. को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.3	142
3.4	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.4	144
3.5	दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2012 को लम्बित थी, के प्रकरणों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन	3.5	145
3.6	चोरी, दुर्विनियोजन/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हानियों के प्रकरणों के संबंध में विभाग/श्रेणीवार विवरण	3.5	146
	शब्दावली	147-150	

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखाओं के परीक्षण से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 में अंतर्विष्ट हैं।

3. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के विनियोजन लेखाओं के परीक्षण से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में अंतर्विष्ट हैं।

4. ''वित्तीय प्रतिवेदन करने'' पर अध्याय 3 चालू वर्ष के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजस्व तथा सामान्य सैक्टरों से संबंधित विभागों में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के साथ राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति दर्शाता है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

जुलाई 2005 में, हरियाणा सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम अधिनियमित किया। इसने अपनी अर्थनीति में स्थिरता के साथ वृद्धि प्राप्त करने के दीर्घावधि उद्देश्य से मध्यावधि में राजकोषीय सुधार मार्ग के माध्यम से एक सुधार कार्यसूची निर्धारित की। सरकार की इन सुधारों को बढ़ावा देने की वचनबद्धता बाद के बजटों में उद्घोषित नीति उपक्रमणों से झलकती है। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की विधि के लाभ कुछ सीमा तक राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम करके तथा देयताओं को न्यूनतम करके प्राप्त किए गए हैं। तथापि, संस्थागत एवं क्षेत्रीय सुधारकों द्वारा लोक-व्यय की गुणवत्ता सुधारने और राजकोषीय स्थिरता बढ़ाने हेतु अत्यंत आवश्यक 'राजकोषीय स्थान' तैयार करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। सरकार ने राजकोषीय पारदर्शिता और उत्तरदायिता के लिए सही संस्थागत यंत्रावली बनाई है।

प्रतिवेदन

हरियाणा सरकार के मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा करता है। इस प्रतिवेदन के तीन अध्याय हैं।

अध्याय 1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और राज्य सरकार की 31 मार्च 2012 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह किए गए खर्च और उधार लेने की पद्धति पर पूर्ण जानकारी के अतिरिक्त राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को बजट रूट से अलग माध्यम से सीधे हस्तांतरित केन्द्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी प्रदान करता है।

अध्याय 2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह अनुदानवार विनियोजन और पद्धति, जिससे आबंटित संसाधनों का प्रबन्ध सेवा वितरक विभागों द्वारा किया गया था, का विवरण देता है।

अध्याय 3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न प्रतिवेदक अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से सम्बन्धित सूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से प्राप्त आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं अनुशंसाएं

अध्याय 1

वित्तीय सुधारः राजकोषीय मानकों अर्थात् राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा/आधिक्य के संबंध में राजकोषीय स्थिति, जिसने 2008-09 से बढ़ती प्रवृत्तियां इंगित की, ने 2011-12 के दौरान कुछ सुधार दर्शाए। लेकिन, ये अभी तक घाटे में थी। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राजस्व घाटा 2011-12 तक शून्य तक लाया जाना है। राज्य अभी भी एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है यदि बेहतर कर अनुपालन, कर एकत्रीकरण की कीमत में कमी के माध्यम से और अनुत्पादक खर्च को कम करके सामूहिक प्रयास किए जाएं।

ब्याज भुगतानः ब्याज भुगतान (₹ 4,001 करोड़), जो 2010-11 पर वर्ष के दौरान 21 प्रतिशत तक बढ़ गये, राजकोषीय सुधार पथ (₹ 4,125 करोड़) तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 4,345 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (₹ 4,007 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों के भीतर थे।

योजनेत्तर व्ययः राजस्व व्यय (₹32,015 करोड़) कुल व्यय (₹38,014 करोड़) का 84 प्रतिशत था जिसमें 64 प्रतिशत योजनेत्तर घटक (₹ 24,223 करोड़) था। योजनेत्तर राजस्व व्यय तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारण (₹ 20,360 करोड़) तथा राजकोषीय सुधार पथ के प्रक्षेपण (₹ 23,490 करोड़) से उच्चतर था किन्तु मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 24,681 करोड़) के भीतर था।

अपूर्ण परियोजनाएंः अप्रैल 2007 और सितम्बर 2011 के बीच पूर्ण होने वाली आठ मूलभूत संरचना परियोजनाएं अब तक अपूर्ण थी। इन अपूर्ण परियोजनाओं का समय एवं लागत व्यय कम किया जाना चाहिए ताकि हरियाणा के लोगों के लिए धन का मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

सरकारी निवेशों की समीक्षाः सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत आवर्त्त पिछले पांच सालों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि इस पर औसत निर्गमन की रेंज 7.43 से 9.73 प्रतिशत थी। यह एक असह्य आनुपातिकता है। इसलिए राज्य सरकार को, बेहतर मूल्य प्राप्ति निवेशों की ओर जाना चाहिए अन्यथा परियोजनाओं के लिए उच्च मूल्य के ऋणों की निधियां कम आर्थिक लाभों से अर्थव्यवस्था पर भार डालना जारी रखेंगी। वे परियोजनाएं जो कम खर्च परन्तु ज्यादा सामाजिक-आर्थिक प्राप्तियों के लिए उचित हैं, चिह्नित की जाएं तथा उच्च लागत ऋणों हेतु पूर्ण औचित्य के साथ प्राथमिकता दी जाए। समय आ गया है कि राज्य अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिनमें बड़े नुकसान हो रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा की जाए और एक पुनर्जीवन योजना परिकलित की जाए (उनके लिए जो अनुकूल प्रकृति की हैं और पुनर्जीवित की जा सकती हैं) या अपनी साम्या का अपनिवेश कर बीमार यूनिटों को बंद कर दिया जाए।

कर्ज निर्वहन योग्यताः एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के अनुसार, आकस्मिक देयताओं सहित कुल कर्ज उस वर्ष के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 22.6 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 2011-12 के दौरान गारंटियों तथा सांत्वना-पत्र सहित राज्य की कुल देयताएं ₹ 60,840 करोड़ थी जो जी.एस.डी.पी. का 19.67 प्रतिशत थी जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 की सीमाओं में थी। राजस्व घाटा सूचित करता है कि उच्च दर ऋणों का कुछ भाग सरकार द्वारा अपना वर्तमान खर्च पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ऋणित निधियां यथासंभव केवल पूंजीगत व्यय के निधिकरण हेतु प्रयुक्त की जानी चाहिए जबकि राजस्व खर्च पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों में से पूरा किया जाना चाहिए। प्राथमिक सरप्लस और शून्य राजस्व घाटे की स्थिति में वापस पहुंचने के प्रयास यथाशीघ्र किए जाने चाहिएं। ऋणों का एक कलैण्डर, ताकि वित्त वर्ष के अन्त में इनका एकत्रीकरण न हो, बनाने और कर्ज देयताओं की परिपक्वता सूची बनाए जाने से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सम्भव होगा।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से सीधे हस्तान्तरित निधियों की अवहेलनाः जी.ओ.आई. ने वर्ष के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 2,009.71 करोड़ प्रत्यक्षतः हस्तांतरित किए जो पिछले वर्ष पर ₹ 700.87 करोड़ (54 प्रतिशत) की वृद्धि थी। चूंकि निधियां सरकारी खातों के माध्यम से नहीं दी गई थी, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को जी.ओ.आई. से निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग तथा लेखाओं के अनुरक्षण की चूक के जोखिम को बढ़ाता है। इन अभिकरणों द्वारा अनुसरित एकसमान लेखांकन प्रचलनों के अभाव में समुचित प्रलेखन मौजूद नहीं था तथा इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समयबद्ध रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रणः

₹ 263.45 करोड़ के आधिक्य के प्रति संतुलन के बावजूद भी राज्य में विभिन्न सामाजिक एवं विकासशील कार्यक्रमों के कार्यान्वन में धीमी प्रगति से ₹ 9,450.85 करोड़ की समग्र बचत रही। अतिरिक्त व्यय को भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक अथवा ज्यादा पुनर्विनियोजन के उदाहरण भी थे। राज्य में अवलोकित वर्ष के अन्त में अधिक खर्च भी अन्य चिरकालिक लक्षण था। बहुत से केसों में, पूर्वज्ञात बचतें या तो समर्पित नहीं की गई या वर्ष के आखिरी दो दिनों में की गई जिससे इन निधियों को अन्य विकास कार्यों पर खर्च किए जाने की गुंजाइश नहीं थी। बजट नियंत्रण का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि बजट प्रबंधन में ऐसी कमियां न रहें। अन्तिम समय निधि का निर्गम और पुनर्विनियोजन/समर्पण आदेश जारी करने से बचना चाहिए।

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन करनाः

सरकार के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की विभिन्न विभागों में अनुपालना नहीं की जा रही थी जैसाकि विभिन्न ग्रांटी संस्थाओं से ऋणों एवं अनुदानों के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब से स्पष्ट था। स्वायत्त निकायों और विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा भी वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब थे। हानियों और दुरूपयोगों के दृष्टांतों की जांच लम्बी अवधि से जारी है। ऐसे मामलों में चूककर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगने हेतु विभागीय जांच-पड़ताल शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए। भविष्य में ऐसे केसों से बचने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रण को सशक्त किया जाना चाहिए। 2011-12 के दौरान प्राप्तियों तथा व्यय की महत्वपूर्ण राशियां बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी, वित्तीय रिपोर्टिंग में उच्चतर पारदर्शिता के लिए इससे बचा जाना चाहिए।

अध्याय – 1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय

1

राज्य सरकार के वित्त

हरियाणा का प्रोफाइल

हरियाणा 21 जिलों वाला राज्य है जिसमें से आठ जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। ***परिशिष्ट 1.1*** में इंगित किए गए अनुसार अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में हरियाणा में गरीबी स्तर कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर 573 व्यक्ति) अखिल भारतीय औसत (प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति) से उच्चतर था। राज्य ने पिछले दशक में महत्त्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि दर्ज की तथा 2002-03 से 2011-12 तक की अवधि हेतु इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की कम्पाउंड वृद्धि दर अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में 14.46 प्रतिशत की तुलना में 17.47 प्रतिशत है। इसकी जनसंख्या 2001 में 2.11 करोड़ से 2011 में 2.54 तक इसी अवधि के दौरान अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में 13.90 प्रतिशत के विरूद्ध 19.90 प्रतिशत तक बढ़ी है।

जनसंख्या की कम वृद्धि दर के साथ जी.एस.डी.पी. की उच्चतर वृद्धि दर के परिणामस्वरूप हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर उच्चतर हुई है। चालू दशक में अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से यह बेहतर रही है।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय 2011-12 के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित बदलावों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की ***परिशिष्ट 1.2 भाग क*** में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का ले-आऊट ***परिशिष्ट 1.2 भाग ख*** में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के आकलन के लिये अपनाई गई पद्धति तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंध (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित मानक/सीलिंग्स ***परिशिष्ट 1.3 भाग क तथा ख*** में दिए गए हैं।

1.1.1 चालू वर्ष के वित्तीय सम्पादनों का सार

वर्ष 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय सम्पादनों का सार **तालिका 1.1** में प्रस्तुत किया गया है। ***परिशिष्ट 1.5 भाग क तथा ख*** 2011-12 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के अतिरिक्त प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है। वर्ष 2011-12 के लिए तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.), राजकोषीय सुधार पथ (एफ.सी.पी.) तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (एम.टी.एफ.सी.एस.) के प्रक्षेपण ***परिशिष्ट 1.6*** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार (₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण			
	2010-11	2011-12		2010-11	2011-12		
					योजनेतर	योजनागत	कुल
भाग – क : राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	25,563.67	30,557.59	राजस्व व्यय	28,310.19	24,222.90	7,791.99	32,014.89
कर राजस्व	16,790.37	20,399.46	सामान्य सेवायें	9,328.14	10,155.47	64.36	10,219.83
कर-भिन्न राजस्व	3,420.93	4,721.65	सामाजिक सेवाएं	10,904.08	7,092.54	5,549.13	12,641.67
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	2,301.75	2,681.55	आर्थिक सेवाएं	7,996.73	6,875.47	2,178.50	9,053.97
भारत सरकार से अनुदान	3,050.62	2,754.93	सहायता अनुदान एवं अंशदान*	81.24	99.42	-	99.42
भाग – ख : पूंजी							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8.00	9.24	पूंजीगत परिव्यय	4,031.10	1,018.17	4,354.16	5,372.34
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	233.05	294.12	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	721.87	262.86	364.21	627.07
लोक ऋण प्राप्तियां**	9,842.73	10,766.83	लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	3,971.08	-	-	4,037.14
आकस्मिक निधि	192.83	167.52	आकस्मिक निधि	192.83	-	-	167.52
लोक लेखा प्राप्तियां	16,594.62	19,259.75	लोक लेखा संवितरण	15,324.41	-	-	17,051.18
आरम्भिक नकद शेष	493.42	376.84	अंतिम नगद शेष	376.84	-	-	2,161.75
कुल	53,928.32	61,431.89	कुल	53,928.32			61,431.89

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

* स्थानीय निकायों तथा *पंचायती राज* संस्थाओं को मुआवजा तथा अभ्यर्पण।

** अर्थोपाय अग्रिमों के परिचालनों अर्थात ₹ 974.27 करोड़ प्राप्तियां और ₹ 974.27 करोड़ भुगतान के बिना।

गत वर्ष से 2011-12 के दौरान वित्तीय सम्पादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में ₹ 3,609 करोड़ (22 प्रतिशत) तथा कर-भिन्न राजस्व में ₹ 1,301 करोड़ (38 प्रतिशत) तक वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां में ₹ 4,994 करोड़ (20 प्रतिशत) तक वृद्धि थी। भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से संघीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा ₹ 380 करोड़ (17 प्रतिशत) तक बढ़ गया। जी.ओ.आई. से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 296 करोड़ (10 प्रतिशत) तक घट गए। राज्य का स्वयं का कर राजस्व एफ.सी.पी. (₹ 20,752 करोड़) से 1.70 प्रतिशत कम था लेकिन 13वें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) के द्वारा निश्चित लक्ष्य से 1.13 प्रतिशत (₹ 20,171 करोड़) अधिक तथा मध्यम अवधि वित्तीय नीति विवरणी (एम.टी.एफ.पी.एस.) के प्रक्षेपण से 1.96 प्रतिशत (₹ 20,007 करोड़) अधिक था। राज्य का स्वयं का कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,722 करोड़), ते.वि.आ. (₹ 13,397 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य से 65 प्रतिशत तक कम था किंतु वर्ष 2011-12 हेतु वित्तीय सुधार पथ (एफ.सी.पी.) (₹ 4,577 करोड़) और एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 4,287 करोड़) में बनाये गये प्रक्षेपण से क्रमश: तीन प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक अधिक था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

- सामाजिक सेवाओं (₹ 1,738 करोड़), आर्थिक सेवाओं (₹ 1,057 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (₹ 892 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय ₹ 3,705 करोड़ (13 प्रतिशत) तक बढ़ गया। गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.) (₹ 24,223 करोड), एम.टी.एफ.पी.एस. में सरकार द्वारा किए गए प्रक्षेपणों (₹ 24,861 करोड़) से ₹ 638 करोड़ (तीन प्रतिशत) कम था परन्तु एफ.सी.पी. में किए गए

प्रक्षेपणों (₹ 23,490 करोड़) तथा ते.वि.आ. में मानकीय आंकलन (₹ 17,174 करोड़) से क्रमशः ₹ 733 करोड़ (तीन प्रतिशत) और ₹ 7,049 करोड़ (41 प्रतिशत) अधिक था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

- मुख्यतः आर्थिक सेवाओं (₹ 1,168 करोड़) तथा सामाजिक सेवाओं (₹ 137 करोड़) में वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 1,341 करोड़ (33 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली 2011-12 के दौरान ₹ 61 करोड़ (26 प्रतिशत) तक बढ़ गई।

- लोक ऋण प्राप्तियां तथा लोक ऋण के पुनर्भुगतान में भी क्रमशः ₹ 924 करोड़ (नौ प्रतिशत) और ₹ 66 करोड़ (दो प्रतिशत) तक वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप, लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 858 करोड़ की मूल वृद्धि हुई।

- लोक लेखा प्राप्तियां 2010-11 में ₹ 16,595 करोड़ से 2011-12 में ₹ 19,260 करोड़ तक बढ़ गई तथा इसके संवितरण 2010-11 में ₹ 15,324 करोड़ से 2011-12 में ₹ 17,051 करोड़ तक बढ़ गए।

- 2011-12 की समाप्ति पर सरकार का नकद शेष गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,785 करोड़ तक बढ़ गया और ₹ 2,162 करोड़ हो गया।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 2011-12 के वित्त लेखाओं के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियां सरकार के संसाधन हैं। **तालिका** 1.1, 2011-12 के वित्त लेखाओं के अनुसार 2011-12 के दौरान सरकार की प्राप्तियों और वितरणों को प्रस्तुत करती हैं, जबकि **चार्ट** 1.1, 2007-12 के दौरान सरकार की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। **चार्ट** 1.2, 2011-12 के दौरान सरकार के संसाधनों के संघटन को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.1: कुल प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

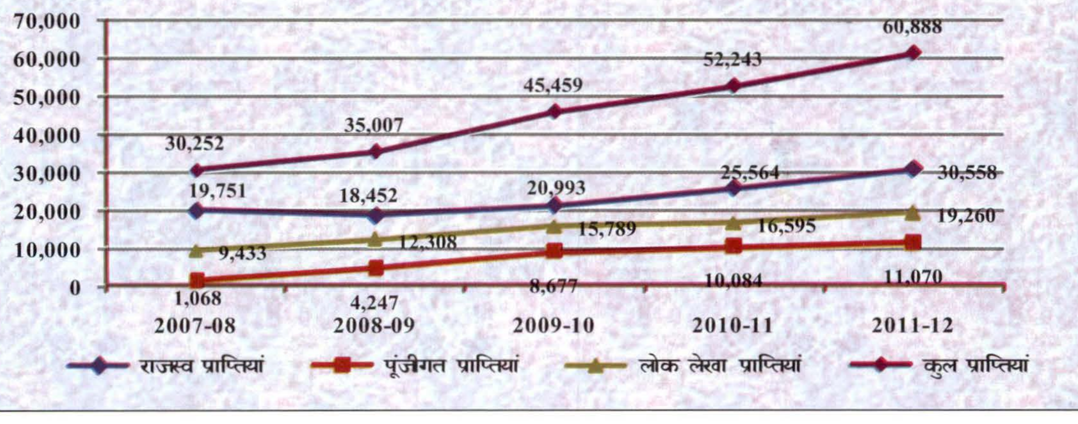

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

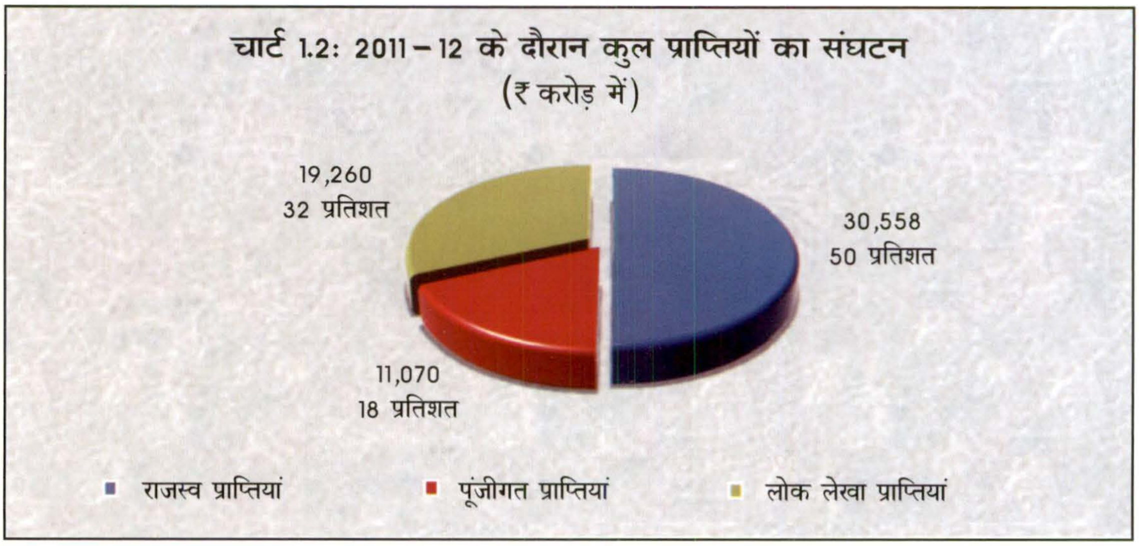

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

सरकार की कुल प्राप्तियां 2007-08 में ₹ 30,252 करोड़ से ₹ 30,636 करोड़ (101 प्रतिशत) तक बढ़कर 2011-12 में ₹ 60,888 करोड़ हो गई। जबकि उसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 10,807 करोड़ (55 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 10,002 करोड़ (937 प्रतिशत) बढ़ गई और लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 9,827 करोड़ (104 प्रतिशत) तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2007-08 में 65 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 50 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान कुल प्राप्तियों में लोक लेखा के हिस्से में 31 से 32 प्रतिशत तक थोड़ी सी वृद्धि हुई जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 4 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया।

1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर हस्तांतरित निधियां

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न फ्लैगशिप स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्य के अभिकरणों को भा.स. सीधे ही बड़ी मात्रा में निधियों का हस्तांतरण करती आ रही है। चूंकि ये निधियां राज्य बजट/राज्य ट्रेजरी तंत्र से नहीं दी जातीं, वार्षिक लेखाओं में इन निधियों का प्रवाह शामिल नहीं हो पाता तथा उस सीमा तक राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय साथ ही साथ उनसे लिये गये अन्य वित्तीय परिवर्ती/पैरामीटर कम अनुमानित ही रह जाते हैं। कुल संसाधनों की उपलब्धता की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को 2010-11 और 2011-12 में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांरित की गई निधियों का विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीम	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरण	केन्द्र का हिस्सा	
			2010-11	2011-12
1.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.)	23.09	35.86
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	डी.आर.डी.ए.	141.12	316.74
3.	इंदिरा आवास योजना	डी.आर.डी.ए.	59.75	80.61
4.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	डी.आर.डी.ए.	28.04	34.94
5.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	22.51	33.26
6.	एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	3.06	5.87
7.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)	डी.आर.डी.ए.	18.31	23.08
8.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	डी.आर.डी.ए.	26.75	26.60
9.	सर्व शिक्षा अभियान	*शिक्षा सदन सोसाइटी*	419.52	767.96
10.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	*शिक्षा सदन सोसाइटी*	1.72	1.72
11.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय	के.जी.बी.वी.	0.85	2.26
12.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	हरियाणा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	250.91	276.10
13.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन	लागू नहीं	51.50	76.39
14.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	लागू नहीं	157.75	61.00
15	दोपहर का भोजन		103.96	267.32
	कुल		1,308.84	2,009.71

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा आपूरित सूचना।)

तालिका 1.2 दर्शाती है कि राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों (केन्द्रीय अंश) को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियों में 2011-12 के दौरान 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यत: सर्व शिक्षा अभियान: ₹ 348.44 करोड़ (83 प्रतिशत), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम: ₹ 175.62 करोड़ (124 प्रतिशत) और दोपहर का भोजन: ₹ 163.36 करोड़ (157 प्रतिशत) में अवलोकित की गई। तथापि, निधियों के हस्तांतरण में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन ₹ 96.75 करोड़ (61 प्रतिशत) की कमी आई।

चूंकि ये निधियां सरकार के लेखाओं में नहीं आती, भा.स. से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां प्रत्यक्ष हस्तांतरण के कारण लेखाओं के रख-रखाव और इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग में चूक का खतरा बना रहता है। इन अभिकरणों द्वारा लेखांकन की समरूप प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है और उचित प्रलेखन भी नहीं था जिसके फलस्वरूप इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समय पर रिपोर्ट नहीं की जा रही थी। उस सीमा तक वित्त लेखाओं में व्यय कम बताए गए।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखाओं की **विवरणी** 11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2007-12 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमश: **चार्ट** 1.3 **एवं** 1.4 में भी दर्शाया गया है।

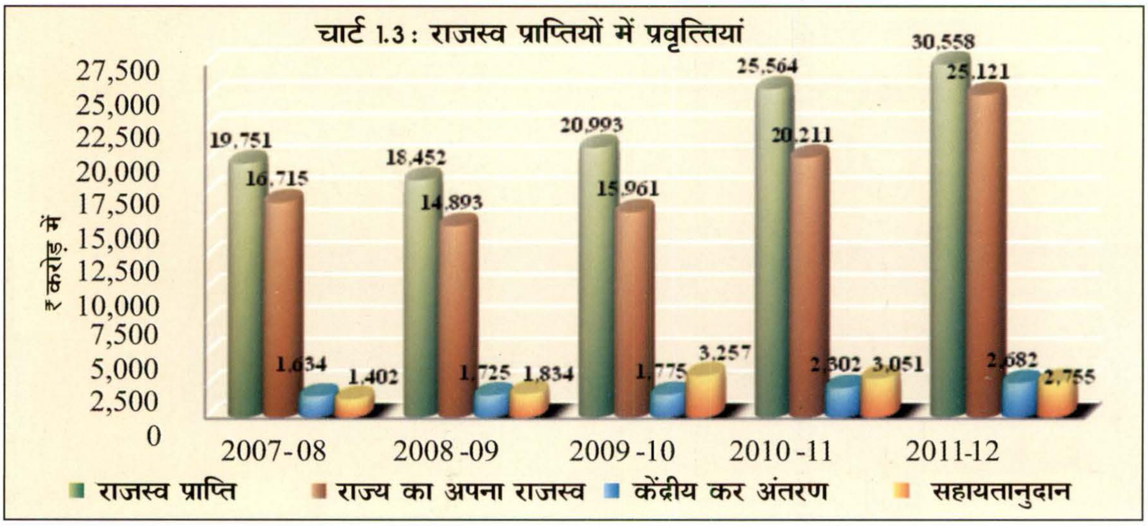

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2007 - 08 से 2011 - 12 तक की अवधि के दौरान 55 प्रतिशत तक बढ़ गई। राज्य का अपना कर राजस्व, जी.ओ.आई से सहायता अनुदान तथा केन्द्रीय कर अंतरण उसी अवधि के दौरान क्रमश: 50 प्रतिशत, 97 प्रतिशत तथा 64 प्रतिशत तक बढ़ गया। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर - भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2007 - 08 में 85 प्रतिशत से 2011 - 12 में 82 प्रतिशत तक कम हो गया, जो मुख्यत: कर - भिन्न राजस्व में 2007 - 08 में ₹ 5,097 करोड़ से 2011 - 12 में ₹ 4,722 करोड़ की कमी के कारण था। जी.ओ.आई. से सहायता अनुदान का हिस्सा तथा केन्द्रीय कर अंतरण 2007 - 08 में सात प्रतिशत और आठ प्रतिशत से 2011 - 12 में प्रत्येक में नौ प्रतिशत तक बढ़ गया।

2002 - 03 से 2010 - 11 के दौरान 14.49 प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियों की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (16.86 प्रतिशत) से कम थी। यह 2002 - 03 से 2011 - 12 के दौरान बढ़कर 15.03 प्रतिशत हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***।

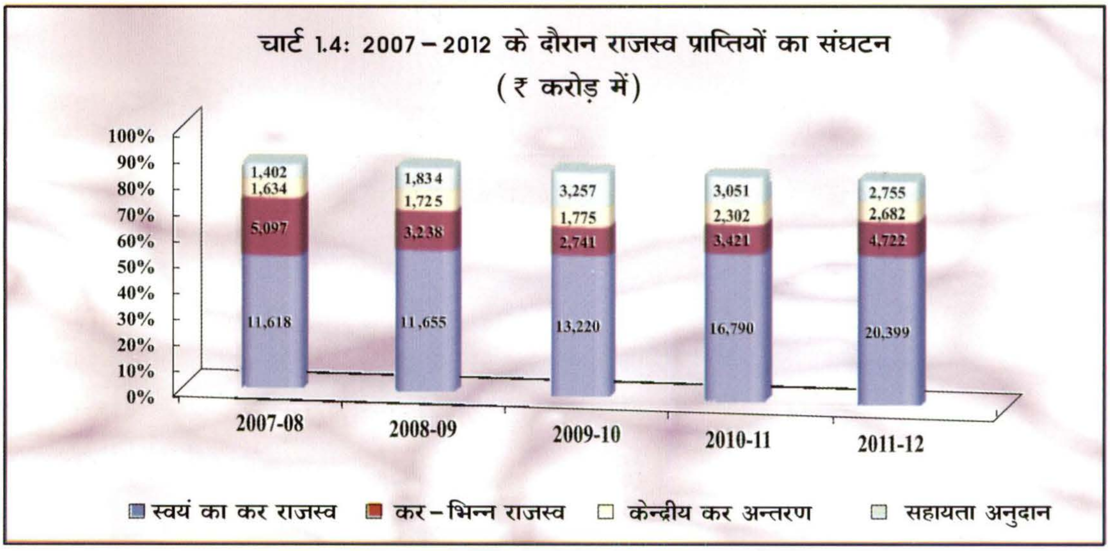

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

चालू मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां **तालिका 1.3** में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.3 : जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**19,751**	**18,452**	**20,993**	**25,564**	**30,558**
आर.आर. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	10.02	(-) 6.58	13.77	21.77	19.54
आर.आर./जी.एस.डी.पी. (*प्रतिशत*)	13.03	10.11	9.45	9.68	9.88
उत्पलावकता अनुपात					
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	0.564	(-) 0.323	0.636	1.148	1.142
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर उत्पलावकता	0.355	0.016	0.620	1.424	1.257
जी.एस.डी.पी. (₹ करोड़ में)	**1,51,607**	**1,82,502**	**2,22,031**	**2,64,149**	**3,09,326**
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	17.76	20.38	21.66	18.97	17.10

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जो 2007-08 में 10.02 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में (-)6.58 प्रतिशत हो गई, ने 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान 21.77 प्रतिशत तक बढ़कर कुछ सुधार दर्शाया परन्तु 2011-12 के दौरान यह फिर कम होकर 19.54 प्रतिशत हो गई। जी.एस.डी.पी. से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशतता अनुपात भी 2007-09 में 13.03 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 9.88 प्रतिशत रह गया। जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर उत्पलावकता जो 2007-08 में 0.355 से बढ़कर 2010-11 में 1.424 हो गई, 2011-12 में 1.257 तक कम हो गई तथा जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य उत्पलावकता, जो 2007-08 में 0.564 से बढ़कर 2010-11 में 1.148 हुई, 2011-12 में कम होकर 1.142 हो गई।

जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर में 2009-10 तक बढ़ने की प्रवृति रही परन्तु 2009-10 में 21.66 प्रतिशत से 2010-11 में 18.97 प्रतिशत तक कम हो गई और 2011-12 में और कम होकर 17.10 प्रतिशत हो गई। वृद्धि दर में कमी, माध्यमिक क्षेत्र की जी.एस.डी.पी. की घटती वृद्धि दर (2009-10 में 22.4 प्रतिशत से 2011-12 में 14.5 प्रतिशत) और तृतीय क्षेत्र जी.एस.डी.पी. (2009-10 में 26.5 प्रतिशत से 2011-12 में 19 प्रतिशत) को आरोपित की गई थी।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य के हिस्से वित्त आयोग की सिफारिशों, केंद्रीय कर प्राप्तियों, योजनागत स्कीमों इत्यादि के लिये केंद्रीय सहायता के संग्रहण के आधार पर तय होते हैं। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का निर्धारण इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न संसाधनों से राजस्व समाविष्ट करते हुए इसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिये। कर-भिन्न प्राप्तियों के घटकों के अतिरिक्त मुख्य करों तथा शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण की तुलना में उनके संग्रहण पर किये गये व्यय तथा 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान संगत अखिल भारतीय औसत सहित सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता ***परिशिष्ट 1.7*** में प्रस्तुत की गई है।

कर राजस्व

कर राजस्व पिछले वर्ष (₹ 16,790 करोड़) से 2011 - 12 के दौरान 22 प्रतिशत (₹ 20,399 करोड़) तक बढ़ गया। घटक - वार वृद्धि **चार्ट 1.5** में इंगित की गई है।

चार्ट 1.5: 2010 – 11 की तुलना में 2011 – 12 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि के प्रमुख घटक

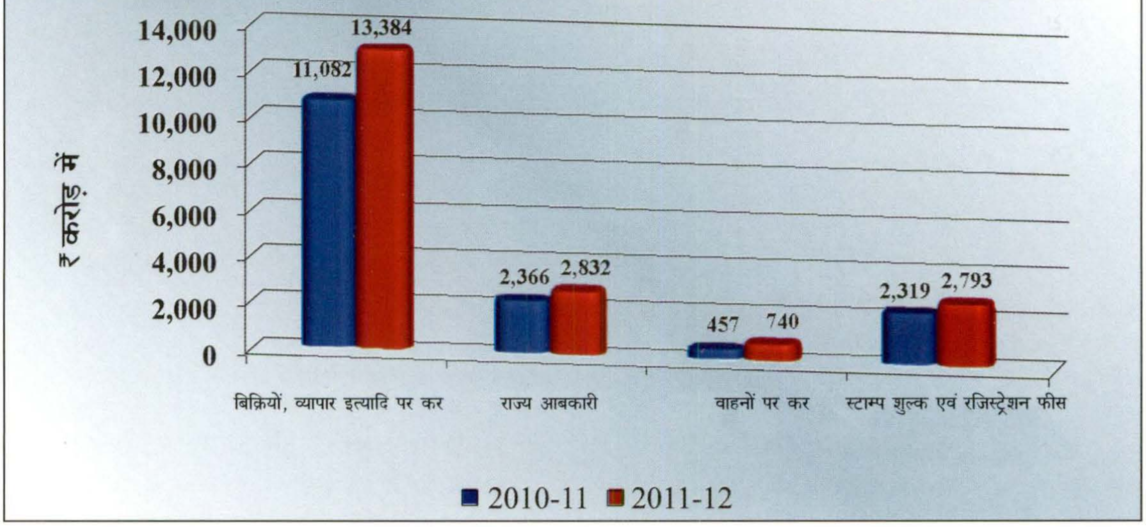

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों से राजस्व ने कर राजस्व का प्रमुख हिस्सा (66 प्रतिशत) समाविष्ट किया तथा यह गत वर्ष से 2011 - 12 में 21 प्रतिशत तक बढ़ गया। स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस तथा राज्य आबकारी के अंतर्गत प्रत्येक में प्राप्तियां 2011 - 02 में 20 प्रतिशत बढ़ गई जबकि वाहनों पर कर 2010 - 11 से 62 प्रतिशत बढ़ गए। 2002 - 03 से 2010 - 11 के दौरान कर राजस्व की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 16.43 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (16.74 प्रतिशत) से कम थी। 2002 - 03 से 2011 - 12 की अवधि के लिए यह वृद्धि दर 16.97 प्रतिशत तक बढ़ गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। राज्य का स्वयं का कर राजस्व एफ.सी.पी. (₹ 20,752 करोड़) के प्रक्षेपणों से कम था परन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण (₹ 20,007 करोड़), ते.वि.आ. (₹ 20,171 करोड़) के निर्धारण से अधिक था।

कर – भिन्न राजस्व

2011 - 12 के दौरान, गत वर्ष से ₹ 1,301 करोड़ (38 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए कर - भिन्न राजस्व (₹ 4,722 करोड़) में कुल राजस्व की प्राप्तियों का 15 प्रतिशत संघटित किया।

चार्ट 1.6: 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के मुख्य घटक

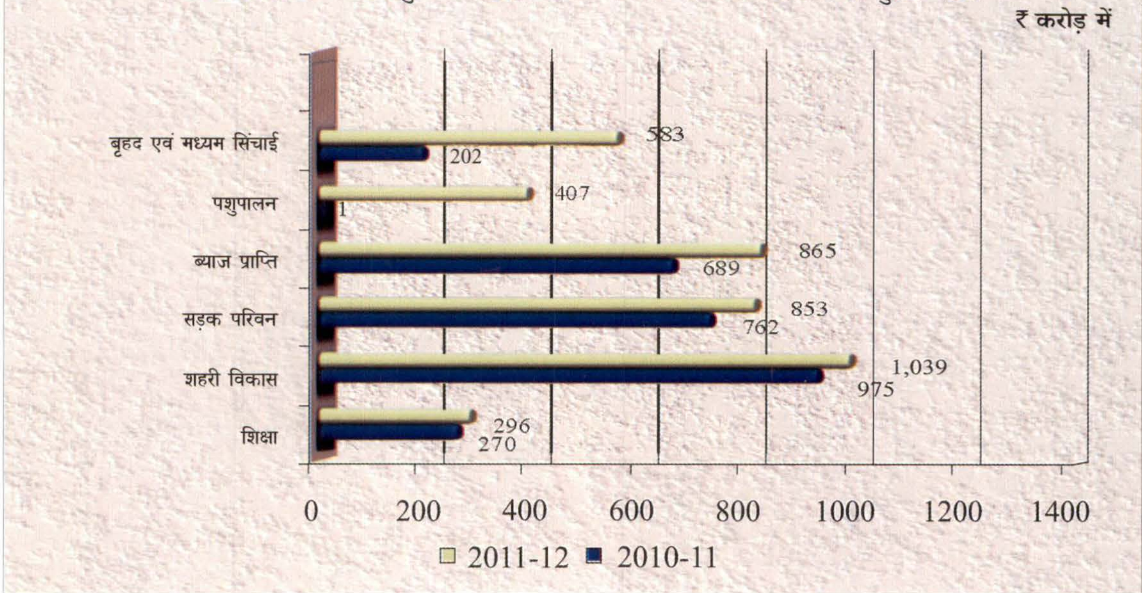

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

पशुधन से संबंधित कर-भिन्न राजस्व में ₹ 406 करोड़, बृहद तथा मध्यम सिंचाई में ₹ 381 करोड़ तथा ब्याज में ₹ 176 करोड़ की वृद्धि हुई। 2002-03 से 2010-11 में कर-भिन्न राजस्व की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 8.30 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (12.84 प्रतिशत) से कम थी। यह वृद्धि दर 2002-03 से 2011-12 में 11.24 प्रतिशत तक बढ़ गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। तथापि, ₹ 4,722 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व 2011-12 में ते.वि.आ. के प्रक्षेपण (₹ 13,397 करोड़) से कम था लेकिन एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण (₹ 4,577 करोड़) और एम.टी.एफ.पी.एस. (₹ 4,287 करोड़) से अधिक था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

कर संग्रहण पर व्यय

2007-12 के कर राजस्व संग्रहण पर व्यय विक्रयों, व्यापार इत्यादि पर करों के लिए 0.65 तथा 0.86 प्रतिशत, वाहनों पर कर के लिए 1.77 तथा 4.09 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क के लिए 0.79 तथा 1.30 प्रतिशत, स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 0.20 तथा 1.23 प्रतिशत और माल एवं यात्रियों पर करों के लिए 0.30 तथा 0.50 प्रतिशत के बीच रहा ***(परिशिष्ट 1.7)***। 2010-11 में संग्रहण प्रभारों पर व्यय की प्रतिशतता विक्रयों, व्यापार इत्यादि के मामले को छोड़कर अखिल भारतीय औसत से कम थी।

1.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आबंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें व्ययों को करने की जिम्मेवारी सौंपी गई होती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व की वैधानिकताओं की रूप रेखा में रहते हुये उधारों द्वारा दिये गए वित्त से सार्वजनिक व्यय में बढ़ौतरी के लिये बजटीय बाध्यताएं होती हैं। अत: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू वित्तीय सुधार एवं समेकन खासकर विकास व्यय अथवा सामाजिक क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले व्यय की कीमत पर नहीं है।

1.4.1 व्यय वर्धन एवं संघटन

पांच वर्षों (2007 - 12) की अवधि के कुल व्यय में अवलोकित प्रवृत्तियों को **चार्ट** 1.7 में दर्शाया गया है। 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों' दोनों के संदर्भ में व्यय का संघटन क्रमश: **चार्ट 1.8 एवं 1.9** में प्रदर्शित किया गया है।

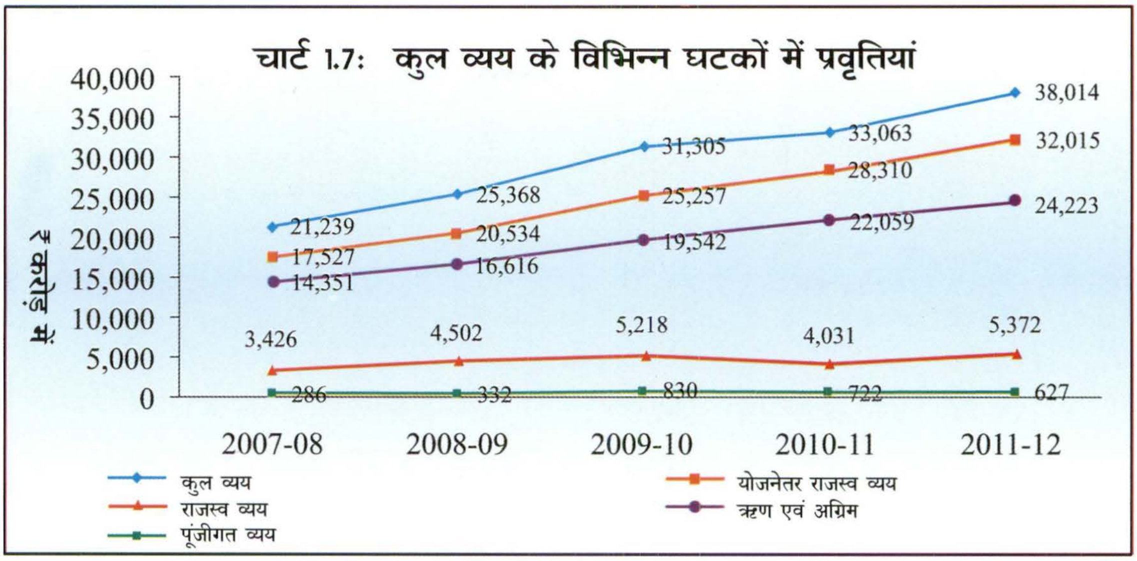

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

तालिका 1.4 में गत पांच वर्षों (2007 - 12) के पूंजीगत व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.4: पूंजीगत व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पूंजीगत व्यय	3,426	4,502	5,218	4,031	5,372
वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	41	31	16	(-) 23	33
कुल व्यय की प्रतिशतता	16.13	17.75	16.67	12.19	14.13

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

पांच वर्षों (2007 - 12) की अवधि में कुल व्यय 79 प्रतिशत बढ़ गया। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 83 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय 57 प्रतिशत बढ़ गया। पूंजीगत व्यय की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 2002 - 03 से 2010 - 11 में 32.05 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (21.25 प्रतिशत) से अधिक थी। 2002 - 03 से 2011 - 12 तक की अवधि हेतु यह वृद्धि दर बढ़कर 32.15 प्रतिशत हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***।

2007 - 08 से 2011 - 12 तक की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का संवितरण भी 119 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, कुल व्यय में एन.पी.आर.ई. का हिस्सा 2007 - 08 में 68 प्रतिशत से 2011 - 12 में 64 प्रतिशत तक घट गया।

2002 - 03 से 2010 - 11 में कुल व्यय की कंपाऊंड वार्षिक दर 15.79 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (14.58 प्रतिशत) से अधिक थी। 2002 - 03 से 2011 - 12 तक की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 15.68 प्रतिशत हो गई। 2011 - 12 के दौरान ₹ 38,014 करोड़ का कुल व्यय पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत बढ़ गया। कुल व्यय के योजना तथा गैर - योजना व्यय में विभाजन ने प्रकट किया कि योजना तथा गैर - योजना व्यय का हिस्सा 33 और 67 प्रतिशत के अनुपात में था।

चार्ट 1.8: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्तियां

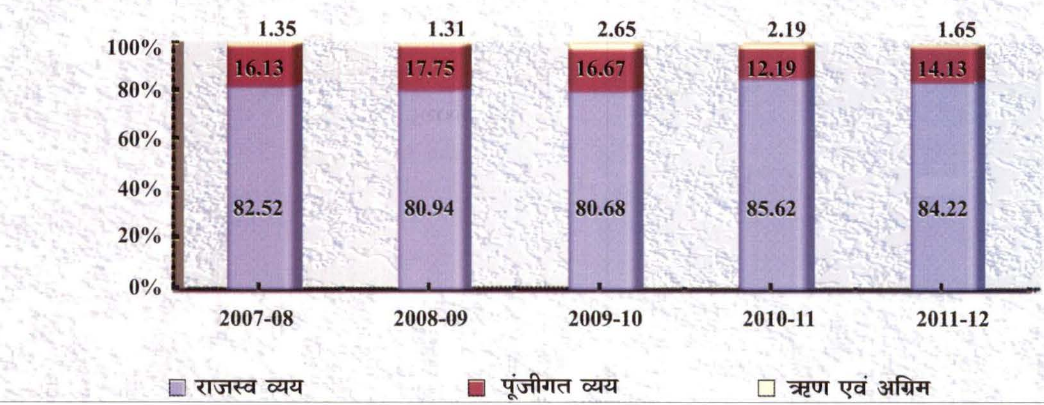

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2007-08 में 82.52 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 84.22 प्रतिशत हो गया जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2007-08 में 16.13 प्रतिशत से 2011-12 में 14.13 प्रतिशत तक घट गया। संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा 2007-08 में 1.35 प्रतिशत से 2011-12 में 1.65 प्रतिशत तक बढ़ गया। कुल व्यय से एन.पी.आर.ई. का अनुपात वर्ष 2010-11 के दौरान 67.57 प्रतिशत से 63.72 प्रतिशत तक घट गया। जी.एस.डी.पी. से एन.पी.आर.ई. का अनुपात 9.47 प्रतिशत से 7.83 प्रतिशत तक घट गया।

चार्ट 1.9: कुल व्यय: गतिविधियों द्वारा प्रवृत्तियां

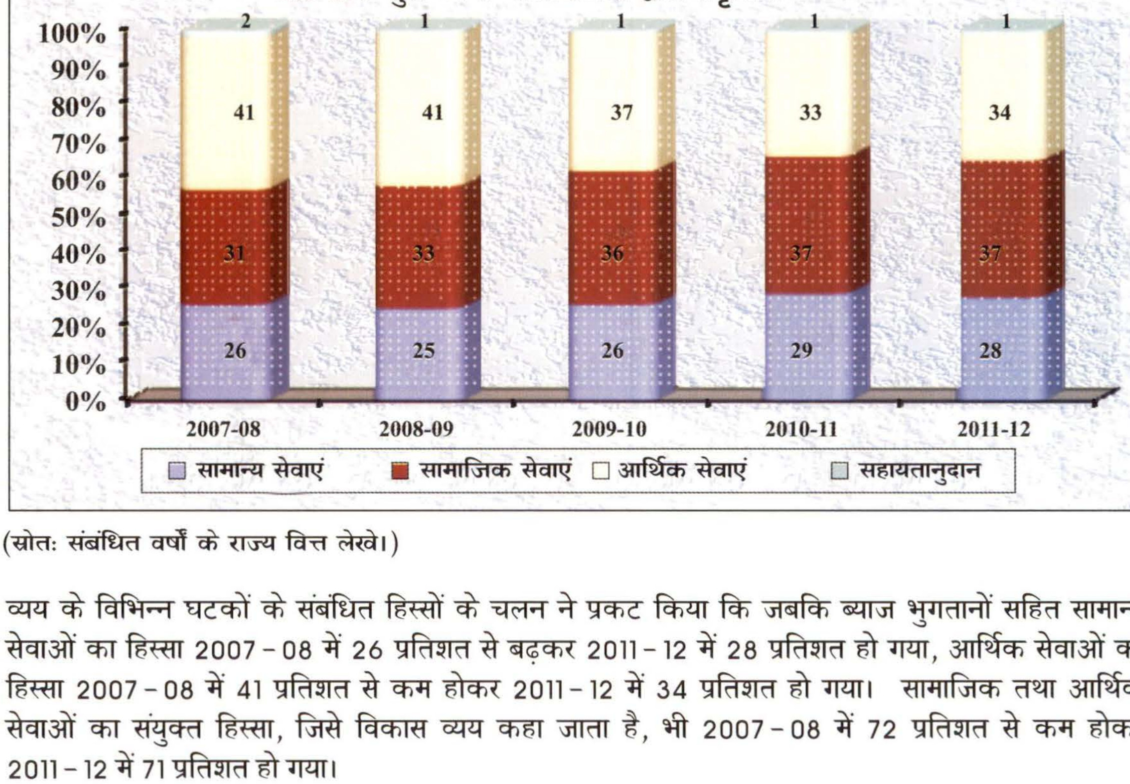

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

व्यय के विभिन्न घटकों के संबंधित हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2007-08 में 26 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 28 प्रतिशत हो गया, आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 2007-08 में 41 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 में 34 प्रतिशत हो गया। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जिसे विकास व्यय कहा जाता है, भी 2007-08 में 72 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 में 71 प्रतिशत हो गया।

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2010-11 में ₹ 28,310 करोड़ से 13 प्रतिशत बढ़कर 2011-12 में ₹ 32,015 करोड़ हो गया जो कि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर व्यय (₹ 892 करोड़) में वृद्धि के कारण था। मुख्य रूप से पेंशन (₹ 110 करोड़) पर और ब्याज भुगतानों (₹ 682 करोड़) पर अधिक व्यय किया गया। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 392 करोड़), जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 1,101 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 1,738 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व व्यय के एन.पी.आर.ई. (76 प्रतिशत) तथा योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) (24 प्रतिशत) में विघटन ने दर्शाया कि एन.पी.आर.ई. का अनुपातिक हिस्सा पी.आर.ई. से बहुत अधिक था। राजस्व व्यय में ₹ 3,705 करोड़ की कुल वृद्धि में एन.पी.आर.ई. और पी.आर.ई. के क्रमशः ₹ 2,164 करोड़ और ₹ 1,541 करोड़ थे।

2011-12 में ₹ 24,223 करोड़ का एन.पी.आर.ई., ते.वि.आ. के मानकी निर्धारण (₹ 20,360 करोड़) और एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण (₹ 23,490 करोड़) से अधिक था तथा एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण (₹ 24,861 करोड़) के भीतर था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

1.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान और वेतन एवं मजदूरी, पेंशन तथा परिदान समाविष्ट हैं। 2007-12 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.5** एवं **चार्ट 1.10** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.5: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां जिसका है	4,566 (23)	6,546 (35)	8,440 (40)	9,809 (38)	10,163 (32)	9,960* (33)
गैर-योजना शीर्ष	4,292	6,069	7,746	8,974	9,283	9,070
योजना शीर्ष**	274	477	694	835	880	890
ब्याज भुगतान	2,346 (12)	2,339 (13)	2,737 (13)	3,319 (13)	4,380 (14)	4,001 (13)
पेंशन का व्यय	1,298 (7)	1,614 (9)	2,390 (11)	3,094 (12)	3,250 (10)	3,204 (10)
परिदान	3,057 (15)	3,190 (17)	3,089 (15)	3,285 (13)	3,849 (12)	3,853 (13)
कुल	**11,267**	**13,689**	**16,656**	**19,507**	**21,642**	**21,018**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)।

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

* **₹ 80.84 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।**

** **योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गये वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।**

1.10: 2007 – 12 के दौरान योजनेतर राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा (प्रतिशत)

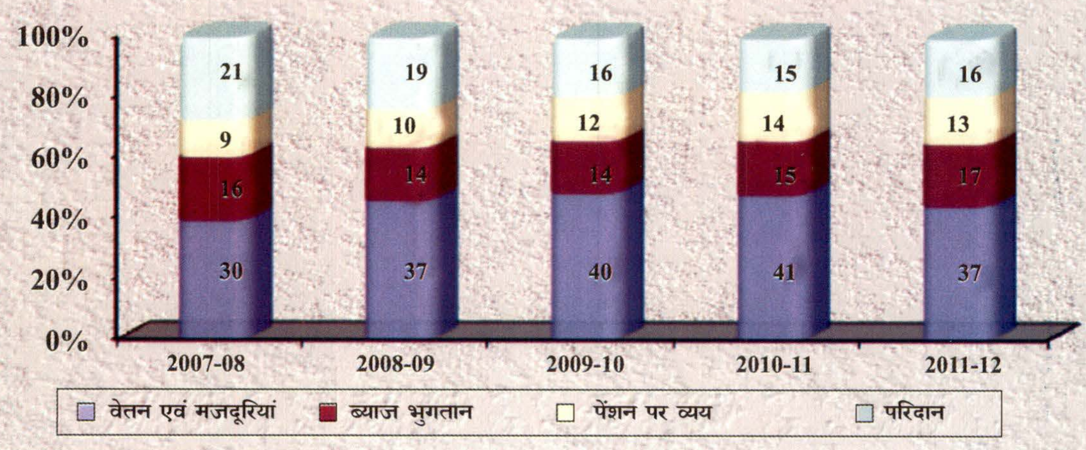

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

वेतन एवं मजदूरियां

2007 – 08 से 2011 – 12 के दौरान वेतन एवं मजदूरियां (₹ 9,960 करोड़) 118 प्रतिशत बढ़ गई। वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय की कंपाऊंड वार्षिक विकास दर 2002 – 03 से 2010 – 11 में 15.92 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (13.43 प्रतिशत) से अधिक थी। 2002 – 03 से 2011 – 12 तक की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 14.21 प्रतिशत हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय राज्य के अपने एफ.सी.पी. (₹ 8,760 करोड़) तथा ते.वि.आ. के प्रक्षेपण (₹ 6,843 करोड़) से अधिक था परन्तु सरकार के एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण (₹ 10,280 करोड़) के भीतर था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान (₹ 4,001 करोड) में पांच वर्ष (2007 – 12) की अवधि में 71 प्रतिशत वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में 2011 – 12 के दौरान ₹ 682 करोड़ (21 *प्रतिशत*) की बढ़त आई। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2007 – 12 के दौरान लगभग स्थिर रही। 2011 – 12 के दौरान ब्याज भुगतान 2011 – 12 हेतु एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण (₹ 4,125 करोड़), एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण (₹ 4,345 करोड़) और ते.वि.आ. के निर्धारण (₹ 4,007 करोड़) के भीतर ही रहे ***(परिशिष्ट 1.6)***।

पेंशन भुगतान

2007 – 08 से 2011 – 12 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतानों (₹ 3,204 करोड़) में 147 प्रतिशत वृद्धि हुई परन्तु राजस्व प्राप्तियों से इसकी प्रतिशतता बढ़कर 2007 – 08 में सात से 2011 – 12 में 10 हो गई। पेंशन पर व्यय की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 2002 – 03 से 2010 – 11 में 19.46 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (16.89 प्रतिशत) से अधिक थी। 2002 – 03 से 2011 – 12 की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 17.56 प्रतिशत हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। 2011 – 12 में पेंशन भुगतानों पर व्यय ते.वि.आ. के आकलन (₹ 2,133 करोड़) से अधिक था परंतु ₹ 3,250 करोड़ के एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण से कम था ***(परिशिष्ट 1.6)***। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा पेंशन देयताओं की बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

परिदान

परिदानों का भुगतान 2007-08 में ₹ 3,057 करोड़ से ₹ 796 करोड़ (26 प्रतिशत) बढ़कर 2011-12 में ₹ 3,853 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत था। ₹ 3,853 करोड़ के कुल परिदानों में से ₹ 3,585 करोड़ (93 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए थे। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को वास्तविक कुल परिदान एफ.सी.पी. में प्रक्षेपण (₹ 3,321 करोड़) से अधिक था। ₹ 268 करोड़ का शेष परिदान एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण (₹ 449 करोड) के भीतर था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

कुल प्रतिबद्ध व्यय

वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 17,084 करोड़) एफ.सी.पी. के प्रक्षेपणों (₹ 16,135 करोड़) से ₹ 949 करोड़ (6 प्रतिशत) अधिक था तथा एफ.सी.पी. में प्रक्षेपित 52 प्रतिशत के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों का 56 प्रतिशत परिगणित किया गया। 2011-12 के दौरान चार संघटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान और परिदान ने एन.पी.आर.ई. का लगभग 83 प्रतिशत संघटित किया।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से दी गई सहायता की प्रमात्रा **तालिका 1.6** में दी गई है।

तालिका 1.6: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12		
					बजट अनुमान	वास्तविक	विभिन्नताओं की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थान (सहायतित स्कूल, सहायतित कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	459.65	538.49	446.03	741.79	1,120.75	648.39	(-) 42
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	103.22	464.45	306.24	291.43	897.89	894.67	-
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	93.88	412.16	366.26	267.83	842.25	722.40	(-) 14
विकास अभिकरण	520.33	268.75	333.48	388.23	501.32	480.96	(-) 4
अस्पताल तथा धर्मार्थ संस्थाएं	49.46	46.80	125.79	211.97	376.10	357.67	(-) 5
अन्य संस्थाएं	345.05	322.72	368.89	322.21	245.59	201.92	(-) 18
कुल	**1571.59**	**2053.37**	**1946.69**	**2223.46**	**3983.90**	**3306.01**	**(-) 17**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	**9**	**10**	**8**	**8**		**10**	

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना।)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2007-08 में ₹ 1,571.59 करोड़ से 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय का 10 प्रतिशत संघटित करते हुए बढ़कर ₹ 3,306.01 करोड़ हो गई। गत वर्ष की तुलना में ₹ 1082.55 करोड़ (49 प्रतिशत) की बढोतरी मुख्यत: नगर निगमों तथा नगरपालिका समितियों (₹ 603.24 करोड़), जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं (₹ 454.57 करोड़), अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थानों (₹ 145.70 करोड) तथा विकास एजैंसियों (₹ 92.73 करोड़) को सहायता में वृद्धि के कारण थी। शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य संस्थाओं को सहायता क्रमश: ₹ 93.40 करोड़ और ₹ 120.29 करोड़ तक कम हो

गई। ₹ 3,983.90 करोड़ की अनुमानित निर्मुक्ति के विरूद्ध ₹ 3,306.01 करोड़ निर्मुक्त किए गए। बजट अनुमानों की तुलना में विकास एजैंसियां, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थानों और जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को वास्तव निर्मुक्ति में कमी की रेंज चार और 42 प्रतिशत के मध्य थी।

स्थानीय निकायों में कार्यों, निधियों की सुपुर्दगी और लेखांकन, लेखापरीक्षण और रिर्पोटिंग व्यवस्थाएं

पंचायती राज संस्थाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की हालत में सुधार के उद्देश्य से तथा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुपालन में हरियाणा सरकार ने शक्तियों के विकेन्द्रीकरण तथा जिले, खंड और ग्राम स्तर पर स्थानीय शासी निकायों के तीन-स्तरीय ढांचे के दृढ़ीकरण के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 लागू किया है। 31 मार्च 2011 को राज्य में 21 जिला परिषदें (जेड.पीज), 119 पंचायत समितियां (पी.एसज) तथा 6,155 ग्राम पंचायतें (जी.पीज) कार्यशील थी। ग्राम पंचायतों के चुनाव जून-जुलाई 2010 में करवाए गए थे।

कार्यों की सुपुर्दगी

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आईज) को वित्तीय रूप से सक्षम तथा स्वायत्त बनाने के लिए उनकी निधियों, कार्यों तथा कार्यविधियों की सुपुर्दगी पर विचार किया गया है। राज्य ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की अनुसूचियों में शामिल करने के माध्यम से पंचायतों के तीन स्तरों तक संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल सभी 29 कार्यों की सुपुर्दगी कर दी है। 29 कार्यों में से 10 कार्य पी.आर.आईज द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं, जैसाकि नीचे वर्णन किया गया है:

पी.आर.आईज को सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	पी.आर.आईज को सौंपे गए तथा हस्तांतरित कार्य
1	आवश्यक पदार्थों (पी.डी.एस.) का वितरण
2	स्वास्थ्य, आयोजना, सामाजिक मॉनीटरिंग
3	जल आपूर्ति प्रणाली का विकास
4	विकलांगों का कल्याण, अनाथों, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, वृद्धों का कल्याण, विधवा पैंशन
5	सिंचाई
6	पशुधन, पशुचिकित्सा सेवायें, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता सहित भोजन तथा चारे का विकास
7	स्कूली भवनों का निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण
8	एकीकृत बाल विकास योजना, टीकाकरण, पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच शिविर, संदर्भ सेवा, नारी सशक्तिकरण तथा अन्य योजनाएं
9	कृषि विस्तार सेवायें
10	पौधारोपण

निधियां और लेखांकन

विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन के लिए पी.आर.आईज मुख्यत: जी.ओ.आई. और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करती हैं। जी.ओ.आई. अनुदान में बारहवें और तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन नियत अनुदान शामिल होते हैं। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.जी.) की सिफारिशों के अंतर्गत प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान पी.आर.आईज ने 10 स्कीमों के कार्यान्वन के लिए ₹ 680.21 करोड़

की कुल उपलब्ध निधियों में से ₹ 549.90 करोड़ का व्यय किया। पंचायती राज मंत्रालय (एम.ओ.पी.आर.) द्वारा मॉडल एकाऊटिंग स्ट्रक्चर 2009 को अभी सी.ए.जी. के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अपनाया जाना है।

लेखापरीक्षण तथा रिपोर्टिंग

निदेशालय, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, हरियाणा पी.आर.आई. इकाइयों की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा करने के बाद, संबंधित पी.आर.आईज को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आरज) जारी की जाती हैं, जो आई.आरज के उत्तर प्रस्तुत करती हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर पी.आर.आईज की लेखापरीक्षा अक्तूबर 2009 से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के विचार से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा की जा रही है।

छः जेड.पीज, 31 पी.एसज और 73 जी.पीज के वर्ष 2009-10 के लेखाओं के अभिलेखों की नमूना-जांच 2010-11 के दौरान की गई थी। पी.आर.आईज के लेखाओं के प्रमाणीकरण का कार्य प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा को नहीं सौंपा गया है।

शहरी स्थानीय निकाय

संविधान के चौहत्तरवें संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बीज) के तीन स्तरों (नगर निगम, नगर परिषदों और नगर समितियों) पर विचार किया गया है। शहरों और कस्बों को पर्याप्त मूलभूत संरचना और मूल आवश्यकताओं के साथ उपयुक्त तथा योजनागत विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को 18 कार्य सौंपे हैं। हरियाणा में यू.एल.बीज के अंतिम चुनाव मई 2010 में करवाए गए थे। राज्य में आठ नगर निगम, 15 नगर परिषदें तथा 55 नगर समितियां हैं। हरियाणा सरकार ने यू.एल.बीज को 18 कार्य सौंपे हैं। इनमें से नीचे दी गई सूची के अनुसार 12 कार्य यू.एल.बीज को हस्तांतरित किए गए हैं और छः कार्य प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से हस्तांतरित नहीं किए जा सके।

यू.एल.बीज को सौंपे गए कार्यों का विवरण

क्र.सं.	यू.एल.बीज को सौंपे गए तथा हस्तांतरित कार्य
1	भूमि प्रयोग का नियमन तथा भवनों का निर्माण
2	सड़कें तथा पुल
3	जलापूर्ति-घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक
4	जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई व्यवस्था तथा सीवरेज जल अनुरक्षण
5	अग्निशमन सेवाएं
6	स्लम सुधार तथा उन्नयन
7	शहरी आवश्यकताओं तथा सुविधाओं-पार्कों, बागों तथा खेल के मैदानों का प्रावधान
8	दफनाना तथा कब्रिस्तान, दाह-संस्कार, शमशान तथा विद्युत शवदाहगृह
9	पशु तालाब, पशुओं से निर्दयता की रोकथाम
10	जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े
11	स्ट्रीट लाईटिंग, पार्किंग लोट्स, बस स्टापस तथा जन सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुख-सुविधाएं
12	बूचड़खाना और चर्मशोधनशाला का नियमन

निधियां एवं लेखांकन

विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन के लिए यू.एल.बीज, जी.ओ.आई. और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करती हैं। जी.ओ.आई. के अनुदानों में 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अनुदान शामिल हैं। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) की सिफारिशों के अन्तर्गत कुल कर राजस्व के निवल आय की सुपुर्दगी के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यू.एल.बीज करों, किरायों, फीसों, लाईसैंस जारी करने इत्यादि के रूप में भी निधियां प्राप्त करते हैं। नगर समितियों, नगर परिषदों और नगर निगमों के लेखाओं का रख-रखाव नगर लेखा संहिता, 1930 द्वारा शासित होता है।

लेखापरीक्षण तथा रिपोर्टिंग

निदेशालय, स्थानीय लेखापरीक्षा, हरियाणा एक सांविधिक लेखापरीक्षक है तथा सभी नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर समितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। 11वें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) ने सिफारिश की कि यू.एल.बीज के तीनों स्तरों के लेखाओं के उपयुक्त अनुरक्षण तथा लेखापरीक्षा पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सी.ए.जी. को सौंपी जानी चाहिए। ई.एफ.सी. की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के भाग 20 (1) के अंतर्गत यू.एल.बीज की नमूना लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंप दी (अगस्त 2008)। यू.एल.बीज के लेखाओं के प्रमाणीकरण का कार्य प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा को नहीं सौंपा गया है।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं का होना सामान्यत: इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार में मूलत: तीन पहलू सम्मिलित होते हैं उदाहरणार्थ व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का पर्याप्त प्रावधान); व्यय की कार्यकुशलता तथा व्यय का उपयोग एवं प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय-परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.5.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक मूलभूत संरचना पर व्यय जिम्मेवारियां राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं। मानवीय विकास स्तरों को बढ़ाने के लिये राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। निम्न वित्तीय प्राथमिकता (कुल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात), किसी विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ी होती है, यदि यह संबद्ध राष्ट्रीय औसत से नीचे है। **तालिका 1.7** विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की 2011-12 के दौरान वित्तीय प्राथमिकता एवं वित्तीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.7: 2008–09 और 2011–12 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई. / जी.एस.डी.पी.[@]	डी.ई.[#]/ ए.ई.	एस.एस.ई. / ए.ई.	सी.ई. /ए.ई.	शिक्षा / ए.ई.	स्वास्थ्य / ए.ई.
*सामान्य श्रेणी राज्य[1] औसत (अनुपात) 2008-09	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2008-09	13.90	73.89	32.99	17.74	15.55	3.03
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2011-12	16.09	66.44	36.57	13.25	17.18	4.30
हरियाणा का औसत (अनुपात)*2011-12	12.29	71.53	36.85	14.13	16.74	3.28

* तीन राज्यों अर्थात् दिल्ली, गोवा तथा पुदुचेरी को छोड़कर सामान्य श्रेणी राज्य।

[@] जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत के रूप में।

ए.ई. - कुल व्यय, डी.ई. - विकास व्यय, एस.एस.ई. - सामजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई. - पूंजीगत व्यय।

[#] विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

जी.एस.डी.पी. का स्रोत: राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय से सूचना प्राप्त की गई थी।

तालिका 1.7 2008 - 09 एवं चालू वर्ष अर्थात् 2011 - 12 में राज्य के व्यय की विभिन्न श्रेणियों को दी गई राजकोषीय प्राथमिकताओं की तुलना दर्शाती है।

वित्तीय प्राथमिकता:

- जी.एस.डी.पी. के अनुपात के रूप में हरियाणा का कुल व्यय 2008 - 09 तथा 2011 - 12 दोनों वर्षों में सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में कम था।
- सरकार ने 2008 - 09 तथा 2011 - 12 में डी.ई. को पर्याप्त वित्तीय प्राथमिकता दी, क्योंकि ए.ई. से इसका अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से अधिक था।
- 2008 - 09 में ए.ई. से एस.एस.ई. का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के तदनुरूपी अनुपात से कम था किन्तु सरकार ने 2011 - 12 में इस क्षेत्र को पूरी प्राथमिकता दी क्योंकि ए.ई. से इसका अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से अधिक था।
- ए.ई. से सी.ई. का अनुपात 2008 - 09 तथा 2011 - 12 में अन्य सामान्य श्रणी राज्यों के अनुपात से अधिक था।
- ए.ई. से शिक्षा पर व्यय का अनुपात 2011 - 12 में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से कम था।
- हरियाणा में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता 2008 - 09 तथा 2011 - 12 में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों से कम थी। सरकार द्वारा स्वास्थ्य को सामान्य वित्तीय प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यता है।

1.5.2 व्यय में दक्षता

विकास शीर्षो पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिये समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स के लिए निधियों के प्रावधान पर माहत्व देना आवश्यक है। विकास व्यय आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का कुल व्यय (और / अथवा जी.एस.डी.पी.) से अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख - रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय में दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। इन अवयवों का कुल व्यय (और / अथवा जी.एस.डी.पी.)

1 सामान्य श्रेणी राज्य - विशेष श्रेणी राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड) के रूप में नामांकित 11 राज्यों से पृथक अन्य राज्य।

से अनुपात जितना उच्चत्तर होगा उतनी ही अच्छी व्यय की गुणवत्ता होगी। **तालिका 1.8** 2007 - 08 से 2011 - 12 के दौरान राज्य के कुल व्यय में से विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.8: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	**15,346(72)**	**18,743(74)**	**23,103(74)**	**23,266 (70)**	**29,037(72)**	**27,192(72)**
क) विकास राजस्व व्यय	11,961(56)	14,294(56)	17,432(56)	18,901(57)	23,892(59)	21,696(57)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	3,255(15)	4,307(17)	5,031(16)	3,832(12)	4,451(11)	5,137(14)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	130(0.61)	142(0.56)	640(2)	533(8)	694(2)	359(1)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

(नोट: कोष्ठकों में दिए गए अंक कुल व्यय की प्रतिशतता के सूचक हैं।)

चार्ट 1.11 2007 - 12 के दौरान घटक - वार विकास व्यय प्रस्तुत करता है

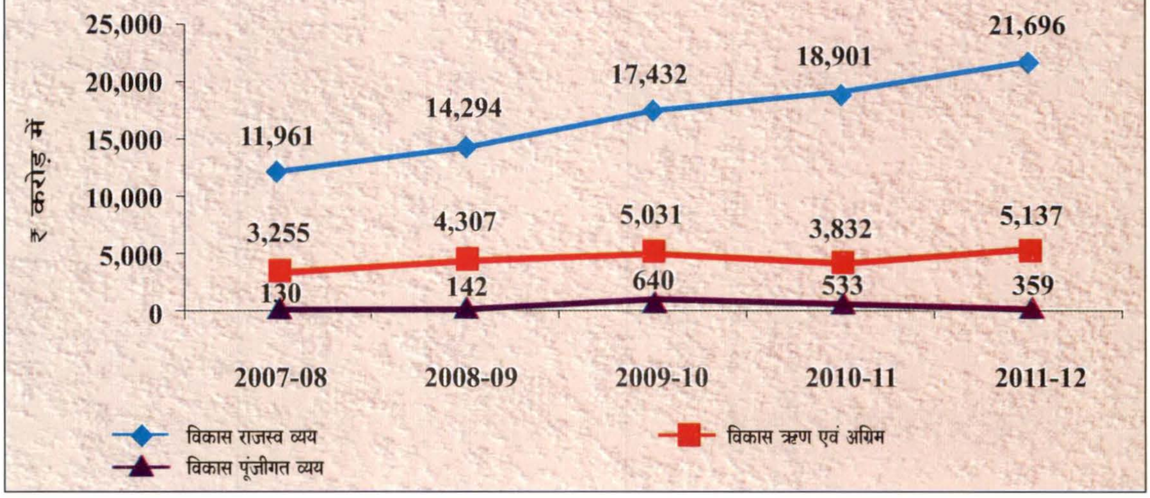

चार्ट 1.11: विकास व्यय के घटक

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

2007 - 08 से 2011 - 12 की अवधि के दौरान विकास व्यय में 77 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 72 प्रतिशत संघटित किया, 2010 - 11 में ₹ 23,266 करोड़ से मात्र ₹ 3,926 करोड़ (17 प्रतिशत) बढ़कर 2011 - 12 में ₹ 27,192 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय ने विकास व्यय का 80 प्रतिशत संघटित किया जबकि ऋणों और अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 20 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान विकास पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से 34 प्रतिशत बढ़ गया। ₹ 29,037 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध वास्तविक व्यय ₹ 27,192 करोड़ था। **तालिका 1.9**, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख - रखाव पर खर्च किये गये पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के अवयवों के विवरणों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.9: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की दक्षता

सामाजिक / आर्थिक आधारभूत संरचना	2010-11			2011-12		
	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर.ई. में हिस्सा		टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर.ई. में हिस्सा	
		एस. एंड डब्ल्यू.	ओ. एंड एम.		एस. एंड डब्ल्यू.	ओ. एंड एम.
सामाजिक सेवाएं (एस.एस.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.013	67.61	0.69	0.012	66.25	0.02
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.017	74.46	-[2]	0.040	62.57	-[2]
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.463	36.63	7.08	0.337	19.80	5.52
कुल (एस.एस.)	**0.122**	**63.91**	**1.55**	**0.117**	**54.84**	**1.31**
आर्थिक सेवाएं (ई.एस.)						
कृषि एवं सम्बन्धित कार्य	0.126	46.81	1.61	0.420	43.99	2.01
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.458	49.86	7.43	0.471	44.04	8.62
विद्युत एवं ऊर्जा	0.181	0.03	-	0.182	0.03	-
परिवहन	0.392	44.37	19.89	0.388	41.38	3.65
कुल (ई.एस.)	**0.278**	**26.10**	**5.78**	**0.329**	**22.68**	**2.27**
कुल (एस.एस. + ई.एस.)	**0.200**	**46.85**	**3.46**	**0.224**	**40.79**	**1.73**

(स्रोत: संबंधित वर्षो के राज्य वित्त लेखे।)

टी.ई.: कुल व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय, आर.ई.: राजस्व व्यय, एस. एण्ड डब्ल्यू.: वेतन एवं मजदूरियां, ओ. एण्ड एम.: कार्य एवं रख-रखाव

कुल व्यय से सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2010-11 में 0.122 से 2011-12 में 0.117 तक कम हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2010-11 में 0.278 से 2011-12 में 0.329 तक बढ़ गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2010-11 में 63.91 प्रतिशत से 2011-12 में 54.84 प्रतिशत तक कम हो गया। ओ. एवं एम. पर व्यय का हिस्सा 2011-12 में 1.55 प्रतिशत से कम होकर 1.31 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2010-11 में 26.10 प्रतिशत से 2011-12 में 22.68 प्रतिशत तक कम हो गया। ओ. एवं एम. का हिस्सा भी 2010-11 में 5.78 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 में 2.27 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2010-11 में 46.85 प्रतिशत से 2011-12 में 40.79 प्रतिशत तक कम हो गया। ओ. एवं एम. का हिस्सा भी 2010-11 में 3.46 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 में 1.73 प्रतिशत हो गया।

2 0.01 से कम।

1.5.3 फ्लैगशिप योजनाएं: व्यय की स्थिति

भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों हेतु जारी किए गए धन, किए गए व्यय की प्रमात्रा तथा 2011-12 के अन्त पर उपलब्ध शेष **तालिका 1.10** में दिए गए हैं।

तालिका 1.10: हरियाणा में कार्यान्वित फलैगशिप स्कीमों के अतंर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं..	स्कीम का नाम	प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
		जी.ओ.आई. से	राज्य का हिस्सा	आरंभिक शेष सहित अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	276.10	35.00	19.73	330.83	286.01	77
2	एकीकृत वाटर शैड प्रबन्धन कार्यक्रम (मरूस्थल विकास कार्यक्रम)	5.84	1.52	66.35	73.71	28.74	39
3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम	277.88	36.06	16.30	330.24	316.60	95
4	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	0.00	20.00	-	20.00	19.62	98
5	पिछडे क्षेत्र अनुदान निधि	18.67	44.51	-	63.18	32.36	51
6	इन्दिरा आवास योजना	58.12	20.25	5.98	84.35	80.61	96
7	सर्व शिक्षा अभियान	404.61	273	159.41	837.02	670.19	80
8	ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम (क) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम	237.74	0	145.75	383.49	345.59	93
	(ख) मरूस्थल विकास कार्यकम	100.14	-	49.00	149.14	133.97	89
9	दोपहर का भोजन स्कीम	220.14	52	43.74	315.88	311.06	88
10	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	123.92	21.00	-	144.92	186.78	129
11	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	76.39	14.76	3.21	94.36	75.84	80
12	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	60	--	55.71	115.71	60.81	52
13	कृषि का वृहत प्रबंध जिसमें वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशैड विकास परियोजना और विस्तार सेवाएं सम्मिलित हैं।	15.77	0.98	0.61	17.36	11.37	65
14	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन		38.19	77.03	115.22	109.81	95
15	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	20.97	-	114.63	135.60	104.30	77
16	त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम	-	-	65.47	65.47	9.00	14
17	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	50.06	-	4.74	54.80	47.61	87

(स्रोतः वित्तीय लेखे एवं संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना।)

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग जहां केवल 14 प्रतिशत था, यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि और एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम के मामले में 51 तथा 77 प्रतिशत के मध्य था।

1.6 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधारों) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को अन्तर्निहित परिदानों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने और वित्तीय परिचालनों में निष्पक्षता लाने के लिये जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। यह धारा पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

1.6.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2012 को ₹ 411.61 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली सात सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2011-12 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 573.39 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 139 प्रतिशत था। परिचालन एवं रख-रखाव (₹ 226.27 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 20.58 करोड़) पर व्यय वहन करने के पश्चात ₹ 326.54 करोड़ का लाभ अर्जित किया जो इन परियोजनाओं पर पूंजीगत लागत का 79 प्रतिशत परिकलित हुआ।

1.6.2 अपूर्ण परियोजनायें

31 मार्च 2012 को अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित विभागवार सूचना **तालिका** 1.11 में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल वे परियोजनायें सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथि यथा 31 मार्च 2012 पहले ही समाप्त हो चुकी है।

तालिका 1.11: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियाजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2012 तक कुल व्यय
भवन एवं सड़कें	3	51.44	-	39.22
सिंचाई	3	133.49	-	96.67
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2	49.87	-	49.71
कुल	**8**	**234.80**	**-**	**185.60**

(स्रोतः 2010-11 के राज्य वित्त लेखे।)

इन परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि अप्रैल 2007 और सितम्बर 2011 के बीच थी, परन्तु ये छः मास से पांच वर्ष तक विलम्ब के बावजूद अपूर्ण थी। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किए गये थे।

1.6.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2012 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सांझा स्टाक कम्पनियों और सहकारी समितियों में ₹ 6,981.91 करोड़ का निवेश किया था (**तालिका** 1.12)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर प्रतिलाभ का औसत 0.11 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2007-12 के दौरान उधारों पर 8.70 प्रतिशत औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.12: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	3,988.43	5,031.32	5,575.18	6,376.98	727.85	6,981.91
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	6.05	8.27	9.60	2.48	10.70	1.64
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.15	0.16	0.17	0.04	0.15	0.02
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.43	7.82	9.29	9.22	8.49	9.73
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.28	7.66	9.12	9.18	8.34	9.71

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

सरकार द्वारा निवेश 2007-08 से 2011-12 तक पांच वर्षों की अवधि में 75 प्रतिशत बढ़ा, निवेशों से प्रतिलाभ 2007-08 में ₹ 6.05 करोड़ (0.15 *प्रतिशत*) से 2011-12 में ₹ 1.64 करोड़ (0.02 प्रतिशत) तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2007-12 के दौरान 7.43 से 9.73 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.02 और 0.17 के बीच रही। 2011-12 के दौरान बजट प्रावधान (₹ 727.97 करोड) के विरूद्ध ₹ 604.93 करोड़ के निवेश थे।

2011-12 तक ₹ 6,558 करोड़ के कुल निवेश सहित 12 सरकारी कम्पनियां नुकसान उठा रही थी और 2011-12 तक इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 7,203 करोड़ हो गई ***(परिशिष्ट 1.8)***। यह देखना उपयुक्त है कि 2011-12 में सरकार द्वारा यू.एच.बी.वी.एन.एल. (₹ 96 करोड़), एच.पी.जी.सी.एल (₹ 183 करोड़) तथा एच.वी.पी.एन.एल. (₹ 300 करोड़) की साम्या पूंजी में कुल ₹ 579 करोड़ (96 प्रतिशत) का निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान इन चार[3] विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 6,632 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों (₹ 7,203 करोड़) का 92 प्रतिशत संघटित किया। हानियां मुख्यत: वित्तीय प्रबन्ध, योजना, परियोजनाओं के कार्यान्वयन, परिचालनों एवं मानीटरिंग में कमियों के कारण हुई। इस प्रकार, सरकार को अच्छे प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए न केवल उच्च लागत उधारों को अधिक सूझबूझ से निवेश करने की ही जरूरत है बल्कि अपनी साम्या को नुकसान उठाने वाली इकाईयों से निकालने की भी जरूरत है।

ते.वि.आ. ने सिफारिश की कि राज्य सरकार को मार्च 2011 तक गैर-कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यूज) को बंद करने के साथ-साथ उनके विनिवेश तथा निजीकरण के लिए एक मार्गचित्र रेखांकित करना चाहिए। 31 मार्च 2012 को सात[4] गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज (सभी कंपनियां) थे। इनमें से दो[5] पी.एस.यूज बंद होने के अधीन थे परन्तु उनकी समापन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। राज्य सरकार ने गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज की विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की क्रिया भी शुरू नहीं की।

1.6.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किये गये हैं, तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के अतिरिक्त इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी से प्रतिलाभ ***परिशिष्ट 1.9*** में दिए गए हैं। निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किए गए थे:

- उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में ₹ 4,269.96 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।
- तीन उपक्रमों ने ₹ 3,747.22 करोड़ की निवेशित पूंजी के विरूद्ध ₹ 14.59 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जिससे 0.39 प्रतिशत के प्रतिलाभ की दर प्राप्त हुई।
- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से हरियाणा रोडवेज पांच वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 24 वर्षों से इसके प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे।

---

3 हानियां: यू.एच.बी.वी.एन.एल.(₹ 3,820 करोड़), डी.एच.बी.वी.एन.एल. (₹ 2,686 करोड़), एच.पी.जी.सी. (₹ 104 करोड़) और एच.वी.पी.एन. (₹ 22 करोड़)।

4 (i) हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (टयूबवैल) निगम, (ii) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, (iii) हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड, (iv) हरियाणा चर्म उद्योग लिमिटेड, (v) हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटेड तथा (vi) हरियाणा खनिज लिमिटेड।

5 (i) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड तथा (ii) हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

- ₹ 522.74 करोड़ के कुल निवेश के विरूद्ध दो[6] विभागीय उपक्रमों की संचित हानियां ₹ 115.40 करोड़ थी।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार ने कई संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम प्रदान किए हैं। **तालिका 1.13** 31 मार्च 2012 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.13 : राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमात्रा	2009-10	2010-11	2011-12	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	1,877	2,494		2,983
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	830	722	957	627
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	213	233	233	294
अन्त शेष	**2,494**	**2,983**		**3,316**
जिसके लिए नियम व शर्ते निर्धारित की गई के लिये लम्बित शेष	2,494	2,983		3,316
निवल बढ़ोतरी	617	489	724	333
ब्याज प्राप्तियां	73	54	109	58
बकाया ऋणों व अग्रिमों की ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता	3.34	1.97	3.26	1.84
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं के ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.96	7.17	8.31	7.34
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच का अन्तर (प्रतिशत)	3.62	5.20		5.5

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

31 मार्च 2012 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 3,316 करोड़ थे। जबकि 2011-12 के दौरान सरकारी उधारों पर प्रदत्त 9.73 प्रतिशत की भारित ब्याज दर के विरूद्ध अग्रिम दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज की दर 2011-12 में 1.84 प्रतिशत थी। ऋणों एवं अग्रिमों पर वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 58 करोड़ का ब्याज बजटीय प्रक्षेपणों (₹ 109 करोड़) से कम था। हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़, जो जुलाई 2002 में बंद हो गई थी, के विरूद्ध ₹ 1.76 करोड़ के ऋण बकाया थे। पिछले ऋणों की किसी वसूली के बिना सहकारी चीनी मिलों को ₹ 88.88 करोड़ के और ऋण दिए गए थे।

जलापूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए नगर निगमों/सुधार ट्रस्टों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों (₹ 40.72 करोड़) तथा ₹ 78.14 करोड़ के ब्याज, **तालिका 1.14** में वर्णित अनुसार, 2011-12 के अंत तक वसूली के लिए विलम्बित थे।

तालिका 1.14: विलम्बित ऋण एवं अग्रिम तथा उन पर ब्याज

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूलधन	ब्याज
2008 तक	32.86	66.68
2009-10	2.62	3.82
2010-11	2.62	3.82
2011-12	2.62	3.82
कुल	**40.72**	**78.14**

(स्रोतः राज्य वित्त लेखे।)

6 कृषि विभाग (बीज डिपो योजना): ₹ 0.10 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 115.30 करोड़।

4,139 मामलों में ₹ 15.38 करोड़ के ऋणों की स्वीकृति सरकारी विभागों/संस्थानों से प्रतीक्षित थी। ₹ 12.55 करोड़ के ऋणों से आवेष्टित 136 मामलों में स्वीकृतियां 15 वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित हैं जबकि शेष मामलों में स्वीकृतियां 10 से 15 वर्षों हेतु प्रतीक्षित थी।

प्रशासनिक विभागों से ऋणों, जिनके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं, के मूलधन एवं ब्याज की वसूली में बकाये प्रत्येक वर्ष जुलाई तक पी.ए.जी. (ए. एंड ई.) को सूचित करने अपेक्षित हैं। 2011-12 के दौरान 14 विभागीय अधिकारियों से 225 विवरणियां देय थी जिनमें से एक विभाग से मात्र एक विवरणी प्राप्त की गई थी।

1.6.6 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों में से सरकार द्वारा किये गये निवेशों को **तालिका 1.15** दर्शाती है।

तालिका 1.15: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2011 को	31 मार्च 2012 को	बढत (+)/ घटत (-)
रोकड़ शेष	**376.84**	**2,161.75**	**(+) 1,784.91**
रोकड़ शेषों के निवेश (क से घ)	683.53	370.74	(-) 312.79
क) भारत सरकार के कोषालय बिल	683.53	370.74	(-) 312.79
ख) भारत सरकार प्रतिभूतियां			
ग) अन्य प्रतिभूतियां			
घ) अन्य निवेश			
निर्धारित शेषों से निवेशों का निधिवार विघटन (क से ड.)	1,455.13	1,837.64	(+) 382.51
क) शोधन निधि	523.85	714.97	(+) 191.12
ख) विकास स्कीमों के लिए निधियां	0.11	0.11	-
ग) हरिजन उत्थान के लिये गांवों पुनर्निमाण निधियां	2.19	2.19	-
घ) राज्य डिजास्टर रिस्पांस निधि (आपदा प्रबन्ध निधि)	864.74	1,050.50	(+) 185.76
ड़) गारंटी विमोचन निधि	64.24	69.87	(+) 5.63
प्राप्त ब्याज	40.59	40.64	(+) 0.05

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष ₹ 376.84 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,161.75 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से निवेश ₹ 683.53 करोड़ से घटकर ₹ 370.74 करोड़ रह गया। चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2011 को ₹ 1,455.13 करोड़ से ₹ 382.51 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2012 को ₹ 1,837.64 करोड़ हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था परन्तु 2011-12 के दौरान 11 दिन के लिए साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम ₹ 974.27 करोड़ लेकर न्यूनतम रोकड़ शेष रखा गया था जिसके लिए 5.25 से 11.25 प्रतिशत की दर पर ₹ 1.51 करोड़ का ब्याज दिया गया था।

1.7 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.7.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की बढ़त एवं बनावट

विद्यमान सरकारी लेखांकन पद्धति में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखा नहीं रखा जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2012 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2011 की सदृश स्थिति से तुलना करके ***परिशिष्ट 1.5 भाग क एवं ख*** में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताएं मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखा और सुरक्षित निधि से प्राप्तियों से बनती हैं, परिसम्पत्तियां मुख्यतः पूंजी लागत और राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ शेषों को समाविष्ट करती हैं।

जैसा कि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में परिभाषित किया गया है 'कुल देयता' से अभिप्राय राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए गए उधारों और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं गारंटियों सहित अन्य समतुल्य दस्तावेजों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य बजट से दिये जाते हैं, को भी शामिल करेगा।

1.7.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को ***परिशिष्ट 1.5 भाग – ख*** में प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2011 - 12 के दौरान राजकोषीय देयताओं की सरंचना को **चार्ट 1.12 और 1.13** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.12: 01 अप्रैल 2011 को बकाया राजकोषीय देयताओं की बनावट (₹ करोड़ में)

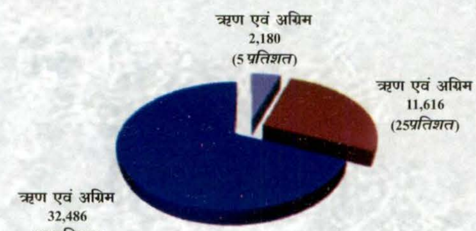

चार्ट 1.13: 31 मार्च 2012 को बकाया राजकोषीय देयताओं की बनावट (₹ करोड़ में)

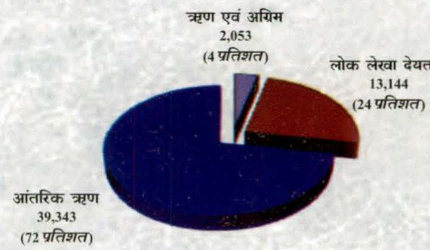

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2010 - 11 में ₹ 46,282 करोड़ से बढ़कर 2011 - 12 में ₹ 54,540 करोड़ हो गई। लोक ऋण (₹ 6,730 करोड़) और लोक खाता देयताओं (₹ 1,528 करोड़) में बढ़ोतरी के कारण पिछले साल से 2011 - 12 के दौरान वद्धि दर 17.84 प्रतिशत थी। जी.एस.डी.पी. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई और 2007 - 08 में 0.192 प्रतिशत से घटकर 2011 - 12 में 0.176 प्रतिशत हो गया। 2011 - 12 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 1.78 गुणा और राज्य के अपने स्रोतों का 2.17 गुणा थी। वर्ष 2011 - 12 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 4,001 करोड़ (7.34 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 54,540 करोड़ की कुल राजकोषीय देयताएं एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपणों ₹ 52,702 करोड़ की सीमा से अधिक थी परन्तु वर्ष 2011 - 12 में सरकार द्वारा बनाए गए एफ.सी.पी. के प्रक्षेपणों (₹ 54,319 करोड़) के भीतर थी।

सरकार ने 2002 - 03 के दौरान एक समेकित ऋण - निधि स्थापित कर ली है। पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया बाजार उधारों के एक प्रतिशत के बराबर राशि प्रत्येक वर्ष इस निधि में जमा की जाती है। 31 मार्च 2012 को ऋण - निधि में अंत शेष ₹ 717.10 करोड़ था।

1.7.3 गारंटियों – आकस्मिक देयताओं की स्थिति

उधार लेने वाले, जिनके लिये गारंटियां दी गई है, के दोषी हो जाने पर, गारंटियां वे देयताएं हैं जो राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक आ जाती है। राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर सरकार जिस सीमा के अन्तर्गत गारंटियां दे सकती है, उसके लिये संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार अधिकतम राशि, जिसके लिये राज्य द्वारा गारंटी दी गई और पिछले तीन वर्षों की बकाया गारंटियां **तालिका** 1.16 में दी गई है।

तालिका 1.16: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारन्टी	2009-10	2010-11	2011-12	
			बजट अनुमान	वास्तविक
अधिकतम गारन्टीड राशि	4,757	5,515	3,675	10,690
फीस सहित लम्बित गारन्टीड राशि	4,565	4,528	3,675	5,608
कुल राजस्व प्राप्तियों की अधिकम गांरन्टीड राशि की प्रतिशतता	23	22	11	35

(स्रोतः संबंधित वर्षो के राज्य वित्त लेखे।)

2011 - 12 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के बदले कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2012 तक गारंटी फीस सहित लम्बित गारंटिड राशि ₹ 5,608 करोड़ में से निगमों और बोर्डो (₹ 590 करोड़), सहकारी बैंक और समितियां (₹ 2,005 करोड़), सरकारी कम्पनियां (₹ 936 करोड़) और विद्युत (₹ 2,077 करोड़) के विरूद्ध थी।

कुल देयताओं में से आकस्मिक देयताओं के लिये 2003 - 04 के दौरान सरकार ने गारंटी ऋण विमोचन निधि का संघटन किया। 31 मार्च 2012 को निधि में शेष ₹ 69.87 करोड़ था। पूरी राशि निवेश कर दी गई। गारंटी ऋणविमोचन निधि के निबंधनों के अनुसार, सरकार को बकाया आमन्त्रित गारंटियों का कम से कम 1/5 के बराबर राशि, वर्ष के दौरान जुड़ने वाली गारंटियों के परिणामस्वरूप आमन्त्रित होने वाली राशियों को जोड़कर, राशि प्रदान करनी थी। सरकार ने ₹ 5.63 करोड़ का अंशदान किया जोकि लम्बित गारंटियों का 0.10 प्रतिशत था। तथापि, 31 मार्च 2012 को ₹ 5,608 करोड़ की बकाया गारंटी ₹ 3,675 करोड़ के बजट अनुमान से अधिक थी।

गारंटियों के अतिरिक्त सरकार ने विद्युत क्षेत्र की सरकारी कम्पनियों के पक्ष में ₹ 900 करोड़ के कुल ऋणों के लिए लैटर्स ऑफ कम्फर्ट बैंको को जारी किए। 31 मार्च 2012 को इस संदर्भ में ₹ 692 करोड़ बकाया थे। यह राशि, यदि लम्बित देयताओं (₹ 60,840 करोड़) में सम्मिलित की जाए, जी.एस.डी.पी. का 19.67 प्रतिशत होगी।

पैंशन निधि का निवेश

वर्ष 2011 - 12 के दौरान ₹ 183 करोड़ की राशि का कर्मचारियों का अंशदान तथा नियोक्ता के अंशदान का हिस्सा नैशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के पास जमा करवाया गया। इस कारण 31 मार्च 2012 को सरकार के पास ₹ 17.41 करोड़ की देयता थी।

1.7.4 लोक निजी सांझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास उपलब्ध कराने के विचार से, जो कि आर्थिक वृद्धि पोषण के लिए अनिवार्य है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए लोक निजी सांझेदारी (पी.पी.पी.) माध्यम को अपनाना।

इसके अन्तर्गत, राज्य सरकार ने ₹ 572.92 करोड़ ***(परिशिष्ट 1.10)*** की कुल अनुमानित लागत से 20 परियोजाएं पूर्ण की। 31 मार्च 2012 को ₹ 57,875.50 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के साथ 15 पी.पी.पी. परियोजनाएं ***(परिशिष्ट 1.11)*** कार्यान्वियन अधीन थी।

1.7.5 रिजर्व निधि के अन्तर्गत शेष

रिजर्व निधि के अन्तर्गत शेष 2011-12 के प्रारंभ में ₹ 1,786.37 करोड़ का आरंभिक शेष था। ₹ 442.61 करोड़ जोड़ने तथा ₹ 76.75 करोड़ के वितरण के बाद निधि ₹ 2,152.24 करोड़ के शेष के साथ बंद की गई थी। इसमें से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (संकट राहत निधि) ₹ 924.71 करोड़ के शेष के साथ 1 अप्रैल 2011 को खोली गई थी तथा 31 मार्च 2012 को ₹ 185.76 करोड़ की प्राप्ति तथा ₹ 17.60 करोड़ के वितरण के बाद ₹ 1,092.87 करोड़ पर बंद की गई थी। शोधन निधि का अन्तिम शेष 2010-11 में ₹ 525.98 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 191.12 करोड़ (अंशदानः ₹ 1,50.89 करोड़ और निवेश पर आयः ₹ 40.23 करोड़) प्राप्त किया गया परन्तु निधि में से कोई संवितरण नहीं किया गया। ₹ 717.10 करोड़ पर निधि बंद की गई थी।

1.8 ऋण पोषण

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य के ऋण पोषण को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। ऋण स्थिरीकरण; गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता; ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात द्वारा मापकर) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के संबंध में राज्य सरकार के ऋण का पोषण निर्धारित करता है। **तालिका** 1.17 तथा 1.18 2007-08 से पांच वर्ष की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.17: ऋण पोषण: सूचक एवं प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

ऋण पोषण के सूचक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	4,027	(-) 1,283	(-) 5,594	(-) 17	259
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	(-) 2,443	(-) 5,293	(-) 3,533	2,831	105
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	(-) 1,709	1,113	4,682	3,564	4,642
ब्याज भुगतान का भार (आई.पी./आर. आर. अनुपात)	12	13	13	13	13

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- मूल घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा प्रसार यदि शून्य है तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण धीरे-धीरे स्थिर हो जाएगा। मूल घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा प्रसार 2010-11 में (-) 17 से 2011-12 में 259 हो गया, ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात धीरे-धीरे कम हो जाएगा।

- गैर-ऋण प्राप्तियों और राज्य के कुल व्यय के बीच धनात्मक संसाधन अंतर सरकार की ऋण पोषण की क्षमता में सुधार को इंगित करता है।

- उधार ली गई निधियों से निवल निधियों की उपलब्धता स्थिति 2008-09 में ₹ 1,113 करोड़ से 2011-12 में ₹ 4,642 करोड़ हो गई। 2011-12 के दौरान सरकार ने ₹ 6,357 करोड़ (क्रमश: 9.39 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 362 करोड़, 8.93 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 500 करोड़, 8.88 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 445 करोड़, 8.71 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 750 करोड़, 9.22 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 500 करोड़, 9.03 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 500 करोड़, 8.59 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 500 करोड़, 8.65 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 1,000 करोड़ तथा 8.36 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 1,800 करोड़) के मार्किट ऋण लिए।

तालिका 1.18: राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (वर्षों में)

(₹ करोड़ में)

वर्षों की संख्या	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
0-1	1,153.46 (5)	14,930.27(6)	3,275.07(9)	4,970.85(12)
1-3	2,790.89 (12)	28,167.40(12)	4,314.32(12)	4,585.10(11)
3-5	3,892.16 (17)	29,221.95(13)	4,431.02(13)	3,645.32(9)
5-7	3,871.19 (17)	28,592.97(13)	2,115.30(6)	4,714.03(11)
7 और अधिक		1,25,357.14(56)	20,528.33(60)	23,480.82(57)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि सरकार को इसके ऋणों का एक से तीन वर्षों के मध्य 11 प्रतिशत, तीन से पांच वर्षों के मध्य नौ प्रतिशत, पांच से सात वर्षों के मध्य 11 प्रतिशत और सात वर्षों के बाद 57 प्रतिशत पुनर्भुगतान करना होगा जिसके लिए सरकार को आने वाले वर्षों में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए निधियां उत्पन्न करने के लिए इसका वित्त पोषण सुधारना होगा।

सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अतिरिक्त उधार न लिए जाएं जो इन महत्वपूर्ण वर्षों में परिपक्व हों, ऋण पुनर्भुगतान की प्रणाली कार्य में लानी पड़ेगी। जब तक ऋण नियंत्रित नहीं किए जाते, राज्य को ऋण सेवा में गंभीर समस्या होगी।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

एक निश्चित समयावधि के दौरान तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने अर्थात् राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा राज्य सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखाओं में घाटा, इसके प्राप्तियां और व्यय के मध्य अन्तर का प्रतिनिधित्व करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की द्योतक है। आगे, वे तरीके जिनसे घाटे का वित्तपोषण किया जाता है और बनाये गये स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के आवश्यक संकेतक है। यह खण्ड, इन घाटों के वित्त पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति,

मात्रा और पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2011-12 के लिये एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.9.1 घाटों की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.14: 2007-12 की समयावधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

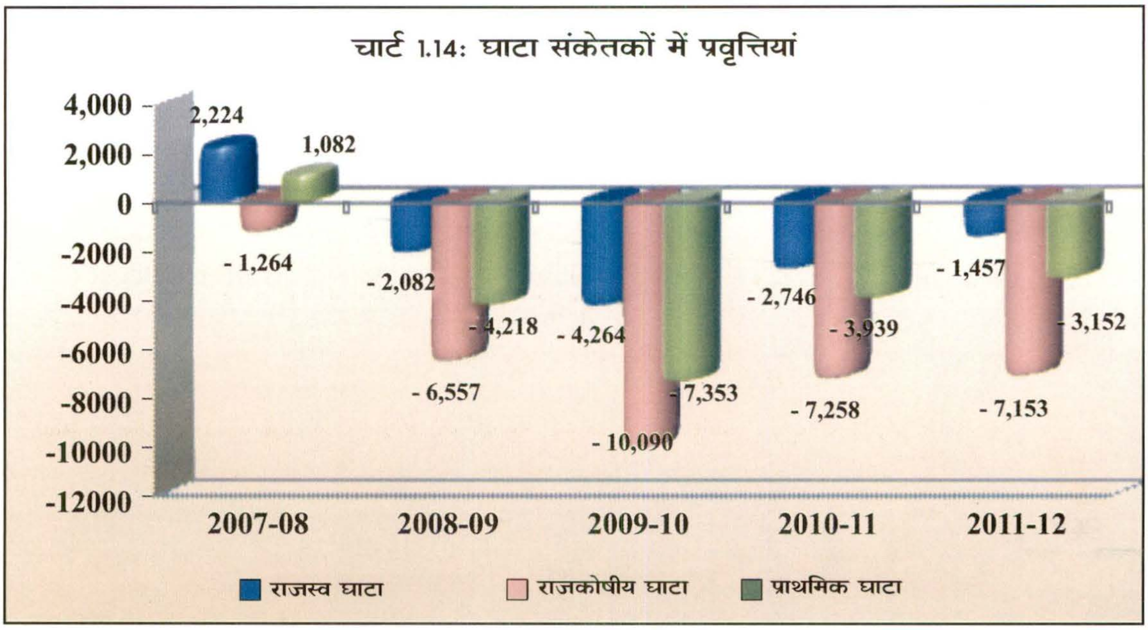

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

तालिका 1.18: 2006-11 की अवधि पर घाटा सूचकों की प्रवृतियां

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आर.डी./जी.एस.डी.पी.	0.015	(-) 0.011	(-) 0.019	(-) 0.010	(-) 0.005
एफ.डी./जी.एस.डी.पी.	(-) 0.008	(-) 0.036	(-) 0.045	(-) 0.027	(-) 0.023
पी.डी./जी.एस.डी.पी.	0.007	(-) 0.023	(-) 0.033	(-) 0.015	(-) 0.010

राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करते हुए राजस्व घाटा, जो एफ.आर.बी.एम. के अनुसार 2011-12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा 2009-10 में क्रमश: बढ़कर ₹ 4,264 करोड़, ₹ 10,090 करोड़ और ₹ 7,353 करोड़ तक हो गया और 2011-12 की समाप्ति पर कुछ घटती प्रवृति दर्शाने के बाद क्रमश: ₹ 1,457 करोड़, ₹ 7,153 करोड़ और ₹ 3,152 करोड़ पर स्थिर रहा।

वर्ष के दौरान, राजस्व घाटा (₹ 1,289 करोड़) राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,994 करोड़ की वृद्धि के कारण कम हो गया। जबकि ₹ 7,153 करोड़ का वित्तीय घाटा पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण 2010-11 में केवल ₹ 105 करोड़ तक कम हो गया। यह जी.एस.डी.पी. का 2.31 प्रतिशत था जो कि वर्ष की एफ.सी.पी. में निर्धारित तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर था। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक राजस्व आधिक्य में वृद्धि के कारण 2010-11 में ₹ 3,939 करोड़ से 2011-12 में ₹ 3,152 करोड़ तक कम हो गया।

वर्ष 2011-12 के लिए नियत किया गया शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका ***(परिशिष्ट 1.6)***। राज्य सरकार ने भूमि (परिसंपत्तियां) की बिक्री के कारण ₹ 406.33 करोड़ की प्राप्ति पूंजीगत प्राप्तियों की बजाय राजस्व प्राप्तियों में वर्गीकृत कर दी। सही वर्गीकरण से राजस्व घाटा ₹ 406.33 करोड़ तक बढ़ जाता।

1.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त प्रबन्ध पद्धति

तालिका 1.19 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्तप्रबन्ध पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2011-12 के दौरान राजकोषीय घाटा वित्त प्रबंध के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण **तालिका 1.20** में दिए गए हैं।

तालिका 1.19: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसके वित्त प्रवाह

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय घाटे का विघटन		(-) 1,264	(-) 6,557	(-) 10,090	(-) 7,258	(-) 7,153
1	राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	(+) 2,224	(-) 2,082	(-) 4,264	(-) 2,746	(-) 1,457
2	निवल पूंजीगत व्यय	(-) 3,416	(-) 4,495	(-) 5,209	(-) 4,023	(-) 5,363
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 72	20	(-) 617	(-) 489	(-) 333
राजकोषीय घाटे की वित्त प्रबंध पद्धति						
1	मार्किट उधारियां	(-) 253.73	2,504.54	3,683.68	4,157.63	5,994.89
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 44.98	(-) 47.46	(-) 34.16	183.71	(-) 127.17
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेंष प्रतिभूतियां	50.56	(-) 79.73	534.43	934.31	(-) 329.47
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	250.75	218.88	1,525.45	595.99	1,191.44
5	अल्प बचत भविष्य निधि इत्यादि	299.32	352.38	861.92	747.80	718.53
6	रिजर्व निधि	15.23	(-) 4.81	(-) 39.13	8.93	(-) 16.65
7	जमा एवं अग्रिम	184.72	216.62	526.64	316.66	826.54
8	उचंत एवं विविध	21.69	3,546.38	2,785.98	(-) 635.88	406.73
9	प्रेषण	14.28	(-) 26.63	(-) 282.96	305.08	214.88
10	**कुल आधिक्य (+) घाटा (-)**	**537.84**	**6,680.17**	**9,561.85**	**6,614.23**	**8,879.72**
11	रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(+) 726.03	(-) 122.37	(+) 528.81	(+) 644.20	(-) 1,726.40
12	**कुल राजकोषीय घाटा**	**1,264**	**6,557**	**10,090**	**7,258**	**7,153**

(स्रोतः संबंधित वर्षो के राज्य वित्त लेखे।)

* 8999-रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)।

तालिका 1.20: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	6,356.65	361.76	5,994.89
2	जी.ओ.आई. से ऋण	97.72	224.89	(-) 127.17
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	141.69	471.16	(-) 329.47
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	4,170.77	2,979.33	1,191.44
5	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	2,198.62	1,480.09	718.53
6	जमा और अग्रिम	10,115.38	9,288.84	826.54
7	रिजर्व निधियां	442.61	459.26	(-) 16.65
8	उचंत एवं विविध	26,586.66	26,179.93	406.73
9	प्रेषण	5,657.68	5,442.80	214.88
10	**समग्र आधिक्य (–) घाटा (+)**			**8,879.72**
11	नकद शेष में वृद्धि (–) कमी (+)			(-) 1,726.40
12	**कुल राजकोषीय घाटा**			**7,153**

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे।)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार के उधारों और इसके संसाधन अंतर को प्रस्तुत करता है, 2010-11 में ₹ 7,258 करोड़ से कम होकर 2011-12 में ₹ 7,153 करोड़ हो गया। बाजार उधारों का योगदान ₹ 5,995 करोड़ था जो कि 2010-11 में ₹ 4,158 करोड़ से ₹ 1,837 करोड़ अधिक था। सरकार द्वारा किए गए अन्य मुख्य घाटे को पोषित करने के उपाय थे वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 1,191 करोड़), राज्य भविष्य निधि खाता में वृद्धि (₹ 719 करोड़) और जमा में वृद्धि (₹ 827 करोड़)।

लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि के अन्तर्गत शेषों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि '8011-बीमा और पैंशन निधि, 107-राज्य सरकार कर्मचारी बीमा स्कीम' के अन्तर्गत ₹ 21.72 करोड़ के खराब शेष थे। यह राज्य सरकार द्वारा इन निधियों पर ब्याज के असमायोजन के कारण था।

1.9.3 घाटे/आधिक्य के गुण

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूंजी व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) में वियोजन राज्य के वित्तों में घाटे के गुण को इंगित करती है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात संकेत करता है कि किस मात्रा तक उधार ली गई निधियां वर्तमान खपत के लिये प्रयोग में लाई गई थी। आगे, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात भी संकेत करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार सिकुड़ रहा था और उधारों (राजकोषीय देयताओं) के एक हिस्से की कोई परिसम्पत्ति पृष्ठभूमि नहीं थी। प्राथमिक घाटे का बंटवारा (**तालिका 1.21**) पूंजीगत व्यय, जो राज्य की वित्तप्रबन्ध की उत्पादक क्षमता को सुधारने के लिये जरूरी है, में उस मात्रा जिस तक घाटा पूंजी व्यय की वृद्धि की ओर रहा है, की ओर संकेत करता है।

तालिका 1.21: प्राथमिक घाटा/आधिक्य–सूचकों का विघटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर–ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (–)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2007-08	19,975	15,181	3,426	286	18,893	4,794	1,082
2008-09	18,811	18,195	4,502	332	23,029	616	(-) 4,218
2009-10	21,215	22,520	5,218	830	28,568	(-) 1,305	(-) 7,353
2010-11	25,805	24,991	4,031	722	29,744	814	(-)3,939
2011-12	30,861	28,014	5,372	627	34,013	2,847	(-) 3,152

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

प्राथमिक राजस्व आधिक्य ने अंतिम दो वर्षो में सुधार दिखाया। 2009–10 में ₹ 1,305 करोड़ के घाटे ने 2010–11 में ₹ 814 करोड़ के आधिक्य से सुधार दिखाया जो आगे 2011–12 में ₹ 2,847 करोड़ तक बढ़ गया। परन्तु 2007–08 में प्राप्त ₹ 4,794 करोड़ के चिन्ह से यह अभी भी कम था। ये तथ्य इस कारण था कि प्राथमिक राजस्व व्यय, गैर–ऋण प्राप्तियां की अपेक्षा अधिक दर पर बढ़ रहा था। 2007–08 से 2011–12 के दौरान गैर–ऋण प्राप्तियों में वृद्धि 55 प्रतिशत थी जब कि इसी अवधि के दौरान प्राथमिक व्यय 80 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, विवरण इंगित करते हैं कि गैर–ऋण प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी और इन प्राप्तियों का हिस्सा पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया गया। राज्य को 2008–09 से प्राथमिक घाटा हो रहा था जो कि 2011–12 के अंत तक ₹ 3,152 करोड़ हो गया। यह इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की गई थी।

1.10 निष्कर्ष

राजस्व एवं व्यय की प्रवृत्ति: कर राजस्व में 21 प्रतिशत बढ़त के कारण राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 20 प्रतिशत की बढ़त आई। 2011–12 में कर राजस्व सरकार द्वारा एफ.सी.पी. में बनाए गए प्रक्षेपणों की तुलना में 1.70 प्रतिशत कम रहा लेकिन एम.टी.एफ.पी.एस. में बनाए प्रक्षेपणों और ते.वि.आ. द्वारा क्रमश: 1.96 प्रतिशत और 1.13 प्रतिशत अधिक रहा। कर–भिन्न राजस्व ते.वि.आ. द्वारा बनाए गए प्रक्षेपण से 65 प्रतिशत कम था परन्तु सरकार द्वारा एफ.सी.पी. और एम.टी.एफ.पी.एस. में बनाए गए प्रक्षेपण से क्रमश: 3 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अधिक था।

राजस्व व्यय, जिसने वर्ष के दौरान कुल व्यय का 84 प्रतिशत संघटित किया, पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत बढ़ गया। इसका एन.पी.आर.ई. घटक, जो ₹ 24,223 करोड़ था, राज्य के लिए ते.वि.आ. के प्रक्षेपण (₹ 20,360 करोड़) से 19 *प्रतिशत*, राज्य के अपने एफ.सी.पी. (₹ 23,490 करोड़) के प्रक्षेपण से तीन प्रतिशत अधिक था परन्तु एम.टी.एफ.पी.एस. के प्रक्षेपण ₹ 24,861 करोड़ से तीन प्रतिशत कम था। गैर–योजना राजस्व व्यय के अन्तर्गत चार संघटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियां, पैंशन देयताएं, ब्याज भुगतान और परिदानों ने 2011–12 के दौरान लगभग 83 प्रतिशत संघटित किया। इसके अतिरिक्त, कुल परिदानों (₹ 3,853 करोड़) का 93 प्रतिशत (₹ 3,585 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के लिए था तथा एफ.सी.पी. के प्रक्षेपण (₹ 3,321 करोड़) से अधिक था।

पूंजीगत व्यय, जिसने कुल व्यय का 14 प्रतिशत संघटित किया, और 2010–11 से 2011–12 में 33 प्रतिशत तक बढ़ गया।

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता (₹ 3,306.01 करोड़) ने 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय का 10 प्रतिशत संघटित किया तथा 2010-11 से 49 प्रतिशत तक बढ़ गया।

राजकोषीय सुधार: राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम पारित करने वाले शुरूआती राज्यों में से हरियाणा भी एक है। राजकोषीय मानकों अर्थात राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे में 2009-10 में क्रमश: ₹ 4,264 करोड़, ₹ 10,090 करोड़ और ₹ 7,353 करोड़ की वृद्धि हुई, और 2010-11 में कुछ घटती प्रवृति दर्शाते हुए 2011-12 में क्रमश: ₹ 1,457 करोड़, ₹ 7,153 करोड़ और ₹ 3,152 करोड़ रही।

कर्ज निर्वहन योग्यता: एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार, आकस्मिक देयताओं सहित कुल कर्ज उस वर्ष के अनुमानित जी.एस.डी.पी. के 22.6 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 2011-12 के दौरान गारंटियों एवं लैटर्स ऑफ कम्फर्ट सहित कुल देयताएं ₹ 60,840 करोड़ थी जो जी.एस.डी.पी. का 19.67 प्रतिशत है जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की सीमा में था।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत आवर्त्त पिछले पांच सालों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने इन निवेशों पर 7.43 से 9.73 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया (अनुच्छेद 1.6.3)। 2011-12 के दौरान निवेशों का मुख्य हिस्सा (96 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत निगमों के साम्या शेयरों में निवेश के रूप में किया गया।

सात गैर-कार्यचालन पी.एस.यू. थे जिसमें से दो बंद होने के अधीन थे। गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण और पुन: स्थापन के लिए कार्रवाई नहीं की गई थी।

अपूर्ण परियोजनाएं: आठ परियोजनाएं, जो अप्रैल 2007 और सितम्बर 2011 के बीच पूर्ण की जानी थी, 2011-12 तक अपूर्ण थी।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से सीधे हस्तान्तरित निधियों की अवहेलना: वर्ष के दौरान भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹ 2,009.71 करोड़ हस्तांतरित किए तथा सीधे हस्तांतरण गत वर्ष से ₹ 700.87 करोड़ (54 *प्रतिशत*) तक बढ़ गए। चूंकि ये निधियां सरकारी खातों के द्वारा नहीं दी जाती, जी.ओ.आई से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के सीधे हस्तांतरण में खातों के अनुरक्षण और इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग की अवहेलना का खतरा रहता है। इन सभी अभिकरणों द्वारा एक समान लेखांकन क्रियाओं के अभाव में उपयुक्त दस्तावेज नहीं थे और इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समय पर रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।

1.11 अनुशंसाएं

- ते.वि.आ. की सिफारिशों के अनुसार 2011-12 तक राजस्व घाटे को शून्य तक लाया जाना था जिसके लिए कर अनुपालन में वृद्धि, प्रशासनिक लागतों में कमी और अनुत्पादक व्यय कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- ऋणित निधियां यथासंभव केवल संरचना विकास हेतु प्रयुक्त की जानी चाहिए और राजस्व व्यय पूर्णत: राजस्व प्राप्तियों में से पूरा किया जाना चाहिए। प्राथमिक सरप्लस और शून्य राजस्व घाटे की स्थिति में वापस पहुंचने के प्रयास यथाशीघ्र किए जाने चाहिएं। ऋणों का एक कलैण्डर, ताकि वित्त वर्ष के अन्त में

इनका एकत्रीकरण न हो, बनाने और कर्ज देयताओं की परिपक्वता सूची बनाए जाने से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सम्भव होगा।

- सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह ऐसे निवेश करे जिसमें मूल्यों की उचित वापसी हो अन्यथा उच्च मूल्य दर पर लिए गए ऋण कम वित्तीय लाभों वाली परियोजनाओं में लगाए जाते रहेंगे। वे परियोजनाएं, जो कम खर्च परन्तु ज्यादा सामाजिक - आर्थिक प्राप्तियों के लिए उचित हैं, चिह्नित की जाएं तथा उच्च लागत ऋणों हेतु पूर्ण औचित्य के साथ प्राथमिकता दी जाए। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिनमें बड़े नुकसान (अनुच्छेद 1.6.3) हो रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना भी उचित होगा और एक पुनर्जीवन योजना परिकलित की जाए उनके लिए जो अनुकूल प्रकृति की हैं और पुनर्जीवित की जा सकती हैं या अपनी साम्या का विनिवेश कर बीमार यूनिटों को बंद कर दिया जाए।
- भा.स. निधियां, जो राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती हैं, का उचित लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है और अद्यतन की गई सूचना राज्य सरकार और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा मान्य होनी चाहिए।

अध्याय – 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

अध्याय 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ तुलना किए गए खर्चे के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और इसलिए, वित्तीय लेखाओं के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रभारित किया जाना अपेक्षित व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह, यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.1.3 पंजाब बजट मैनुअल के अनुसार जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके, वित्त विभाग वार्षिक बजट की तैयारी के लिए जिम्मेवार है। विभागों के अध्यक्षों की सलाह पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्ययों के विभागीय अनुमान तैयार किए जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जो 'अनुमानों के लिए मांग' कहे जाते हैं। बजट की तैयारी में, उद्देश्य यथा संभव वास्तविक के यथासमीप को प्राप्त करने का होना चाहिए। इसमें अनुमानित राजस्व और अनुमानित प्रत्याशित व्यय दोनों में ही दूरदर्शिता की मांग होती है। एक अनुमान में एक परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान उतनी ही बजटीय अनियमितता होती है जितनी कि संस्वीकृत व्यय में आधिक्य की। बजट प्रक्रिया विचार करती है कि एक विशेष मद पर व्यय के अनुमान में दी गई राशि वह राशि होनी चाहिए जो वर्ष में विस्तारित की जा सके और जो ना तो बृहद्तर हो न ही लघुत्तर। एक अनुमान में बचत उतनी ही वित्तीय अनियमितता संघटित करती है जितनी कि इसके आधिक्य में। प्राप्तियों के बजट अनुमान मौजूदा फीसों, शुल्कों, करों की दर पर आधारित होने चाहिए।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

46 अनुदानों/विनियोजनों के विरूद्ध 2011-12 के दौरान वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	30,474.17	2,159.13	32,633.30	27,891.42	(-) 4,741.88
	II पूंजीगत	9,017.58	633.21	9,650.79	8,805.08	(-) 845.71
	III ऋण एवं अग्रिम	956.90	202.88	1,159.78	627.07	(-) 532.71
कुल दत्तमत		**40,448.65**	**2,995.22**	**43,443.87**	**37,323.57**	**(-) 6,120.30**
भारित	IV राजस्व	4,586.12	14.28	4,600.40	4,224.51	(-) 375.89
	V पूंजीगत	50.00	30.00	80.00	69.60	(-) 10.40
	VI लोक ऋण-देनदारी	6,666.12	1,289.55	7,955.67	5,011.41	(-) 2,944.26
कुल भारित		**11,302.24**	**1,333.83**	**12,636.07**	**9,305.52**	**(-) 3,330.55**
आकस्मिक निधि विनियोजन (यदि कोई है)		-	-	-	-	-
कुल योग		**51,750.89**	**4,329.05**	**56,079.94**	**46,629.09**	**(-) 9,450.85**

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 101.04 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 3 ,502.3 5 करोड़) के अन्तर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

₹ 4,329.05 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों ने गत वर्ष में 17 प्रतिशत के विरूद्ध मूल प्रावधान का आठ प्रतिशत संघटित किया।

₹ 9,450.85 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 44 अनुदानों, पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 17 अनुदानों और ऋण अनुभाग के अन्तर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण पुन: अदायगियां) में ₹ 9,714.30 करोड़ की बचतों की परिणाम थी जो राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत एक अनुदान और पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दो अनुदानों में ₹ 263.45 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित थी। ₹ 263.45 करोड़ के आधिक्य का संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत विनियमन अपेक्षित है।

नियंत्रण अधिकारियों को, महत्वपूर्ण अंतरों के कारणों का स्पष्टीकरण देने का अनुरोध करते हुए बचतों/आधिक्यों (विस्तृत विनियोजन लेखे) की सूचना दी गई थी (अगस्त 2012) लेकिन उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2012)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.3.1 आबंटनों की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि 48 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी ***(परिशिष्ट 2.1)***। ₹ 9,673.12 करोड़ की कुल बचतों के विरूद्ध, 20 अनुदानों और एक विनियोजन से संबंधित, 25 प्रकरणों में बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक ₹ 9,277.86 करोड़ (96 प्रतिशत) हुई जैसा कि **तालिका 2.2** में निदेर्शित किया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपुरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण
राजस्व – दत्तमत							
1.	4- राजस्व	761.18	136.83	898.01	476.27	421.74	381.34
2.	6- वित्त	3,292.58	0.30	3,292.88	3,241.51	51.37	56.01
3.	8- भवन एवं सड़कें	1,059.79	6.50	1,066.29	765.54	300.75	219.25
4.	9-शिक्षा	6,801.92	2.39	6,804.31	5,921.94	882.37	862.46
5.	10-तकनीकी शिक्षा	222.47	175.33	397.80	254.32	143.48	143.50
6.	13-स्वास्थ्य	1,368.18	51.82	1,420.00	1,197.95	222.05	199.21
7.	15-स्थानीय सरकार	1,114.55	373.80	1,488.35	900.52	587.83	587.36
8.	19- एस.सी., एस.टी. तथा अन्य बी.सी. का कल्याण	339.78	3.78	343.56	249.45	94.11	93.97
9.	20- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,850.04	0.20	1,850.24	1,605.95	244.29	244.05
10.	21-महिला एवं बाल विकास	524.78	53.02	577.80	493.90	83.90	133.89
11.	23- खाद्य एवं आपूर्ति	212.22	0.27	212.49	89.71	122.78	111.97
12.	24- सिंचाई	1,226.63	144.07	1,370.70	960.89	409.81	124.46
13.	27-कृषि	915.68	29.91	945.59	655.03	290.56	279.72
14.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	1,158.66	157.25	1,315.91	1,185.28	130.63	72.67
15.	34- परिवहन	1,272.20	-	1,272.20	1,080.02	192.18	192.10
16.	36- गृह	1,621.87	45.10	1,666.97	1,561.72	105.25	108.75
17.	38- जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	925.81	521.54	1,447.35	1,342.00	105.35	440.28
राजस्व – भारित							
18.	6- वित्त	4,532.29	-	4,532.29	4,152.24	380.05	111.72
पूंजीगत – दत्तमत							
19.	87-भवन एवं सड़कें	1,573.89	20.99	1,594.88	1,243.51	351.37	352.22
20.	14- शहरी विकास	500.00	-	500.00	351.48	148.52	152.89
21.	23-खाद्य एवं आपूर्ति	4,183.31	426.76	4,610.07	4,461.13	148.94	137.55
22.	38- जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	991.00	19.22	1,010.22	809.17	201.05	275.75
23.	40- ऊर्जा एवं विद्युत	984.10	-	984.10	801.60	182.50	182.50
24.	45- राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	956.91	202.88	1,159.79	627.07	532.72	608.93
पूंजीगत – भारित							
25.	लोक ऋण	6,666.12	1,289.55	7,955.67	5,011.41	2,944.26	3,253.09
कुल		**45,055.96**	**3,661.51**	**48,717.47**	**39,439.61**	**9,277.86**	**9,325.64**

अनुदान में ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें नीचे चर्चित की गई हैं:

i. अनुदान संख्या ''9 - शिक्षा'' (राजस्व - दत्तमत)

अनुदान के अंतर्गत बचतें ₹ 882.39 करोड़ थी। बचतें मुख्यत: ''2202 - सामान्य शिक्षा, 02 - माध्यमिक शिक्षा नीचे उपशीर्ष 109 - सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 86 - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, 85 - शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों में मॉडल विद्यालय का खोलना, 84 - कन्या होस्टलों का निर्माण आदि'' (₹ 443.33 करोड़) भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदानों की कम निर्मुक्ति और ''101 - सरकारी प्राथमिक स्कूल, 88 - प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं 1 से 5'' तक की स्थापना (₹ 111.04 करोड़) पदों को खाली रखने, कम संख्या में मजदूरों को नियुक्त करने, छुट्टी यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

ii. अनुदान संख्या ''15 - स्थानीय सरकार'' (राजस्व - दत्तमत)

अनुदान के अंतर्गत ₹ 587.83 करोड़ की कुल बचतें थी। ₹ 373.80 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 900.52 करोड़ का कुल व्यय मूल बजट (₹ 1,114.55 करोड़) से कम था। बचतें ''2217 - शहरी विकास, 80 - सामान्य, 800 - अन्य व्यय, 75 - शहरी स्थानीय निकायों के लिए वैट पर अतिरिक्त अधिभार का हिस्सा'' (₹ 183.41 करोड़) ''मितव्यय उपायों के कारण, 80 - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, 99 - साधारण योजना'' (₹ 136.26 करोड़) तथा ''79 - लघु तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी मूलभूत संरचना विकास योजना, 99 - साधारण योजना'' (₹ 87.17 करोड़), भारत सरकार द्वारा निधियों को निर्मुक्त न करने के कारण हुई।

iii. अनुदान संख्या ''45 - राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम'' (पूंजी - दत्तमत)।

₹ 202.88 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ''₹ 627.07 करोड़ का कुल व्यय मूल प्रावधान (₹ 956.91 करोड़) से कम था। ₹ 532.72 करोड़ की कुल बचतों के विरूद्ध, विभाग ने अविवेकपूर्ण ढंग से ₹ 608.93 करोड़ अभ्यर्पित किए। संचारण परियोजना के स्थगन और उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण बचतें मुख्यत: शीर्ष ''6801 - विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण, ''205 - संचारण और वितरण'' 98 - हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटिड को ऋण'' (₹ 570.50 करोड़) थी।

iv. लोक ऋण

इन अनुदान के तहत ₹ 2,944.26 करोड़ की बचतों के विरूद्ध, ₹ 3,253.09 करोड़ अनुचित अभ्यर्पित किए। शीर्ष ''6003 - राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण 110 - भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) से अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत बचतें (₹ 1,025.73 करोड़) मुख्यत: आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम की प्राप्ति पर कम व्यय के कारण, और ''107 - स्टेट बैंक आफ इंडिया और दूसरे बैंकों से ऋण'' (₹ 2,189.55 करोड़) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज के कम उठाए जाने के कारण थी।

2.3.2 अत्यधिक व्यय

अनुदान संख्या ''24 - सिंचाई'' में **(तालिका 2.3)** ₹ 10 करोड़ से ज्यादा का अधिक व्यय पिछले पांच सालों से लगातार देखा गया था:

तालिका 2.3 : 2007 – 12 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से आधिक्य की प्रतिशतता (अधिक व्यय की राशि)				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पूंजीगत – दत्तमत						
1.	24-सिंचाई	20 (278.72)	12 (171.01)	12 (177.25)	39 (198.58)	45 (254.64)

आधिक्य मुख्यतः शीर्ष ''4701 – बृहद् और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06 – जल के उचित बंटवारे हेतु नई माइनर, 001 – निदेशन और प्रशासन'' (₹ 275.74 करोड़) के अंतर्गत हुए।

शीर्ष ''4250 – अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 203 – रोजगार, 99 – रोजगार भवन के लिए भूमि का क्रय के अंतर्गत ''17 – रोजगार''(₹ 0.50 करोड़) के अंतर्गत अधिक व्यय रोजगार भवन के लिए जमीन खरीदने के कारण था।

2.3.3 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवाओं पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि ***परिशिष्ट 2.2*** दिए गए ब्यौरे अनुसार 19 मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में किसी प्रावधान के बगैर तथा इस संबंध में किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 579.75 करोड़ का व्यय किया गया।

2.3.4 बजट अनुदान के व्ययगत होने से बचने के लिए निधियों का आहरण

पंजाब वित्तीय नियमों के नियम 2.10 (6) (5) में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार, जो हरियाणा में भी लागू है, कोई राशि ट्रेजरी से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक तुरंत वितरण हेतु अपेक्षित न हो। आहरण एवं वितरण अधिकारियों ने, जिनके कार्यालयों की 2011 – 12 के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी, ***परिशिष्ट 2.3*** में यथा वर्णित, ₹ 30.26 करोड़ की कुल राशि आहरित की थी जो न तो पूरी तरह उन उद्देश्यों के लिए खर्च की गई जिनके लिए वे आहरित की गई थी, न ही ये वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सरकारी लेखाओं में प्रेषित की गई।

आगे, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अथवा अंतिम तिमाही के दौरान आहरित निधियां केवल बजट अनुदानों को व्ययगत होने से बचाने हेतु कैश चैस्ट में या बैंक खातों में रखी गई थी।

2.3.5 गत वर्षों से संबंधित प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए जरूरी है कि राज्य विधायिका द्वारा अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य विनियमित करवाये जाएं यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय – सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय का विनियमन किया जाता है। फिर भी, वर्ष 2008 – 09, 2009 – 10 और 2010 – 11 हेतु ₹ 964.39 करोड़ की राशि का अधिक व्यय अभी विनियमित किया जाना शेष था। वर्षवार अनुदानों/विनियोजनों के लिए लंबित विनियमन वाले व्यय की वर्षवार राशियां **तालिका 2.4** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 2.4: पिछले वर्षो से संबंधित प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	प्रावधान पर आधिक्य की राशि	विनियमन की स्थिति
2008-09	3,8,10,15,20 और 22	302.63	पी.ए.सी. द्वारा विनियोजन लेखे चर्चित नहीं किए गए हैं।
2009-10	3,6,10 और 15	439.29	
2010-11	6, 24 और 42	222.47	
कुल		**964.39**	

2.3.6 2011-12 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य जिसका विनियमन अपेक्षित है

वर्ष 2011-12 में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकारों से अधिक ₹ 263.45 करोड़ की राशि के तीन ग्रांट्स/विनियोजन में कुल आधिक्य जिसे संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन की जरूरत है का सार **तालिका 2.5** में सम्मिलित है।

तालिका 2.5: 2011-12 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या और शीर्षक	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	आधिक्य
राजस्व (भारित)				
1.	42-न्याय प्रशासन	42.63	50.94	8.31
	उप-योग	**42.63**	**50.94**	**8.31**
पूंजीगत (दत्तमत)				
1.	17-रोजगार	0.00	0.50	0.50
2.	24-सिंचाई	568.50	823.14	254.64
उप-योग		**568.50**	**823.64**	**255.14**
कुल योग		**611.13**	**874.58**	**263.45**

अगस्त 2012 में सरकार से अधिक व्यय के कारण मांगे गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितंबर 2012)।

2.3.7 अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

25 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 2,414.11 करोड़ के पूरक प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में आवेष्टित ₹ 50 लाख या इससे ज्यादा अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में वर्णित है। दो मामलों में ₹ 262.94 करोड़ के व्यय को अरक्षित छोड़ते हुए कुल ₹ 132.25 करोड़ के पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए ***(परिशिष्ट 2.5)***।

2.3.8 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं से जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के विचार से अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 49 उप-शीर्षों में ₹ 1,228.74 करोड़ से अधिक के आधिक्य और प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तक 70 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,321.69 करोड़ की बचतें हुई।

54-उप-शीर्षो के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से ज्यादा थी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.6*** में वर्णित हैं। 12[1] मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन द्वारा कम किए गए प्रावधानों से ज्यादा था। इसी तरह, 9[2] मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि बचतें पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान की गई निधियों से ज्यादा थी।

2.3.9 वास्तविक बचतों के आधिक्य का अभ्यर्पण

12 मामलों में, अभ्यर्पित राशियां (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या ज्यादा) वास्तविक बचतों से ज्यादा थी, जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी या अपर्याप्तता इंगित करता है। ₹ 4,579.87 करोड़ की बचतों के विरूद्ध, अभ्यर्पित राशि ₹ 5,441.23 करोड़ थी परिणामस्वरूप ₹ 861.36 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ। विवरण ***परिशिष्ट 2.7*** में दिया गया है। आगे, एक मामले में 24-सिंचाई अनुदान के अंतर्गत किया गया व्यय कुल अनुदानों/विनियोजनों (₹ 254.64 करोड़) से अधिक था लेकिन फिर भी निधियों का (₹ 64.70 करोड़) अनुचित अभ्यर्पण हुआ।

2.3.10 अनभ्यर्पित अनुमानित बचतें

पंजाब बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.2 के अनुसार जो हरियाणा पर भी लागू है व्यय करने वाले विभागों द्वारा जब भी बचतें अनुमानित हो, ग्रांटस/विनियोजन या उसका भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पण किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर 16 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 18 मामलों में ₹ 3,451.81 करोड़ की कुल बचतों में से (₹ एक करोड़ व उससे ऊपर की बचतें प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में सूचित की गई थी) ₹ 847.76 करोड़ की कुल राशियां (कुल बचतों का 25 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं की गई, जिसके विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 41 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ के आधिक्य में निधियों का अभ्यर्पण) में मार्च 2012 के अंतिम दो दिनों में ₹ 9,715.55 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.9)*** अभ्यर्पित किए गए जो अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण तथा अन्य विकास प्रयोजनों के लिए निधियों की अनुपयोगिता इंगित करता है।

2.3.11 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय पूरे साल समान रूप से होने चाहिए और अंतिम महीने में व्यय के वेग को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाता है और इसे टालना चाहिए। इसके विपरीत ***परिशिष्ट 2.10*** में सूचीबद्ध 13 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 21 शीर्षो के संबंध में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा के व्यय और वर्ष के लिए कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी ज्यादा मार्च 2012 में या वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किए गए।

आगे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2011-12 के दौरान 13 अनुदानों के अंतर्गत 21 मुख्य शीर्षो पर किए गए ₹ 5,445.35 करोड़ के व्यय में से, ₹ 2,411.41 करोड़ (44 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2012 के महीने के दौरान किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषत: मार्च महीने के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

---

1 ***परिशिष्ट 2.6*** की क्र.सं. 16,32,36,51,55,58,71,72,88,90,101 और 116

2 ***परिशिष्ट 2.6*** की क्र.सं. 8,13,15,57,67,68,69,78 और 105

2.4 बजटीय धारणाओं के विश्लेषण के परिणाम

योजना आयोग ने, ₹ 35,000 करोड़ की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007 - 12) अनुमोदित की, जिसमें वर्ष 2011 - 12 हेतु ₹ 13,200 करोड़ का प्रावधान किया गया। राज्य बजट, वृद्धि प्रणाली अपनाते हुए तैयार किया गया, अर्थात् सभी चल रही स्कीमों पर पहले उपलब्ध स्रोत प्रभारित किए जाते हैं तथा नई स्कीमें तत्पश्चात् सम्मिलित की जाती हैं। वित्त विभाग ने गत वर्ष तथा सितंबर तक चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े परिगणना में लेते हुए विभागीय प्रस्तावों की जांच की। वर्ष 2011 - 12 हेतु अनुमान 2009 - 10 के वास्तविक पूर्व[3] आंकड़े तथा सितंबर 2010 तक आधार वर्ष 2010 - 11 की प्राप्तियों / व्यय को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। प्रक्षेपित प्राप्तियों एवं व्यय तथा उनके विरूद्ध वास्तविकों के विवरण ***परिशिष्ट 2.11*** में दिए गए हैं।

2.4.1 बजटीय धारणाओं में कमियां

बी.ई. तथा संशोधित अनुमानों (आर.ई.) को तैयार करने में प्रक्रिया तथा पारदर्शिता की जांच करने हेतु वित्त विभाग में वर्ष 2011 - 12 हेतु बी.ई. को तैयार करने हेतु प्राप्तियों एवं व्यय हेतु बनाई गई बजटीय धारणाओं तथा उसके विरूद्ध वास्तविकों का विश्लेषण किया गया (जून - अगस्त 2012)। **तालिका 2.6** में वर्णित प्रकरणों में बजटीय धारणाएं वास्तविक आधारों पर आधारित नहीं थी।

तालिका 2.6: अवास्तविक बजटीय धारणाएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान 2011 – 12	वास्तविक	टिप्पणियां
	राजस्व प्राप्तियां			
1	योजनेत्तर राजस्व प्राप्तियां	28,914.12	29,049.16	2010 - 11 की बी.ई. (₹ 22543.36 करोड़) पर, 2011 - 12 में, 12.8 प्रतिशत की मानी गई वृद्धि के विरूद्ध, 28.26 प्रतिशत की वृद्धि की गई। फिर भी, 2010 - 11 की वास्तविक प्राप्तियों (₹ 24,279.03 करोड़) पर 2011 - 12 में वास्तविक संग्रहण में बढ़ोतरी केवल 19.65 प्रतिशत थी।
2	कर राजस्व	20,006.89	20,399.45	बी.ई. (2011 - 12) में प्रक्षेपण (₹ 20,006.89 करोड़) ने बी.ई. (2010 - 11) (₹ 16,469.29 करोड़) पर 12.9 प्रतिशत की संभावित वृद्धि के विरूद्ध 21.48 प्रतिशत वृद्धि संघटित की। वास्तविक प्राप्तियां, 2010 - 11 की वास्तविक प्राप्तियों (₹ 16,79037 करोड़) से 21.5 प्रतिशत उच्चतर थी।
क)	बिक्रीकर (वैट)	14,100	13,383.69	2010 - 11 की आर.ई. ₹ 12,300 करोड़ पर 2011 - 12 के दौरान मूल्य वृद्धित कर की 14 .6 प्रतिशत पर बढ़ोतरी मानी गई। तथापि, वर्ष 2011 - 12 के लिए ₹ 14,100 करोड़ पर आर .ई. की धारणा वास्तविक नहीं थी जैसा कि वास्तविक प्राप्ति ₹ 13,383.69 करोड़ थी।
ख)	वाहनों पर कर	बी.ई. 515 आर.ई.700	740.15	2011 - 12 में ₹ 740.15 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति की तुलना में बी. ई. ₹ 515 करोड़ और आर .ई. ₹ 700 करोड़ क्रमशः ₹ 225.15 करोड़ और ₹ 40.15 करोड़ तक अवनुमानित थी।
ग)	माल एवं यात्रियों पर कर	बी.ई. 425 आर.ई.410	429.32	2010 - 11 के प्रक्षेपणों पर कर राजस्व 12 .9 प्रतिशत पर बढ़ना था। लेकिन 2011 - 12 के दौरान प्रक्षेपण 2010 - 11 के समान किए गए जो आगे संशोधित अनुमानों में ₹ 410 तक कमी कर दी गई। वास्तविक संग्रहण ₹ 429.32 करोड़ था जो बी .ई. के अनुरूप थी। इस प्रकार आर. ई. अवास्तविक रूप से कम कर दी गई और मानी गई बढ़ोतरी प्राप्त नहीं की गई।
घ)	भू - राजस्व	बी.ई.16.09 आर.ई.14.66	10.95	'भू - राजस्व' के तहत ₹ 14.66 करोड़ की आर. ई., बी. ई. 2011 - 12 (₹ 16,09 करोड़) की तुलना में ₹ 1.43 करोड़ तक कम कर दी गई जबकि वास्तविक प्राप्ति (₹ 10.95 करोड़) आर.ई. से कम थी। वास्तविक प्राप्ति की पिछली प्रवृत्ति जो 2009 - 10 में ₹ 9.43 करोड़ थी और 2010 - 11 में ₹ 10.02 करोड़ थी, 2011 - 12 में बी. ई. प्रक्षेपण करते समय ध्यान में नहीं रखी गई।

3 वास्तविक पूर्व आंकड़े, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा वित्त लेखाओं के अन्तिमकरण से पूर्व आपूरित आंकड़े हैं।

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान 2011–12	वास्तविक	टिप्पणियां
	राजस्व प्राप्तियां			
3	राज्य के स्वयं के कर-भिन्न राजस्व	4,287.08	4,721.65	बी.ई. 2011-12 में प्रक्षेपण (₹ 4,287.08 करोड़) ने 16 प्रतिशत की मानी गई वृद्धि के विरूद्ध बी. ई. 2010-11 (₹ 3,548.52 करोड़) पर 20 .81 प्रतिशत बढ़ोतरी संघटित की। फिर भी, 2011-12 में ₹ 4,721.65 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियां, 2010-11 में संग्रहित प्राप्तियों (₹ 3,420.93 करोड़) से 38.02 प्रतिशत तक उच्चतर थी।
क)	पथ परिवहन	1,100 संशोधित 900	852.96	वर्ष 2011-12 के लिए 'पथ परिवहन' के तहत बी. ई. (₹ 1,100 करोड) ₹ 900 करोड तक संशोधित की गई। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 852.96 करोड की वास्तविक वसूली संशोधित अनुमानों से कम थी जिसने सूचित किया कि अनुमान वास्तविक नहीं थे।
ख)	वृहद् सिंचाई	बी.ई.136 आर.ई. 634.08	575.72	कर-भिन्न प्राप्तियों में बी.ई. 2010-11 पर 16 प्रतिशत तक की वृद्धि मानी गई। 2011-12 में बी.ई. ₹ 136 करोड रखी गई थी 2010-11 में (₹ 182.59 करोड) प्रावधानों से कम थी। ये अनुमान ₹ 634.08 करोड़ तक संशोधित किए गए, जिनके विरूद्ध वास्तविक संग्रहण (₹ 575.72 करोड़) था। इस प्रकार प्रक्षेपण वास्तविक नहीं थे।
ग)	अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	बी.ई.75 आर.ई. 90	75.53	'वर्ष 2011-12' के दौरान 'अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग' के तहत बी.ई. ₹ 75 करोड से 90 करोड तक संशोधित की गई। वास्तविक वसूली ₹ 75.53 करोड थी इस प्रकार आर.ई. अवास्तविक ढंग से बढ़ाई गई।
4	सहायतानुदान	4,959.11	2,754.93	टी.एच.एफ.सी. की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा राज्य को सहायतानुदान जारी किए गए। इस लिए बी .ई. में प्रावधान टी.एच.एफ.सी. की सिफारिशों के अनुसार किया जाना चाहिए। 2011-12 के दौरान किया गया प्रावधान ते.वि.आ. की अनुशंसा से ज्यादा था और वास्तविक नहीं था।
	व्यय			
5	योजनेत्तर व्यय	24,939.45	25,503.86	₹ 24,939.45 करोड का प्रावधान राजस्व लेखों पर ₹ 24,861.43 करोड़ और पूंजीगत लेखे पर ₹ 78.02 करोड़ से समायुक्त है। पूंजीगत लेखे पर ₹ 1,018.17 करोड और ऋणों एवं अग्रिमों पर ₹ 262.86 करोड का व्यय बजट प्रावधानों से ज्यादा था। इस प्रकार बी.ई. में प्रावधान वास्तविक नहीं थे।

2.4.2 योजना अनुमानों में कमियां

2011-12 के दौरान योजनागत व्यय ₹ 13,400 करोड़ निर्धारित किया गया था। ₹ 12,510.36 करोड़ का वास्तविक व्यय (93 प्रतिशत) प्रक्षेपणों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

(i) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में ₹ 1,874.03 करोड़ की 74 प्लान स्कीमें अनुमोदित की गई परन्तु इन स्कीमों के निष्पादन हेतु मार्च 2012 तक बजट प्रावधान नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 2.12)*** इनमें से तीन स्कीमें, ₹ 688.19 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन अनुमोदित की गई थी ***(परिशिष्ट 2.13)***। अनुमोदित स्कीमों के अकार्यान्वयन हेतु कारण प्रतीक्षित थे (सितंबर 2012)।

(ii) ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007-12) में ₹ 1,921.45 करोड़, हेतु अनुमोदित 137 स्कीमें/परियोजनाएं, सरकार द्वारा ₹ 415.56 करोड़, 2007-08 (₹ 256.98 करोड़), 2008-09 (₹ 98.36 करोड़), 2009-10 (₹ 58.32 करोड), तथा 2010-11 (₹ 1.40 करोड़) का व्यय करने के पश्चात् छोड़ दी गई ***(परिशिष्ट 2.14)***।

(iii) 2011-12 हेतु अनुमोदित योजना में सम्मिलित ₹ 292.88 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के साथ कुल 48 स्कीमें कार्यान्वयित नहीं की गई ***(परिशिष्ट 2.15)*** इनमें से, ₹ 21.44 करोड़ के परिव्यय के साथ

20 स्कीमें 2010-11 की अनुमोदित वार्षिक योजना में सम्मिलित थी तथा ₹ 7.41 करोड़ के परिव्यय सहित पांच स्कीमें भी 2009-10 की अनुमोदित वार्षिक योजना में सम्मिलित थी।

(iv) 2011-12 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 21 स्कीमों के लिए किया गया ₹ 93.04 करोड़ का प्रावधान, आर.ई. में ₹ 53.53 करोड़ तक कम कर दिया गया लेकिन स्कीमें कार्यान्वयित नहीं की गई जिसके लिए कारण नहीं दिए गए (अगस्त 2012) ***(परिशिष्ट 2.16)***।

(v) अनुमोदित परिव्यय में पांच स्कीमों हेतु किया गया ₹ 21.29 करोड़ का प्रावधान आर.ई. में ₹ 36.07 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था परन्तु वर्ष 2011-12 के दौरान व्यय नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 2.17)***।

(vi) संशोधित परिव्यय तथा अनुमोदित परिव्यय में 63 स्कीमों के लिए ₹ 98.79 करोड़ का प्रावधान किया गया, लेकिन वर्ष 2011-12 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 2.18)***। स्कीम केअकार्यान्वयन हेतु कारण सूचित नहीं किए गए थे (सितंबर 2012)।

(vii) 48 स्कीमों के लिए किया गया ₹ 2,581.48 करोड़ का प्रावधान ₹ 2,885.06 करोड़ तक बढ़ा दिया गया जिनके विरूद्ध ₹ 1,641.47 करोड़ का व्यय वर्ष 2011-12 के दौरान किया गया। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों का संवर्धन अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि कुल व्यय, मूल अनुमानों से कम था ***(परिशिष्ट 2.19)***।

(viii) वर्ष 2011-12 के दौरान 27 नई प्लान स्कीमें ₹ 367.39 करोड़ के प्रावधान के साथ आर.ई. में सम्मिलित थी, जिनके विरूद्ध ₹ 284.79 करोड़ (78 प्रतिशत) का व्यय किया गया ***(परिशिष्ट 2.20)***। इनमें से, ₹ 58.44 करोड़ के कुल प्रावधान वाली 11 स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई।

(ix) वर्ष 2011-12 के दौरान बी.ई./आर.ई. में किसी प्रावधान के बिना दो स्कीमों के विरूद्ध ₹ 9.43 करोड़ का व्यय किया गया ***(परिशिष्ट 2.21)***। प्रावधान के बिना व्यय करने हेतु कोई कारण नहीं दिए गए थे (सितंबर 2012)।

2.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या ''13 स्वास्थ्य''[4] तथा ''36-घर''[5] के व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा गत तीन वर्षों के दौरान बचतों एवं आधिक्य तथा वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदानों तथा पूरक मांगों के विस्तार के आधार पर की गई थी (जून-अगस्त 2012)। 2011-12 के लिए इन अनुदानों की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

2.5.1 अनुदान संख्या 13 स्वास्थ्य

(i) अनुदान के अंतर्गत ₹ 1,420.20 करोड़ (मूल: ₹ 1,368.39 करोड़ तथा पूरक: ₹ 51.81 करोड़) के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,198.08 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामत: ₹ 222.12 करोड़ की बचतें हुई (कुल प्रावधान का 15.64 प्रतिशत)।

---

4 मुख्य शीर्ष से संबंधित, ''2210-चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य'' तथा ''2211-परिवार कल्याण''।

5 मुख्य शीर्ष से संबंधित, ''2055-पुलिस,'' राजस्व अनुभाग में ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं'' तथा ''4055-पूंजीगत अनुभाग में पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय''।

(ii) राजस्व (दत्तमत) सैक्शन के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष ''2210 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य, 05 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, 105 - ऐलोपैथी'' (₹ 58.96 करोड़) के अंतर्गत कालेज बिल्डिंग के निर्माण के लिए बिल का भुगतान न होने और पदों को रिक्त रखने के कारण, और पद रिक्तियां होने के कारण, ''04 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - मेडीसन की अन्य प्रणाली, 101 - आयुर्वेद'' (₹ 28.64 करोड़) पदों को रिक्त रखने और चिकित्सीय दावों की कम संख्या की प्राप्ति तथा भारत सरकार से निधियों की अप्राप्ति के कारण, ''03 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी, 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र'' (₹ 29.84 करोड़) पदों को रिक्त रखने, मरम्मत/ए.एम.सी. बिलों की लम्बनता के कारण, उप - शीर्ष ''01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी, 102 - कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम'' (₹ 38.05 करोड़) पदों को रिक्त रखने, दवाओं के आपूर्ति आदेशों को अन्तिम न करने, कैम्प न लगाने, उपकरणों की अनापूर्ति, प्रीमियम की कम दर, ठेकेदारी स्टॉफ न लगाने इत्यादि के कारण हुई। पदों को रिक्त रखने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम भुगतान तथा कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ न उठाने के कारण शीर्ष ''2211 - परिवार कल्याण, 101 - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं'' (₹ 15.80 करोड़) के अंतर्गत भी बचत हुई।

(iii) अनुदान के अंतर्गत ₹ 222.12 करोड़ की कुल बचतों के विरूद्ध ₹ 199.29 करोड़ की राशि 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित की गई थी। इस प्रकार, ₹ 22.83 करोड़ की बचतें अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण दर्शाते हुए अभ्यर्पित नहीं की गई थी तथा तथ्य कि इन निधियों का उपयोग सरकार की अन्य विकास स्कीमों/कार्यक्रमों में नहीं किया जा सका।

(iv) राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत ₹ 51.81 करोड़ के पूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण थे तथा अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 1,198.08 करोड़), मूल प्रावधान (₹ 1,368.39 करोड़) तक भी नहीं पहुंचा।

(v) पंजाब बजट मैनुअल, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है, का अनुच्छेद 5.3 प्रावधान करता है कि बजट अनुमान यथा संभव समीप एवं परिशुद्ध होना चाहिए तथा प्रत्येक मद के संबंध में सम्मिलित किया जाने वाला प्रावधान, वर्ष के दौरान जो भुगतान या व्यय किया जाना है, पर आधारित होना चाहिए। यह देखा गया था कि 30 स्कीमों के लिए किया गया ₹ 12.57 करोड़ का समग्र बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा तथा स्कीमों के अकार्यान्वयन के कारण अभ्यर्पित किया गया ***(परिशिष्ट 2.22)***।

(vi) वित्तीय नियम प्रावधान करते हैं कि व्यय, संपूर्ण वर्ष समान रूप से किया जाना चाहिए तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में व्यय के वेग का परिहार किया जाना चाहिए। 2011 - 12 के दौरान, 12 स्कीमों पर ₹ 22.04 करोड़ का व्यय किया गया था ***(परिशिष्ट 2.23)*** जिसमें से ₹ 11.84 करोड़ (54 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही के दौरान और ₹ 7.89 करोड़ (36 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2012 के दौरान किया गया था। अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च माह के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

2.5.2 अनुदान संख्या 36 घर

(i) अनुदान के अंतर्गत ₹ 1,778.36 करोड़ (मूल: ₹ 1,717.76 करोड़ तथा पूरक: ₹ 60.60 करोड़) के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,672.72 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामतः ₹ 105.53 करोड़ (कुल प्रावधान का 6 प्रतिशत) की बचतें हुई।

(ii) राजस्व (दत्तमत) सैक्शन के अंतर्गत बचतें, मुख्यतः शीर्ष ''2055 - पुलिस, 115 - पुलिस बल का आधुनिकीकरण'' (₹ 35.51 करोड़) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए मशीनरी और उपकरणों की

खरीद की मंजूरी की अप्राप्ति के कारण, ''800 - अन्य व्यय'' (₹ 7.30 करोड़) स्कीम के अंतर्गम ऋण के ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए मंजूरी की अप्राप्ति के कारण, ''003 - शिक्षा और प्रशिक्षण'' (₹ 9.36 करोड़) पदों को रिक्त रखने के कारण, ''113 - पुलिस कार्मिकों के कल्याण'' (₹ 5 करोड़) सरकार से मंजूरी की अप्राप्ति के कारण और ''2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 106 - सिविल सुरक्षा'' (₹ 3.04 करोड़) भवनों और उपकरणों की खरीद के लिए कोडल औपचारिकताओं की अपूर्णता, रिक्त पदों के कारण हुई।

(iii) अनुदान के अंतर्गत ₹ 105.53 करोड़ की कुल बचतों के विरूद्ध ₹ 109.10 करोड़ की राशि 31 मार्च 2012 को अविवेकपूर्ण ढ़ंग से अभ्यर्पित की गई थी। निधियों के अत्यधिक अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया था (अगस्त 2012)।

(iv) ₹ 60.60 करोड़ (राजस्व के अंतर्गत ₹ 45.60 करोड़ और पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत 15 करोड़) के पूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण थे तथा अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 1,672.83 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,717.76 करोड़) तक भी नहीं पहुंचा।

(v) पंजाब बजट मैनुअल, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है, का अनुच्छेद 5.3 प्रावधान करता है कि बजट अनुमान यथा संभव समीप एवं परिशुद्ध होना चाहिए तथा प्रत्येक मद के संबंध में सम्मिलित किया जाने वाला प्रावधान, वर्ष के दौरान जो भुगतान या व्यय किया जाना है, पर आधारित होना चाहिए। यह देखा गया था कि 16 स्कीमों के लिए किया गया ₹ 35.00 लाख का समग्र बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा तथा स्कीमों के अकार्यान्वयन के कारण अभ्यर्पित किया गया ***(परिशिष्ट 2.24)***।

(vi) वित्तीय नियम प्रावधान करते हैं कि व्यय, संपूर्ण वर्ष समान रूप से किया जाना चाहिए तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में व्यय के वेग का परिहार किया जाना चाहिए। 2011 - 12 के दौरान, 66 स्कीमों पर ₹ 82.36 करोड़ का व्यय किया गया था ***(परिशिष्ट 2.25)*** जिसमें से, ₹ 42.33 करोड़ (51 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही के दौरान और ₹ 35.27 करोड़ (43 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2012 के दौरान किया गया था। अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च माह के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

2.5.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

2011 - 12 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 6 नवम्बर 2010 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, तीन विभागाध्यक्षों ने (अनुदान संख्या 13 और अनुदान संख्या 36) वित्त विभाग को अपने बजट अनुमान 30 तथा 107 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात प्रस्तुत किए ***(परिशिष्ट 2.26)***।

2.6 नए उप विस्तृत एवं विषय शीर्ष खोलना

भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को संघ और राज्यों के लेखाओं का संकलन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उससे, उन फार्मो जिनमें लेखाओं को रखा जाना है, निश्चित करने अपेक्षित हैं। इसीलिए, लेखा - शीर्ष, जिनके अंतर्गत लेखाओं को तैयार किया जाना है, सी.ए.जी. के द्वारा निश्चित किए जाने अपेक्षित हैं। राज्य सरकार, अपने लेखाओं के नए शीर्षो/उपशीर्षो को खोलने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

वर्ष 2011-12 और 2012-13 हेतु राज्य सरकार ने बजट प्रलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि राज्य सरकार ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) [ए.जी. (ए. एंड ई.)] की पूर्व सहमति के बिना ही लेखा शीर्ष और उप शीर्ष खोले। ए.जी. (ए. एंड ई.) की सहमति के बिना खोले गए लेखा शीर्षों के विवरण ***परिशिष्ट 2.27*** में दिए गए हैं।

2.7 निष्कर्ष

2011-12 के दौरान, ₹ 56,079.94 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 46,629.09 करोड़ का व्यय किया गया। ₹ 9,450.85 करोड़ की समग्र बचत, ₹ 9,714.30 करोड़ की कुल बचतों में से थी जो ₹ 263.45 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रतितुलित की गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 से संबंधित 13 अनुदानों में ₹ 964.39 करोड़ के अधिक व्यय का विनियमन भी अपेक्षित था। 12 प्रकरणों में, इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाते हुए वास्तविक बचत से ₹ 861.36 करोड़ का आधिक्य प्रत्यर्पण दर्शाते हुए ₹ 5,441.23 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अभ्यर्पित किए गए थे। 18 प्रकरणों में ₹ 3,451.81 करोड़ की बचतों (एक करोड़ तथा अधिक की बचत) में से ₹ 847.76 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई। 41 प्रकरणों (₹ 10 करोड़ के आधिक्य में निधियों का अभ्यर्पण) में ₹ 9,715.55 करोड़ वित्तीय वर्ष के दो अन्तिम कार्य दिवसों में अभ्यर्पित किए गए थे। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के भी प्रकरण थे।

2.8 अनुशंसाएं

- सभी सरकारी विभागों, जहां गत पांच वर्षो से नियमित रूप से बचतें/आधिक्य अवलोकित किए गए हैं, में बजटीय नियंत्रण सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

- प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर बृहद् बचतों/आधिक्यों, पुनर्विनियोजनों तथा अभ्यर्पणों के परिहार हेतु प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने हेतु सभी विभागों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए।

- वर्ष की समाप्ति पर निधियों की निर्मुक्ति का परिहार किया जाना चाहिए। अत्यधिक और अपर्याप्त निधियों के परिहार हेतु पुनर्विनियोजन विवेकपूर्ण होने चाहिए।

- प्रत्याशित बचतें, जब कभी ये संभावित हों, अभ्यर्पित की जानी चाहिए ताकि राशियां अन्य स्कीमों पर प्रयुक्त की जा सकें।

- लेखा शीर्षों और उप-शीर्षों को खोलते समय राज्य सरकार द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पूर्व सहमति ली जानी चाहिए।

अध्याय – 3
वित्तीय प्रतिवेदन करना

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन करना

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक ठोस आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रणालियों व दिशासूचकों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर प्रतिवेदन करने की यथासमयता व गुणवत्ता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी व परिचालित हो, सरकार को कुशल आयोजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबन्धकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यप्रणालियों व दिशासूचकों की अनुपालना में राज्य सरकार का विहंगावलोकन व स्थिति दर्शाता है।

3.1 उपयोग प्रमाण-पत्र प्रेषित करने में विलम्ब

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 8.14, जैसे कि हरियाणा को लागू है, प्रावधान करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिये प्रदान किये गये अनुदानों के लिये उपयोग प्रमाण-पत्र (यू.सीज़) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त करने चाहिये और सत्यापन के बाद ये, उचित समय के अन्दर, बशर्ते कि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट समय सीमा निश्चित न की हो, प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किये जाने चाहिए। तथापि कुल ₹ 2,951.01 करोड़ के अनुदानों एवं ऋणों के संबंध में प्रस्तुतिकरण हेतु देय 2,376 यू.सीज में से वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान निर्मुक्त अनुदान के लिए ₹ 1,148.60 करोड़ की कुल राशि के 1,253 यू.सीज़ बकाया थे। 31 मार्च 2012 को देय, प्राप्त एवं लम्बित यू.सीज़ का विभागवार विघटन ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

परिशिष्ट 3.1 का विश्लेषण दर्शाता है कि लम्बित 1,253 यू.सीज में से 598 यू.सीज (48 प्रतिशत) ग्रामीण विकास विभाग से तथा 379 (30 प्रतिशत) शिक्षा विभाग से बकाया थे। आगे, ₹ 264.48 करोड़ के 207 यू.सीज वर्ष 2008-09 के लिए निर्मुक्त हुए अनुदान में से बकाया, ₹ 287.87 करोड़ के 264 यू.सीज वर्ष 2009-10 के लिए निर्मुक्त हुए अनुदान में से बकाया तथा ₹ 596.26 करोड़ के 782 यू.सीज वर्ष 2010-11 के लिए निर्मुक्त हुए अनुदान में से बकाया थे। ये न केवल प्रशासनिक विभागों के आन्तरिक नियंत्रण की कमी को निर्देशित करता है बल्कि पूर्ववर्ती अनुदानों के उचित उपयोग को सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान संवितरित करने में सरकार की प्रवृति को भी दर्शाता है।

3.2 लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

उन संस्थाओं की पहचान करने के लिये जो नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम 1971 (सी.ए.जी. अधिनियम-1971) के अनुभाग 14 व 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं, सरकार/विभागाध्यक्षों के लिये अपेक्षित है कि वे विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, दी गई सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रेषित करें। प्राप्त सूचना के आधार पर 207 निकायों/प्राधिकारियों ने *तत्रैव* अधिनियम के अनुभाग 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित किया। 2011-12 के दौरान 39 निकायों/प्राधिकारियों की लेखापरीक्षा की गई थी।

2011-12 तक देय 187 स्वायत्त निकायों/प्राधिकारियों से संबंधित कुल 533 वार्षिक लेखे जुलाई 2012 तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय में प्राप्त नही हुये थे। इन लेखाओं के ब्यौरे ***परिशिष्ट 3.2*** में दिये गये हैं और उनकी आयु-वार लम्बनता **तालिका 3.1** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 3.1: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं के आयु-वार बकाये

क्र.सं.	वर्षो की संख्या में विलम्ब	लेखाओं की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	0-1	166	1,096.10
2.	1-3	261	785.87
3.	3-5	26	35.21
4.	5-7	29	27.99
5.	7-9	14	13.53
6.	9 एवं अधिक	37	46.70
	कुल	**533**	**2,005.40**

तालिका 3.1 दर्शाती है कि ₹ 88.22 करोड़ के अनुदान से आवेष्टित 80 वार्षिक लेखे (15 प्रतिशत) पांच वर्षो से अधिक के लिये बकाये में थे। आगे जांच ने प्रकट किया कि 80 नगरपालिका समितियों, जिन्हें ₹ 1,426.25 करोड़ राशि के अनुदान 1982-83 से 2011-12 तक निर्मुक्त किए गए थे, से संबंधित 291 वार्षिक लेखे[1] (57 प्रतिशत) प्राप्त नहीं हुए थे। वार्षिक लेखाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकारी सी.ए.जी. के अधिनियम 1971 के अनुभाग 14 के प्रावधान आकर्षित करते हैं या नहीं।

3.3 प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि, इत्यादि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। राज्य में 29 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा के सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखाओं के देने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एस.ए.आरज) के जारी करने और इनके विधानसभा में प्रस्तुतिकरण को **परिशिष्ट 3.3** में निर्देशित किया गया है। लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और विधान सभा में एस.ए.आरज़ के रखने में विलम्बताओं के अनुसार स्वायत्त निकायों के बारम्बारता वितरण को **तालिका 3.2** में संक्षेपित किया गया है।

1 ***परिशिष्ट 3.2*** की क्रम संख्या 1 से 80 तक।

तालिका 3.2: लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के रखने में विलम्बतायें

लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्बतायें (महीनों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्ब के कारण	विधानसभा में एस.ए.आरज़ के प्रस्तुतिकरण में विलम्बतायें (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्ब के कारण
0 – 1	–	स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे तैयार नहीं किये गये थे।	0 - 1	1	विभागों द्वारा विलम्ब के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
1 - 6	11		1 - 2	–	
6 - 12	–		2 - 3	3	
12 - 18	2		3 - 4	1	
18 – 24	–		4 - 5	6	
24 एवं अधिक	14		5 एवं अधिक	2	
कुल	27			13	

इसके आगे अवलोकित किया गया कि 8[2] स्वायत्त निकायों ने अपने वार्षिक लेखे गत 15 वर्षो (1996 – 97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किये थे।

3.4 विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध – वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादन करने वाले विशेष सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वो वित्तीय परिचालनों के प्रक्रिया परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करे ताकि सरकार उनकी प्रक्रिया का अनुमान लगा सके। अन्तिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय सेहत और अपने व्यवसाय को चलाने में उनकी कार्य – कुशलता को प्रदर्शित करते हैं। लेखाओं के समय पर अन्तिमकरण करने के अभाव में, सरकार का निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है। परिणामतया, जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और कार्य – कुशलता को सुधारने के लिए शोधक उपाय, यदि अपेक्षित हो, समय पर नहीं किये जा सकते। विलम्ब के अतिरिक्त धोखेबाजी के जोखिम और जनता के धन के रिसाव की संभावना है।

सरकार में विभागाध्यक्षों को सुनिश्चित करना होता है कि उपक्रम ऐसे लेखे तैयार करें और इन्हें एक विशिष्ट समय – सीमा के अन्दर लेखापरीक्षा के लिए प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत करें। जून 2012 तक, इस प्रकार के पांच उपक्रमों में से चार ने 2008 – 09 तथा आगे भी अपने लेखे तैयार नही किये थे। 2007 – 08 की समाप्ति पर इन उपक्रमों में ₹ 4,269.96 करोड़ की राशि की सरकारी निधियां निवेशित थी। 31 मार्च 2008 को ₹ 522.74 करोड़ का सरकारी निवेश रखने वाले हरियाणा सड़क परिवहन के प्रोफार्मा लेखे 2008 – 09 से बकायों में

2 जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण: भिवानी, गुड़गांव, झज्जर, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

थे। यद्यपि लेखाओं को तैयार करने में बार-बार बकायों के बारे में टिप्पणी की गई थी, लेकिन इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया गया है। प्रोफार्मा लेखाओं के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश ***परिशिष्ट 3.4*** में दिए गए हैं।

3.5 दुर्विनियोजन, हानियां, गबन, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 2.33, जैसे कि हरियाणा को लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को महसूस करना चाहिए कि उसकी तरफ से धोखा अथवा उपेक्षा के माध्यम से सरकार द्वारा उठाई गई हानि या किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी की तरफ से धोखा या उपेक्षा से उत्पन्न किसी हानि, उस सीमा तक कि हानि में उसने अपने कार्य अथवा उपेक्षा से सहयोग दिया, के लिये वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जायेगा। इसके आगे, तत्रैव नियम 2.34 के अनुसार, गबन एवं हानियों के मामले प्रधान महालेखाकार को प्रतिवेदित किये जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 1.46 करोड़ से आवेष्टित सरकारी धन के दुर्विनियोजन, गबन, इत्यादि के 142 मामले प्रतिवेदित किये जिन पर जून 2012 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विघटन और आयु-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिया गया है और इन मामलों का स्वरूप ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है। जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट है, चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की आयु पार्श्वदृश्य तथा लम्बित मामलों की संख्या **तालिका 3.3** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन, हानियों, गबन, इत्यादि का पार्श्वदृश्य

लम्बित मामलों का आयु-पार्श्वदृश्य			लम्बित मामलों का स्वरूप		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि (₹ लाख में)	मामलों का स्वरूप/विशेषताये	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि (₹ लाख में)
0 - 5	23	25.11	चोरी	104	82.56
5 - 10	45	53.09			
10 - 15	22	41.63	सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	54	78.83
15 - 20	15	7.91			
20 - 25	22	16.23	**कुल**	**158**	**161.39**
25 एवं अधिक	15	2.49	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	16	14.93
कुल	**142**	**146.46**	**कुल लम्बित मामले**	**142**	**146.46**

मामलों के लम्बित रहने के लिये कारण **तालिका 3.4** में सूचीबद्ध किये गये हैं।

तालिका 3.4: दुर्विनियोजन, हानि, गबन, इत्यादि के बकाया मामलों के लिये कारण

लम्बित मामलों के अन्तिमकरण में विलम्बों के लिये कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i)	विभागीय तथा आपराधिक जांच की प्रतीक्षा में	2	8.05
ii)	विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	70	53.73
iii)	आपराधिक कार्यवाहियां पूर्ण हुई किन्तु राशि की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र मामले का कार्यान्वयन लम्बित	14	8.85
iv)	वसूली अथवा बट्टे खाते डालने के लिये आदेशों की प्रतीक्षा में	41	36.88
v)	न्यायालयों में लम्बित	15	38.95
कुल		**142**	**146.46**

कुल हानि मामलों में से 73 प्रतिशत मामले सरकारी धन/भण्डारों की चोरी से संबंधित थे, जो कि निर्देशित करता है कि सरकारी सम्पति/नकद इत्यादि की सुरक्षा के लिये उचित कदम, जैसे कि नियमों में निर्धारित है, विभागों द्वारा नही उठाये गये थे। इसके आगे, हानियों के 50 प्रतिशत मामलों के संबध में, विभागीय कार्रवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था और 29 प्रतिशत मामले, वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के केवल आदेशों की कमी के कारण बकाया थे। इसके आगे देखा गया कि चोरी/दुर्विनियोजन इत्यादि के कारण हानियों के 142 मामलों में से 119 मामले पांच वर्षो से अधिक पुराने थे तथा इनमें से 15 मामले 25 वर्षो से अधिक पुराने थे। इन मामलों को अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई थी बल्कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध समय पर कार्रवाई भी नहीं हुई।

3.6 लेखाओं का गलत वर्गीकरण

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष – 800 का परिचालन

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' तथा '800-अन्य व्यय' की बुकिंग अपारदर्शी है क्योंकि ये शीर्ष उन स्कीमों, कार्यक्रम इत्यादि को प्रकट नहीं करते, जिनसे वे संबंध रखते हैं। यह उस व्यय को समायोजित करते हैं जो उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्षो के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

2010-11 के दौरान ₹ 5,661.35 करोड़ (कुल व्यय का 15 प्रतिशत) की राशि का व्यय राजस्व तथा पूंजी अनुभाग में 10 मुख्य शीर्षो के विरूद्ध मुख्य शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत था। विद्युत सब्सिडी, शहरी विकास, मुख्य एवं मध्यम सिंचाई, पर्यटन तथा सामाजिक सेवाओं पर कुल/मुख्य व्यय वित्त लेखाओं में स्पष्ट रूप से दर्शाने की बजाए बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत था।

इसी प्रकार, ₹ 4,521.59 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 15 प्रतिशत) की राशि की राजस्व प्राप्तियां 22 मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत वर्गीकृत थी। शहरी विकास, पशु पालन, मुख्य सिंचाई, पुलिस, अन्य प्रशासनिक सेवाएं इत्यादि राज्य आबकरी, सहायता अनुदान तथा कर-भिन्न राजस्व की मुख्य राशि इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत थी।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800 - अन्य व्यय/प्राप्तियां' के अन्तर्गत बृहद् राशियों का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन करने में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

हुडा को जमीन बेचने के कारण पशु पालन विभाग का कर-भिन्न राजस्व 2010-11 में ₹ 1.32 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 407.42 करोड़ हो गया। सरकारी भूमि की बिक्री के माध्यम से उत्पन्न निधियां पूंजीगत प्राप्तियों की बजाए राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत गलत वर्गीकृत की गई थी।

भारत सरकार लेखांकन मानक निर्धारित करते हैं कि सहायतानुदान, राज्य सरकार के राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और परिगणित किए जाने अपेक्षित थे, चाहे अनुदान किसी भी उद्देश्य से संवितरित किये गये थे। वर्ष 2011-12 के दौरान पालिका भवन, अम्बाला को जी.आई.ए. के रूप में वितरित ₹ 1.23 करोड़ राजस्व शीर्ष के बजाय पूंजी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किये गए थे।

3.7 व्यक्तिगत जमा खाता में निधियों का हस्तांतरण

व्यक्तिगत जमा खाता को हस्तांतरण, राज्य की समेकित निधि (सेवा मुख्य शीर्षों) में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। जब सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए धन जमा करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत जमा खाता (पी.डी.ए.) खोलने के लिए प्राधिकृत करती है तो प्रशासकों से वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस पर ऐसे खाते बन्द करने तथा अव्ययित शेषों को सरकारी खातों को वापस हस्तांतरण करने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष की समाप्ति पर 229 पी.डी.एज के पास ₹ 263.49 करोड़ के शेष थे जो राज्य की समेकित निधि को वापस क्रेडिट नहीं किए गए थे।

3.8 निष्कर्ष

आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन करना पूर्णतया प्रभावी नहीं था क्योंकि कई पहलुओं पर वित्तीय नियमों, कार्यप्रणालियों और निर्देशों की अपालना थी। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त विलम्ब थे जिसके कारण अनुदानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा संचालित करने के लिये संस्थाओं की पहचान नहीं हुई। स्वायत्त निकायों की एक बहुत बड़ी संख्या और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लम्बी अवधि से अपने अन्तिम लेखे तैयार नहीं किए थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सका। आगे सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामग्री की हानि, गबन, इत्यादि के मामलों की बहुत बड़ी संख्या थी जिनके लिए विभागीय कार्रवाई लम्बी अवधि से लम्बित थी। 2010-11 के दौरान बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800 - अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों तथा व्यय का 15 प्रतिशत वर्गीकृत की गई थी।

3.9 अनुशंसाएं

- उपयोग प्रमाण-पत्रों के समय पर प्रस्तुतिकरण पर नजर रखने के लिए सरकारी विभागों की आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। सरकार पूर्ववर्ती अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद ही आगे अनुदान जारी करने की यंत्रावली पर विचार करे।

- सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1972 के भाग 14 के अंतर्गत भारत के सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा आकर्षित करने वाले संस्थानों की पहचान को सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अनुदानग्राही संस्थानों से लेखाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार उपयुक्त उपायों पर विचार करे।

- स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से वार्षिक लेखाओं के समेकन तथा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

- चोरी, दुर्विनियोजन इत्यादि के प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

- वित्तीय रिपोर्टिंग में उच्च पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त की गई अथवा बढ़ाई गई बृहद राशियों को लघु शीर्ष '800 – अन्य व्यय' तथा '800 – अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत शामिल करने की बजाए स्पष्ट रूप से लेखाओं में दर्शाया जाना चाहिए।

चण्डीगढ़
दिनांक :

(ओंकार नाथ)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक :

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

राज्य पार्श्वक

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1, 1.3.1, 1.4.1 तथा 1.4.2 ; पृष्ठ 1)

क्र. सं.		विवरण		आंकड़े
क.	सामान्य डाटा			
1	क्षेत्र			44,212 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	क	2001 की जनगणना के अनुसार		2.11 करोड़
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार		2.54 करोड़
3	क	जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		478 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
	ख	जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=27.5 *प्रतिशत*)			14 *प्रतिशत*
5	क	साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत=64.8 *प्रतिशत*)		67.91 *प्रतिशत*
	ख	साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत=74.04 *प्रतिशत*)		76.64 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु-दर (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=47 प्रति 1000 सजीव जन्म)			51
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=63.5 वर्ष)			66.2 वर्ष
8	गिनी सहकारी कारण[1]			
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.30)		0.32
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.37)		0.36
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2011-12			₹ 3,09,326 करोड़
11	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर.[2] (2002-03 से 2011-12)			13.09 *प्रतिशत*
12	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर (2002-03 से 2011-12)		हरियाणा	17.47 *प्रतिशत*
13			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	14.46 *प्रतिशत*
14	जनसंख्या वृद्धि (2001-02 से 2010-11)		हरियाणा	19.90 *प्रतिशत*
15			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.90 *प्रतिशत*

	विवरण	आंकड़े (*प्रतिशत में*)		
ख	**वित्तीय आंकड़े**			
सी.ए.जी.आर		2002-03 से 2010-11		2002-03 से 2011-12
		सामान्य श्रेणी राज्य[3]	हरियाणा	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का	16.86	14.49	15.03
ख	स्वयं का कर राजस्व	16.74	16.43	16.97
ग	कर-भिन्न राजस्व का	12.84	8.30	11.24
घ	कुल व्यय का	14.58	15.79	15.68
ड	पूंजीगत व्यय का	21.25	32.05	32.15
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	15.41	19.20	17.71
छ	स्वास्थय पर राजस्व व्यय का	14.00	15.25	14.89
ज	वेतन एवं मजदूरियों का	13.43	15.92	14.21
झ	पेंशन का	16.89	19.46	17.56

स्रोत: वित्तीय डाटा, वित्तीय लेखाओं में आंकड़ों पर आधारित है। बी.पी.एल. (योजना आयोग तथा एन.एस.एस.ओ. डाटा 61वीं राऊंड), गिनी सहकारी कारण (योजना आयोग एंव एन.एस.एस.ओ. डाटा के गैर सरकारी अनुमान 61वीं राऊंड 2004-05 एम.आर.पी.), जन्म पर जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर (हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11, एस.आर.एस. बुलेटिन दिसंबर 2011 तथा भारतीय महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मामलों का मंत्रालय) तथा जनसंख्या की सघनता (भारत की जनगणना 2011, अनन्तिम जन संख्या योग, नीरज शेखर, निदेशक जनगणना परिचालक, हरियाणा द्वारा प्रकाशित)।

1 गिनी सहकारी कारण, आय संवितरण की असमानता का मापदण्ड है जहां शून्य पूर्ण समानता को सूचित करता है तथा एक पूर्ण असमानता को सूचित करता है।

2 सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर। [सी.ए.जी.आर. का परिकलन=(((अन्तिम आंकड़ा/पहला आंकड़ा)^1/समय वर्षों में)-1)*100]

3 सामान्य श्रेणी के तीन राज्य अर्थात् दिल्ली, गोवा तथा पुडुचेरी को छोड़कर।

परिशिष्ट 1.2

भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं प्रारूप

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

सरकारी लेखे का ढांचा: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषालय बिलों को जारी करके वसूल किए सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण और राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान में प्राप्त धन, भारत के संविधान की धारा 266 (1) के अन्तर्गत स्थापित 'राज्य की समेकित निधि' शीर्षक एक समेकित निधि बनाएगी।

भाग II: आकस्मिक निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अन्तर्गत स्थापित राज्य की आकसिमक निधि; अग्रदाय प्रकृति की है जो राज्य के राज्यपाल के अधिकाराधीन रखी जाती है ताकि राज्य विधायिका से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यन्त आवश्यक अप्रत्याशित व्ययों को पूरा किया जा सके। ऐसे व्यय हेतु और समान राशि के आकस्मिक निधि से आहरण हेतु विधायिका का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर लिया जाता है, तत्पश्चात् समेकित निधि से अग्रिमों की वापसी निधि को कर दी जाती है।

भाग III: लोक लेखा: अल्प बचतें, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, जमाओं, प्रेषणों आदि जैसे कुछ सम्पादनों से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का अंश नहीं होती, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा उन पर राज्य विधायिका द्वारा मतदान नहीं किया जाता।

परिशिष्ट

1.2

भाग ख: वित्त लेखाओं का प्रदर्शन

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

विवरणी	प्रदर्शन
वित्त लेखे दो खण्डों में भिभाजित होते है। खण्ड - I - सामान्य रूप से समझा आने वाले संक्षिप्त फार्म प्रारूप में सरकार के वित्तीय विवरणों को दर्शाता है वहीं इनका विस्तृत विवरण ख - II में दर्शाया जाता है। **खण्ड** I में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र नीचे दिए गए चार संक्षिप्त विवरण एवं लेखाओं व लेखा योजना पर टिप्पणियां शामिल होते है।	
विवरणी संख्या – 1	**वित्तीय स्थिति की विवरणी:** सरकार के दायित्व एवं परिसम्पत्तियों जो वर्ष के अंत तक होती है के समेकित ऑकडें इस विवरण में दर्शाये जाते है। सम्पत्तियॉ वित्तीय सरकारी परिसम्पतियॉ होती है जिन पर अभी तक का पूंजीगत व्यय लेखाकरण योजना के अतंर्गत ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया गया है।
विवरणी संख्या – 2	**प्राप्तियां एवं संवितरण की विवरणी:** यह वर्ष के दौरान सरकार द्वारा रखे जाने वाले लेखों के तीनों भागों यथा - समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा से किये गये सभी संवितरणों एवं प्राप्तियों का संक्षित विवरण् होता है। आगे, समेकित निधि में राजस्व व पूंजीगत खातों की प्राप्तियों एवं प्राप्तियों उवं व्ययों को अलग से दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या – 3	**प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)** इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां तथा भारत सरकार, अन्य संस्थान व बाजार से सरकार द्वारा लिए गए ऋणों से प्राप्तियॉ तथा सरकार द्वारा दिए ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियों को दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या – 4	**व्ययों की विवरणी (समेकित निधि)** इस विवरण में केवल कार्यो पर किए गये व्ययों को ही नही वरन् कार्यो के उदेश्यों (गतिविधियॉ) पर किये गए व्ययों (व्यय का उद्वेश्य) को भी संक्षिप्त में दर्शाया जाता है।
इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट है, **परिशिष्ट** 1 जिसमें सरकार के रोकड शेष और रोकड शेषों के निवेश का विवरण है। **दूसरे खण्ड** में तीन भाग होते है। प्रथम भाग में निम्न 6 विवरणियॉ होती है:	
विवरणी संख्या – 5	**संचित पूंजीगत व्ययों की विवरणी:** इस विवरणी में कार्यो में विस्तृत संचित पूंजीगत व्यय होते है, जिनके जोड विवरणी 1 में दर्शाये जाते है।
विवरणी संख्या – 6	**कर्जे तथा अन्य देनदारियों की विवरणी:** सरकार के कर्जो में द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) तथा ऋण व अग्रिम जो भारत सरकार से प्राप्त किए गए, शामिल है। यह दोनो मिलकर राज्य सरकार के लोक ऋण में शामिल है। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरणी, अन्य देनदारियॉ जो कि लोक लेखे में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत शेष है, को दर्शाती है। देनदारियॉ है। इस विवरणी में देन दारी सेवाओं पर टिपपणी जैसे राजस्व प्राप्तियों से अदा किए गए निवल ब्याज प्रभार की मात्रा पर टिप्पणी शामिल होती है।
विवरणी संख्या – 7	**सरकार द्वारा दिये ऋण की विवरणी:** राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम विवरणी - 1 में तथा वसूली संवितरण विवरणी संख्या 2,3 व 4 में दर्शाये जाते है। इसमें ऋण एवं अग्रिम संक्षिप्त रूप क्षेत्र एवं ऋणी समूह अनुसार दर्शाया जाते है। इसमें नीचे उन ऋणों की बकाया वसूली के सम्बन्ध में टिप्पणी होती है जिनका विस्तृत विवरण महालेखाकार कार्यालय द्वारा तथा राज्य सरकार के विभागों द्वारा रखा जाला है।
विवरणी संख्या – 8	**राज्य सरकार द्वारा प्रदत सहायतानुदान की विवरणी:** समूह अनुसार सहातानुदान प्राप्त संगठनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसमें अनुदान के प्रकार के ऊपर टिप्पणी भी शामिल होती है।
विवरणी संख्या – 9	**सरकार द्वारा प्रदत गारंटी की विवरणी:** वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानिय निकायों व अन्य संगठनों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों एवं गारंटियों की धन राशि जो वर्ष के अंत बकाया हो का विवरण इसमें होता है।
विवरणी संख्या – 10	**भारित एवं दतमत व्यय की विवरणी:** इस विवरणी में भारित एवं इतमत व्ययों का विवरण होता है।

विवरणी	प्रदर्शन
खण्ड - 2, भाग - 3 - इसमें खण्ड - 1 व खण्ड - 2 के भाग - 1 संबंधित विवरणियों में दिये लघु शीर्षों के लेन देनों से संबंधित विस्तृत विवरणों को दर्शाने वाली नौ विवरणियाँ होती है।	
विवरणी संख्या – 11	**लघु शीर्ष अनुसार राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण:** इसमें सरकार की राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण होता है।
विवरणी संख्या – 12	**लघु शीर्ष अनुसार राजस्व व्ययों की विस्तृत विवरणी:** इसमें सरकार के राजस्व व्ययों का विस्तृत विवरण होता है। इसमें योजनेतर तथा योजनागत व्ययों को अलग - अलग दर्शाया जाता है और पूर्व वर्ष के कार्यो के साथ उनकी तुलना भी दर्शाई जाती है।
विवरणी संख्या – 13	**पूंजीगत व्ययों की विस्तृत विवरणी:** इसमें सरकार के पूंजीगत व्ययों का विस्तृत विवरण होता है। इसमें योजनागत व योजनेतर व्ययों को अलग - अलग दर्शाया जाता है और पूर्व वर्ष के व्ययों के साथ दनकी तुलना भी दर्शाई जाती है। संचित पूंजीगत व्यय जो वर्ष के अंत तक होते है उन्हें भी इसमें दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या – 14	**सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी:** इस विवरणी में चालू वर्ष व गत व गत वर्ष में सरकार के हिस्सा पूंजी व ऋणपत्रों में किए गए विभिन्न प्रतिष्टानों में निवेशों की स्थिति को दर्शाया जाता है। इसमें शेयर्स के प्रकार उनकी मूल कीमत व प्राप्त लाभांश को भी दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या – 15	**आहरण एवं अन्य दायित्वों की विवरणी:** इसमें आहरणों (सरकार द्वारा बाजार से लिए गए व भारत सरकार से लिए गए ऋणों) की लघु शीर्ष अनुसार व लिए गए सभी ऋणों की भुगतान तिथि एवं उनके पुनर्भुगतान का विवरण इस विवरणी में दर्शाया जाता है। यह विवरणी संख्या 6 में भाग 1 के खण्ड 11 से ततसंबधित विस्तृत विवरणी है।
विवरणी संख्या – 16	**सरकार द्वारा प्रदत ऋण एवं अग्रिमों की विवरणी:** इस विवरणी में सरकार द्वारा प्रदत ऋणों एंव अग्रिमों, उनके बदले हुए ऋण शेषों, बट्टे खाते डाले ऋणों, ऋणों से प्राप्त ब्याज इत्यादि को दर्शाया जाता है। इसमें योजनागत ऋणों को भी अलग से दशय़ा जाता है। यह विवरणी संख्या 7 के भाग - 1 खण्ड 11 से ततसंबधित विस्तृत विवरणी है।
विवरणी संख्या – 17	**राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्ययों की निधियों के स्त्रोत एंव उनके क्रियान्वयन की विस्तृत विवरणी:** इसमें पूंजीगत एवं अन्य व्ययों (राजस्व लेखों को छोडकर तथा व्यय के लिए निधि के अन्य स्त्रोतों) के विस्तृत विवरण को दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या – 18	**आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन - देनों की विस्तृत विवरणी:** इस विवरणी में वर्ष के दौरान आकस्मिक निधि पर प्रभारित व्ययों, निधि के विनोयोजन, व्ययों प्रतिपूर्ति धनराशि आदि को दर्शाया जाता है। इसमें लोक लेखा के लेन - देनों का विस्तृत विवरणी भी होता है।
विवरणी संख्या – 19	**चिन्हित शेषों की विस्तृत विवरणी:** इस विवरणी में लोक लेखा की संचित निधि से किए गए निवेशों का विस्तृत विवरण होता है।

परिशिष्ट 1.3

भाग कः वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य सरकार द्वारा उनके वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत (**परिशिष्ट 1.2 का भाग ख**) विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्ती हेतु ते.वि.आ. द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि जी.एस.डी.पी. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, जैसे मुख्य वित्तीय योगों राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जी.एस.डी.पी. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्ती हेतु उत्प्लावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई है, कि संसाधनों का संचलन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग जी.एस.डी.पी. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षो हेतु जी.एस.डी.पी. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में प्रवाह

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,51,607	1,82,502	2,22,031	2,64,149	3,09,326
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	17.76	20.38	21.66	18.97	17.10

स्रोतः निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

नोटः आंकड़े, अस्थायी अनुमान 2009-10, त्वरित अनुमान 2010-11 तथा अग्रिम अनुमान 2011-12 पर हैं।

वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शर्तों की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर के उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/ जी.एस.डी.पी. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के सम्बन्ध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	[(चालू वर्ष राशि/गत वर्ष राशि)-1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(गत वर्षों की वित्तीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की वित्तीय देयताएं)2]*100
ब्याज फैलाव	जी.एस.डी.पी. वृद्धि-औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के *प्रतिशत* के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक + अन्त शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
वित्तीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां <u>घटा</u> सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेत्तर राजस्व व्यय-ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

परिशिष्ट 1.3

भाग खः राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 की हरियाणा अधिनियम संख्या 6)

सरकार के राजकोषीय प्रचालन में राजस्व घाटे का प्रगतिशील विलोपन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता से सुसंगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और पारदर्शिता द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए तथा मध्यम कालिक रूपरेखा में राजकोषीय नीति का संचालन करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: -

1. (क) यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, कहा जा सकता है।

(ख) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -

(क) ''बजट'' से अभिप्राय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन हरियाणा राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण,

(ख) ''चालू वर्ष'' से अभिप्राय है, आगामी वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष;

(ग) ''आगामी वर्ष'' से अभिप्राय है, वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है;

(घ) ''वित्तीय वर्ष'' से अभिप्राय है, प्रथम अप्रैल से शुरू होने वाला तथा ठीक आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;

(ड.) ''जी.एस.डी.पी.'' से अभिप्राय है, चालू बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद;

(च) ''राजकोषीय घाटा'' राजस्व प्राप्तियों, कर्जो की वसूली तथा गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से संकलित संवितरण (शुद्ध ऋण के पुनः भुगतान) से आधिक्य है;

(छ) ''राजकोषीय सूचक'' ऐसे सूचक हैं जो राज्य सरकार की राजकोषीय अवस्था के मूल्यांकन के लिए विहित किए जाएं।

(ज) ''राजकोषीय लक्ष्य'' राजकोषीय सूचकों के लिये संख्यात्मक उच्चक मूल्य तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (टी.आर.आर.) का या जी.एस.डी.पी. का अनुपात है;

(झ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ण) ''पूर्व वर्ष'' से अभिप्राय है, चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष;

(ट) ''राजस्व घाटा'' से अभिप्राय है, राजस्व खर्च तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (टी.आर.आर.) के बीच का अन्तर;

व्याख्या: कुल राजस्व प्राप्तियों में शामिल है राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (कर तथा कर रहित दोनों) तथा केन्द्र से चालू अन्तरण (अनुदानों तथा केन्द्रीय करों के राज्य के हिस्से को समाविष्ट करके)

(ठ) ''विशेष प्रयोजन साधन'' से अभिप्राय है, राज्य प्रतिभूतियों के विरूद्ध विशिष्ट प्रयोजनों के लिये वित्तीय संव्यवहारों या वित्तीय संस्थाओं या बाजार से कर्ज लेने के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विशिष्ट समानुदेशनों/कर्त्तव्य के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन या संस्थान;

(ङ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार; तथा

(ढ) ''कुल दायित्वों'' से अभिप्राय है, राज्य की संचित निधि तथा राज्य के लोक लेखे के अधीन दायित्वों तथा पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा विशेष प्रयोजन साधनों तथा प्रतिभूतियों सहित अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा लिए गए उधार जहां मूल तथा/या ब्याज, राज्य बजट में से दिए जाने हैं, भी शामिल होंगे।

3. राज्य सरकार:

(क) राजस्व घाटे का विलोपन करने तथा उसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिशेष बनाए रखने तथा पोषणीय स्तर पर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने तथा परिसम्पत्तियों के आधिक्य में या निधिकरण पूंजी खर्च के लिए दायित्वों के निर्वहन के लिए ऐसे अधिशेष, उपयोग हेतु समुचित उपाय करेगी;

(ख) लागत वसूली तथा साम्या का सम्यक् ध्यान रखते हुए कर रहित राजस्व को बढ़ाने के लिए नीतियां जारी करेगी; तथा

(ग) पूंजी खर्च की प्राथमिकता के लिए मानक अधिकथित करेगी तथा ऐसी खर्च नीतियां जारी करेगी जिनसे आर्थिक विकास, गरीबी घटाने तथा मानव कल्याण के उत्थान के लिए प्रोत्साहित करेगी।

4. राज्य सरकार निम्नलिखित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी, अर्थात्:

(क) राजकोषीय नीति उद्देश्यों की स्थापना में पारदर्शिता, लोक नीति के कार्यान्वयन तथा राजकोषीय सूचना का प्रकाशन ताकि लोक राजकोषीय नीति के संचालन तथा लोक वित्तों की स्थिति की संवीक्षा करने में समर्थ हों;

(ख) राजकोषीय नीति बनाने की प्रक्रिया में स्थिरता तथा प्रकथनीयता तथा रीति जिसमें राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को दृढ़ बनाए;

(ग) लोक वित्तों के प्रबन्धन में उत्तरदायित्व, जिसमें बजट बनाने की सत्यनिष्ठा शामिल है;

(घ) स्पष्टतौर पर सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के नीति निर्णय भावी पीढ़ी पर उनकी वित्तीय विदक्षा का सम्यक् ध्यान रखते हैं; तथा

(ङ) राजकोषीय नीति को बनाने तथा कार्यान्वित करने में तथा पब्लिक सैक्टर तुलन-पत्र की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के प्रबन्धन में दक्षता।

5. राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख बजट के साथ राजकोषीय नीति के निम्नलिखित विवरण रखेगी, अर्थात्: -

(क) बृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण;

(ख) मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण; तथा

(ग) राजकोषीय नीति योजना विवरण।

6. वृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण ऐसे रूप में होगा, जो विहित किया जाए, जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था का अति विचार, विकास तथा जी.एस.डी.पी. के क्षेत्रीय संयोजन का विश्लेषण, राज्य सरकार के वित्तों तथा भावी प्रत्याशाओं से संबंधित निर्धारण अन्तर्विष्ट होंगे।

7.(क) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में नीचे बताई गई पूर्वाधारणा के स्पष्ट कथन के साथ विहित राजकोषीय सूचकों के लिए तीन वर्षीय चल प्रवृत्ति लक्ष्य दिया जाएगा।

(ख) विशिष्टितया तथा उपधारा (1) में दिए गए उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,मध्यम कालिक राजकोषीय विवरण में राजकोषीय सूचकों के पीछे विभिन्न पूर्व धारणाओं तथा स्थिरता से संबंधित निम्नलिखित निर्धारण शामिल होंगे: -

(i) राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व खर्च के बीच का अतिशेष;

(ii) पूंजी प्राप्तियां, जिसमें उत्पादक परिसम्पत्तियां उत्पन्न करने के लिए उधार लेना शामिल है, का उपयोग; तथा

(iii) आगामी दस वर्ष के लिए जीवनांकिक आधार पर गणन किए गए अनुमानित वार्षिक पेंशन दायित्व।

परन्तु यदि इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्रथम तीन वर्ष की अवधि के दौरान जीवनांकिक आधार पर पेंशन दायित्व की गणना करना संभव नहीं है, तो राज्य सरकार उस अवधि के दौरान विकास दरों के रूख के आधार पर पूर्वानुमान करते हुए पेंशन दायित्वों का अनुमान लगा सकती है।

(8) राजकोषीय नीति योजना विवरण ऐसे रूप में होगा जो विहित किया जाए तथा इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा-

(क) कराधान, खर्च, उधारा लेने तथा अन्य दायित्व (जिसमें पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा विशेष प्रयोजन साधन तथा अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा लिए गए उधार जहां पुन: भुगतान के लिए दायित्व राज्य सरकार पर है, शामिल हैं), उधार देना, निवेश, अन्य आकस्मिक दायित्व, सार्वजनिक वस्तुओं/उपयोगिताओं पर उपभोग प्रभार तथा अन्य क्रिया-कलापों का विवरण जैसे कि प्रतिभूतियां तथा पब्लिक सैक्टर उपक्रम जो संभावित बजट विवक्षा रखते हैं के क्रिया-कलापों से संबंधित आगामी वर्ष के लिए राज्य सरकार की राजकोषीय नीतियां;

(ख) आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की प्राथमिक योजना;

(ग) कराधान, आर्थिक सहायता, खर्च, उधार लेना तथा सार्वजनिक वस्तुओं/उपयोगिताओं पर उपभोग-प्रभार से संबंधित राजकोषीय उपायों में किसी मुख्य परिवर्तन के लिए आधारभूत राजकोषीय उपाय तथा मूलाधार; तथा

(घ) धारा 4 में उपवर्णित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों की तुलना में राज्य सरकार की चालू नीतियों का मूल्यांकन, धारा 7 की उपधारा (1) में मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में उपवर्णित राजकोषीय उद्देश्य तथा धारा 9 में उपवर्णित राजकोषीय लक्ष्य होंगे।

9.(क) राज्य सरकार ऐसे लक्ष्य जो वह राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, विहित कर सकती है।

(ख) विशिष्टितया तथा पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार-

(i) वित्त वर्ष 2005-06 से उत्तरोत्तर राजस्व घाटा कम करेगी ताकि 2008-09 तक इसे शून्य तक लाया जा सके तथा इसके पश्चात् राजस्व अधिशेष उत्पन्न किया जा सके।

(ii) वित्त 2005-06 तक उत्तरोत्तर राजकोषीय घाटा कम करेगी ताकि मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष तक जी.एस.डी.पी. तीन *प्रतिशत* से अधिक न हो सके:

(iii) वित्त वर्ष 2005-06 से शुरू होने वाली तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि बकाया कुल ऋण आकस्मिक दायित्व सहित उस वर्ष के लिए अनुमानित जी.एस.डी.पी. के 28 *प्रतिशत* से अधिक न हो:

परन्तु राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, आंतरिक अशान्ति या प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय सुरक्षा या ऐसे अन्य आपवादित आधार जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें से उत्पन्न होने वाली राज्य सरकार की अप्रत्याशित वित्तीय मांग के आधार या आधारों के कारण इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकता है:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के संबंध में विवरण पूर्वोक्त लक्ष्यों से ऐसी घाटा राशि के अधिक होने के बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा।

10. (क) राज्य सरकार लोक हित में अपने राजकोषीय संक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा कम से कम यथा साध्य बजट को तैयार करने में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त उपाय करेगी;

(ख) विशिष्टितया तथा पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, बजट प्रस्तुत करते समय विस्तृत सूचना ऐसे रूप में, जो विहित की जाए, सहित निम्नलिखित पर प्रकटीकरण करेगी: -

(i) राजकोषीय सूचकों की गणना को प्रभावित कर रहे या प्रभावित करने वाले गणन मानकों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का;

(ii) भारतीय रिजर्व् बैंक से प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिमों/ओवर ड्राफ्ट द्वारा लिए गए उधारों के ब्यौरे का।

(ग) जब कभी राज्य सरकार बिना शर्त तथा तत्वत् मूल राशि का पुन: भुगतान तथा/या किसी पृथक विधिक परिसम्पत्तियों का ब्याज भुगतान करने के लिए वचन देती है तो ऐसा दायित्व इस प्रकार दर्शाना होगा जैसे कि राज्य का उधार हो।

11. (क) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री (जिसे, इसमें, इसके बाद ''वित्त मंत्री'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), बजट आकलनों के संबंध में प्राप्तियों तथा खर्च के रूख का अर्धवार्षिक पुनर्विलोकन करेगा तथा ऐसे पुनर्विलोकनों के निष्कर्ष राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखेगा।

(ख) जब कभी वहां राजकोषीय नीति योजना विवरण या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित अभ्यन्तर वर्ष लक्ष्यों के विषय में या तो राजस्व में कमी या खर्चे की अधिकता हो जाती है तो राज्य सरकार राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए तथा/या खर्च घटाने के लिए जिसमें राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा प्रयुक्त की जाने वाली प्राधिकृत राशियों की काट छांट भी शामिल है, समुचित उपाय करेगी:

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की संचित निधि पर प्रभारित खर्च या कोई अन्य खर्च जो किसी करार या संविदा के अधीन उपगत किया जाना अपेक्षित है, जो स्थगित या घटाया नहीं जा सकता, को लागू नहीं होगी।

(ग)(i) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के सूत्रबद्ध बाध्यताओं के निर्वहन करने में कोई भी परिवर्तन राज्य विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा।

(ii) जहां अकल्पित परिस्थितियों के कारण, कोई परिवर्तन इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार की सूत्रबद्ध बाध्यताओं के निर्वहन करने के लिए किया जाता है, तो वहां वित्त मंत्री राज्य विधानमण्डल के सदन में स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित के बारे में विवरण देगा: -

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के सूत्रबद्ध दायित्वों के निर्वहन करने में किसी परिवर्तन का;

(ख) चाहे ऐसा परिवर्तन मूलभूत है तथा वास्तविक या सम्भाव्य बजट निष्कर्ष से संबंधित है; तथा

(ग) प्रतिकारी उपाय, जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करे।

(घ) वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तावित कोई उपाय, जिससे राजस्व घाटे में या तो खर्च में बढ़ोतरी या राजस्व में कमी करके बढ़ोतरी की जा सकती है, ऐसी बढ़ोतरी या कमी तटस्थ करने के लिए प्रस्तावित प्रतिकारी उपाय के विवरण सहित होंगे तथा ऐसा विवरण राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा।

(ङ.) राज्य सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकार की स्वतंत्र एजेंसी स्थापित करेगी तथा ऐसे पुनर्विलोकनों को राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखेगी।

12. किसी बात के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशावित हैं, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई भी वृद्धि अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं चलाई जाएंगी।

13. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे तथा उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

14.(क) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, कर सकती है;

बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

15.(क) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

(ख) विशिष्टितया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किन्हीं के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्: -

(i) धारा 6 के अधीन वृहत् आर्थित रूपरेखा विवरण का प्रारूप;

(ii) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति का प्रारूप जिसमें धारा 7 के अधीन राजकोषीय सूचकों के लिए चल प्रवृत्ति लक्ष्य भी शामिल है;

(iii) धारा 8 के अधीन राजकोषीय नीति योजना विवरण का प्रारूप;

(iv) धारा 10 की उप - धारा (2) के अधीन प्रकटीकरण के लिए प्रारूप;

(v) अनुपालन लागू करने के उपाय;

(vi) धारा 11 के अधीन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पुनर्विलोकन की रीति; तथा

(vii) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है।

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा यदि सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाता है या सदन सहमत हो जाता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये, तो तत्पश्चात् यह नियम यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा तथापि कोई ऐसा उपान्तरण या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

परिशिष्ट 1.4

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े

(संदर्भः अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 5)

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग-क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	19,751	18,452	20,993	25,564	30,558
(i) कर राजस्व	11,618(59)	11,655(63)	13,220(63)	16,790 (66)	20,399(67)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	7,721(67)	8,155(70)	9,032(68)	11,082 (66)	13,384(66)
राज्य उत्पाद शुल्क	1,379(12)	1,419(12)	2,059(16)	2,366 (14)	2,832(14)
वाहनों पर कर	234(2)	239(2)	277(2)	457 (3)	740(4)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	1,763(15)	1,326(12)	1,294(10)	2,319 (14)	2,793(14)
भू-राजस्व	9 (-)	9(-)	9	10	11
माल एवं यात्रियों पर कर	379(3)	370(3)	392(3)	387 (2)	429(2)
बिजली पर कर एवं शुल्क	108(1)	106(1)	120(1)	130 (1)	166
अन्य कर	25	31	37	39	44
(ii) कर-भिन्न राजस्व	5,097(26)	3,238(18)	2,741(13)	3,421 (13)	4,722(15)
(iii) संघीय करों एवं शुल्को में राज्य का हिस्सा	1,634(8)	1,725(9)	1,775(8)	2302 (9)	2,682(9)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1,402(7)	1,834(10)	3,257(16)	3,051 (12)	2,755(9)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	10	7	9	8	9
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	214	352	213	233	294
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	19,975	18,811	21,215	25,805	30,861
5. लोक ऋण प्राप्तियां	844	3,888	8,455	9,843	10,767
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	776(92)	3,822(98)	8,320(98)	9,535 (97)	10,669(99)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	68(8)	66(2)	135(2)	308 (3)	98(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	20,819	22,699	29,670	35,648	41,628
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	-	-	193	168
8. लोक लेखे प्राप्तियां	9,433	12,308	15,789	16,595	19,260
9. भाग-ख व्यय/संवितरण (6+7+8)	30,252	35,007	45,459	52,436	61,056
भाग- ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	17,527	20,534	25,257	28,310	32,015
योजनागत	3,176(18)	3,918(19)	5,715(23)	6,251 (22)	7,792(24)
योजनेत्तर	14,351(82)	16,616(81)	19,542(77)	22,059 (78)	24,223 (76)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	5,230(30)	6,024(30)	7,755(31)	9,328 (33)	10,220 (32)
आर्थिक सेवाएं	6,222(35)	7,035(34)	7,530(30)	7,997 (28)	9,054 (28)
सामाजिक सेवाएं	5,739(33)	7,259(35)	9,902(39)	10,904 (39)	12,641 (39)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	337(2)	216(1)	70(-)	81 (-)	99
11. पूंजीगत व्यय	3,426	4,502	5218	4,031	5,372
योजनागत	3,411(100)	3,990(89)	4,203(81)	3,845 (95)	4,354 (81)
योजनेत्तर	15	512(11)	1,015(19)	186 (5)	1,018 (19)
सामान्य सेवाएं	171(5)	195(4)	187(4)	199 (5)	235 (5)
आर्थिक सेवाएं	2,333(68)	3,198(71)	3,961(76)	2,602 (65)	3,770 (70)
सामाजिक सेवाएं	922(27)	1,109(25)	1,070(20)	1,230 (31)	1,367 (25)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	286	332	830	722	627
13. कुल (10+11+12)	21,239	25,368	31,305	33,063	38,014
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	841	1,292	2,746	3,971	4,037
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	728(87)	1,178(91)	2,576(94)	3,846 (97)	3,812 (94)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	113(13)	114(9)	170(6)	125 (3)	225 (6)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	190	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	22,080	26,660	34,051	37,224	42,051
17. आकस्मिक निधि संवितरण	-	-	-	3	168
18. लोक लेखे संवितरण	8,818	11,442	14,320	15,324	17,051
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	30,898	38,102	48,371	52,551	59,270
भाग ग-घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(+) 2,224	(-)2,082	(-)4,264	(-)2,746	(-) 1,457
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-) 1,264	(-)6,557	(-)10,090	(-)7,258	(-) 7,153
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(+) 1,082	(-)4,218	(-)7,353	(-)3,939	(-) 3,152
भाग-घ अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,346	2,339	2,737	3,319	4,001
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1,572	2,053	1,947	2,223	3,306

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
25. अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	-	**92(5)**	**170(7)**	**670(8)**	**974(11)**
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज[4]	-	**0.04**	**0.05**	**1.16**	**1.51**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सरा.घ.उ.)[5]	**1,51,607**	**1,82,502**	**2,22,031**	**2,64,149**	**3,09,326**
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	**29,118**	**32,278**	**39,337**	**46,282**	**54,540**
29. ब्याज सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	**4,402**	**4,575**	**4,536**	**4,528**	**5,608**
30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	**6,341**	**5,188**	**4,757**	**5,515**	**10,690**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**23**	**29**	**15**	**21**	**8**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	**74.74**	**85.60**	**30.00**	**41**	**186**
भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वयं का कर राजस्व/जीएस.डी.पी.	0.077	0.064	0.060	0.063	0.066
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/जीएस.डी.पी.	0.034	0.018	0.012	0.013	0.015
केन्द्रीय अन्तरण/जी.एस.डी.पी.	0.011	0.009	0.008	0.009	0.009
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	0.140	0.139	0.141	0.125	0.123
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.075	1.375	1.491	1.293	1.244
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.825	0.809	0.807	0.856	0.842
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.314	0.330	0.364	0.374	0.368
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.409	0.409	0.374	0.329	0.337
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.161	0.177	0.167	0.122	0.141
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.153	0.170	0.161	0.116	0.135
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जीएस.डी.पी.	0.015	(-) 0.011	(-)0.019	(-)0.010	(-) 0.005
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.008	(-) 0.036	(-)0.045	(-)0.027	(-) 0.023
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जीएस.डी.पी.	0.007	(-) 0.023	(-)0.033	(-)0.015	(-) 0.010
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	(-) 1.759	0.318	0.423	0.378	0.204
प्राथमिक राजस्व शेष/जीएस.डी.पी.	0.005	(-) 0.022	(-)0.033	(-)0.021	(-) 0.012
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं/जी.एस.डी.पी.	0.192	0.177	0.177	0.180	0.176
वित्तीय देयताएं/आर.आर	1.474	1.749	1.187	1.811	1.785
परिमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	0.409	(-) 1.437	(-) 4.181	(-) 1.004	0.924
ऋण विमोचन (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	1.338	0.897	0.740	0.831	0.810
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर आवर्त	6.05	8.27	9.60	2.48	1.64
वर्तमान राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	4,300	572	(-)117	2,326	4,977
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.94	0.88	0.80	0.77	0.78

4 अर्थोपाय अग्रिमों पर ₹ 1.51 करोड़ का ब्याज 5.25 प्रतिशत से 11.25 की दर पर दिया गया था।

5 आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा के डायरेक्टोरेट द्वारा वर्तमान मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. आंकडें संचारित थे। 2009-10 के लिए जी.एस.डी.पी. के आंकडों अस्थाई अनुमान पर है, 2010-11 तुरन्त अनुमान और 2011-12 अग्रिम अनुमान पर है।

परिशिष्ट 1.5

भाग कः वर्ष 2011–12 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1.1 एवं 1.7.1; पृष्ठ 1 एवं 26)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
	2010-11	2011-12			2010-11	2011-12		
						नान–प्लान	प्लान	कुल
भाग कः राजस्व								
I. राजस्व प्राप्तियां	**25,563.67**		**30,557.59**	**I. राजस्व व्यय**	**28,310.19**	**24,222.91**	**7,791.98**	**32,014.89**
कर राजस्व	16,790.37	20,399.46		**सामान्य सेवाएं**	**9,328.14**	**10,155.47**	**64.36**	**10,219.83**
कर भिन्न राजस्व	3,420.93	4,721.65		**सामाजिक सेवाएं**	**10,904.08**	**7,092.54**	**5,549.13**	**12,641.67**
संघीय करों का राज्य का हिस्सा	2,301.75	2,681.55		शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य	5,896.80	4,463.04	1,825.43	6,288.47
योजनेत्तर अनुदान	1,765.98	1,246.51		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,068.39	730.31	467.77	1,198.08
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	749.74	674.54		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,211.75	1,352.50	960.36	2,312.86
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय पोषित प्लान	534.90	833.88		सूचना एवं प्रसारण	49.21	32.00	31.71	63.71
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	199.73	29.21	220.25	249.46
				श्रम एवं श्रम कल्याण	214.52	158.13	57.40	215.53
				समाज कल्याण एवं पोषण	2,257.00	321.53	1,986.21	2,307.74
				अन्य	6.68	5.82	-	5.82
				आर्थिक सेवाएं	**7,996.73**	**6,875.47**	**2,178.50**	**9,053.97**
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,360.74	752.50	668.59	1,421.09
				ग्रामीण विकास	967.86	201.48	895.69	1,097.17
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	900.74	745.28	251.94	997.22
				ऊर्जा	2,955.78	3,583.97	7.27	3,591.24
				उद्योग एवं खनिज	89.40	38.13	51.03	89.16
				यातायात	1,505.98	1,518.15	74.70	1,592.85
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	15.18	2.09	9.87	11.96
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	201.05	33.87	219.42	253.29
				सहायता अनुदान तथा अंशदान	**81.24**	**99.42**	-	**99.42**
II. भाग ख को अग्रनीत राजस्व घाटा	**2,746.52**		**1,457.30**	**भाग (ख) को अग्रनीत राजस्व सरप्लस**				
योग भाग क	28,310.19		32,014.89		28,310.19	24,222.91	7791.98	32,014.89
भाग ख– अन्य			**376.84**					
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	**493.42**			**III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट**				
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**8.00**		**9.24**	**IV. पूंजीगत परिव्यय**	**4,031.10**	**1,018.17**	**4,354.17**	**5,372.34**
				सामान्य सेवाएं	**198.94**	-	**235.32**	**235.32**
				सामाजिक सेवाएं	**1,229.71**	-	**1,367.41**	**1,367.41**
				शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य	75.68	-	75.79	75.79
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	18.51	-	50.03	50.03
				जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,046.68	-	1,175.30	1,175.30
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.66	-	1.00	1.00
				समाज कल्याण एवं पोषण	7.81	-	21.10	21.10
				अन्य	78.37	-	44.19	44.19

प्राप्तियां				संवितरण				
	2010-11	2011-12			2010-11	2011-12		
						नान-प्लान	प्लान	कुल
				आर्थिक सेवाएं	**2,602.45**	**1,018.17**	**2,751.44**	**3,769.61**
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	196.82	1,017.73	13.86	1,031.59
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	760.61	-	887.29	887.29
				ऊर्जा	653.95	-	801.60	801.60
				उद्योग एवं खनिज	0.67	-	20.37	20.37
				यातायात	972.20	0.44	1,008.32	1,008.76
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	18.20	-	20.00	20.00
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**233.05**		**294.12**	**V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**721.87**	**262.86**	**364.21**	**627.07**
बिजली परियोजनाओं से	6.91	30.07		बिजली परियोजनाओं हेतु	223.56		157.09	157.09
सरकारी कर्मचारियों से	159.46	175.51		सरकारी कर्मचारियों को	188.60	262.86	5.69	268.55
अन्यों से	66.68	88.54		अन्यों को	309.71	-	201.43	201.43
VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया		-	-	**VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया**	**2,746.52**	-	-	**1,457.30**
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	**9,842.73**		**10,766.83**	**VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**3,971.08**			**4,037.14**
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण		3,812.25		
अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	9,534.46	10,669.11	-	अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	3,846.52			
ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल संपादन		-	-	अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन		-		
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	308.27	97.72	-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	124.56	224.89		
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	**190.00**	-		**VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन**	**190.00**			-
IX. आकस्मिक निधि को स्थानान्तरित राशि	**2.83**		**167.52**	**IX. आकस्मिक निधि से व्यय**	**2.83**			**167.52**
X. लोक लेखा प्राप्तियां	**16,594.62**		**19,259.75**	**X. लोक लेखा संवितरण**	**15,324.41**			**17,051.18**
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	1,964.13	2,198.62		लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	1,216.33	1,480.09		
आरक्षण निधियां	317.04	442.62		आरक्षण निधियां	370.61	76.75		
उचन्त एवं विविध	602.69*	788.97		उचन्त एवं विविध	648.45	706.23		
प्रेषण	5,360.62	5,657.68		प्रेषण	5,055.54	5,442.80		
निक्षेप एवं अग्रिम	8,350.14	10,171.86		निक्षेप एवं अग्रिम	8,033.48	9,345.31		
XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट			-	**XI. समाप्ति पर नकद शेष**	**376.84**			**2,161.75**
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54	0.54		
				भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	(-) 1776.40	(-) 50.00		
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	14.04	2.83		
				नकद शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निवेश	2,138.66	2,208.38		
योग भाग-ख	27,364.65	30,874.30		योग	27,364.65			30 874.30

* एम.एच. 8680 - विविध सरकारी लेखाओं के अन्तर्गत क्रेडिट 599.20 + 3.49

परिशिष्ट

1.5

भाग खः 31 मार्च 2012 को हरियाणा सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1.1 एवं 1.7.1; पृष्ठ 1 एवं 26)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2011 को		देयताएं		31 मार्च 2012 को
32,485.98		**आन्तरिक ऋण**		39,342.84
	15,086.84	ब्याज युक्त बाजार ऋण	21,081.73	
	2.37	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.37	
	9.86	जीवन बीमा निगम से ऋण	6.85	
	5,462.24	अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	6,656.69	
	11,924.67	केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को विशेष प्रतिभूतियां जारी	11,595.20	
2,180.43		**केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		2,053.27
		1984-85 से पूर्व के ऋण		
	27.70	योजनेत्तर ऋण	25.50	
	2,114.90	स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	1,993.83	
	11.47	केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण	9.56	
	26.36	केन्द्रीय पोषित प्लान स्कीमों हेतु ऋण	24.38	
200.00		**आकस्मिक निधि**		200.00
8,219.16		**लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि**		8,937.68
3,065.03		**निक्षेप**		3,891.57
1,786.37		**आरक्षण निधियां**		2,152.24
		उचंत तथा विविध शेष		37.48
15.20		**प्रेषण शेष**		230.08
47,952.17				56,845.16
31 मार्च 2011 को		**परिसम्पत्तियां**		**31 मार्च 2012 को**
		स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		38,773.15
33,410.05	6,376.98	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	6,981.91	
	27,033.07	अन्य पूंजीगत परिव्यय	31,791.24	
		ऋण एवं अग्रिम		3,315.88
2,982.93	458.98	बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	586.00	
	2,001.40	अन्य विकास ऋण	2,114.29	
	522.55	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	615.59	
		अग्रिम		0.86
0.88		**उचन्त एवं विविध शेष**	-	-
45.25		**प्रेषण शेष**	-	-
		नकद		2,161.75
376.84	0.54	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54	
	(-) 1,776.40	रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-) 50.00	
	13.93	विभागीय नकद शेष	2.72	
	0.11	स्थायी अग्रिम	0.11	
	683.53	नकद शेष निवेश	370.74	
	1,455.13	आरक्षण निधि निवेश	1,837.64	
		सरकारी लेखाओं पर घाटा		12,593.52
11,136.22	2,746.52	(i) राजस्व आधिक्य/चालू वर्ष का घाटा	1,457.30	
	8,203.19	(ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	11,136.22	
	(-) 3.49	(iii) विविध सरकारी लेखे*		
	190.00	(iv) आकस्मिक निधि से विनियोजन		
47,952.17		कुल		56,845.16

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: – आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यत: नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरूद्ध है। परिणामत:, देय अथवा प्राप्य मदें अथवा स्टाक आंकड़ों में ह्रास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उचन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा ''भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप'' के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2012 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 10.04 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2012)।

परिशिष्ट

1.6

वर्ष 2011-12 के लिए 13 वें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/ प्रक्षेपणों की विवरणी

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 1)

(₹ करोड़ में)

विवरण	ते.वि.आ. द्वारा निर्धारण	एफ.सी.पी. में प्रक्षेपण	एम.टी.एफ.पी.एस. में प्रक्षेपण
सकल राज्य घरेलू उत्पाद			
स्वयं का कर राजस्व	20,171.15	20,751.50	20,006.89
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	13,396.52	4,576.79	4,287.08
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	33,567.67	25,328.29	24,293.97
योजनेतर राजस्व व्यय	17,173.79	23,490.49	24,861.43
योजनागत राजस्व व्यय		7,326	9,817.44
वेतन	6,843.20	8,760.00	10,279.98
ब्याज भुगतान	4,006.69	4,125.40	4,344.56
पेंशन	2,133.25	3,250	3,250
कुल परिदान			4,025.65
परिदान-विद्युत		3,320.76	3,576.58
परिदान-अन्य			449.06
राजस्व घाटा	शून्य	शून्य	
राजकोषीय घाटा		जी.एस.डी.पी का 3 प्रतिशत	
बकाया ऋण		जी.एस.डी.पी का 22.6 प्रतिशत	
देयता		54,319	52,702

परिशिष्ट 1.7

मुख्य घटकों के संबंध में कर राजस्व के संग्रहण तथा उनके संग्रहण पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा

(संदर्भः अनुच्छेद 1.3.1; पृष्ठ 7)

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
कर राजस्व					
बिक्रियों, व्यापारों इत्यादि पर कर	2007-08	7,720.98	50.64	0.66	
	2008-09	8,154.73	65.92	0.81	
	2009-10	9,032.37	78.48	0.86	
	2010-11	11,082.01	87.82	0.79	0.75
	2011-12	13,383.69	87.74	0.65	
वाहनों पर कर	2007-08	233.79	5.47	2.34	
	2008-09	239.30	8.00	3.34	
	2009-10	277.07	11.32	4.09	
	2010-11	457.36	0.04	0.01	3.71
	2011-12	740.15	0.02	0.003	
राज्य उत्पाद	2007-08	1,378.81	12.95	0.94	
	2008-09	1,418.53	18.46	1.30	
	2009-10	2,059.02	20.48	0.99	
	2010-11	2,365.81	21.57	0.91	3.05
	2011-12	2,831.89	22.39	0.79	
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	2007-08	1,763.28	12.04	0.68	
	2008-09	1,326.39	16.31	1.23	
	2009-10	1,293.57	13.72	1.06	
	2010-11	2,319.28	5.06	0.22	1.60
	2011-12	2,793.00	5.58	0.20	
माल एवं यात्रियों पर कर	2007-08	379.39	1.13	0.30	
	2008-09	370.29	1.50	0.41	
	2009-10	391.45	1.94	0.50	
	2010-11	387.14	1.94	0.50	
	2011-12	429.32	2.03	0.47	

परिशिष्ट 1.8

अंतिम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2012 को)

(संदर्भः अनुच्छेद 1.6.3; पृष्ठ 23)

क्र.सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2011-12 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)		
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिकतः कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	20.52	7.02	2007-08
2.	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	29.81	1.07	2007-08
3.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	10.89	321.62	2010-11
4.	हरियाणा टैनरीज लिमिटेड, चण्डीगढ़	1.17	10.57	2010-11
5.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	185.74	65.50	2009-10
6.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	1.81	25.82	2010-11
7.	हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	2.65	5.50	2010-11
8.	हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड, पंचकूला	2,677.16	103.53	2010-11
9.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकूला	1,697.12	22.09	2008-09
10.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकूला	905.80	3,819.86	2010-11
11.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हिसार	823.19	2,686.09	2010-11
12.	हरियाणा वित्त निगम	201.83	134.03	2010-11
कुल		**6,557.69**	**7,202.70**	

परिशिष्ट 1.9

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध–वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी

(संदर्भः अनुच्छेद 1.6.4; पृष्ठ 23)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	ह्रास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया ह्रास	आवर्त	निवल लाभ/हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिलाभ (9+10)	पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कृषि विभाग (बीज डीपो स्कीम)	1987-88	-	-	-	-	0.03	(-) 0.10	-	(-) 0.10	-
2.	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3.	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2006-07	25.20	21.58	0.09	0.01	15.95	1.26	1.48	2.74	13
4.	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2010-11	3,721.20	3,257.04	-	-	3,734.50	13.20	-	13.20	0.41
5.	यातयात विभाग हरियाणा परिवहन	2007-08	522.74	487.40	529.25	0.04	595.79	(-) 115.30	28.14	(-) 87.16	-
	कुल		**4,269.96**	**3,767.70**	**529.34**	**0.05**	**4,347.94**	**(-) 100.81**	**29.62**	**(-) 71.19**	**21.15**

परिशिष्ट 1.10

सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी मूलभूत संरचना के अन्तर्गत पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.4; पृष्ठ 28)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	पूर्णता की तारीख
1.	फरीदाबाद में दिल्ली-आगरा रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	6.94	बी.ओ.टी.	29 सितम्बर 2000
2.	यमुनानगर-पिपली-पेहोवा मार्ग पर कुरूक्षेत्र में दो लेन वाला रेलवे ओवर ब्रिज	लोक निर्माण विभाग	16.00		मार्च 2007
3.	फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़-सोहना मार्ग पर लेवल क्रासिंग सं. 575-बी के बदले में रेलवे ओवर ब्रिज तक पहुंचने के लिए दो लेन मार्ग का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	24.00		सितम्बर 2000
4.	औद्योगिक पार्क, सैक्टर-33-34, फरीदाबाद का विकास	हुडा	60.00	एम.ओ.आई.	26 जून 2009
5.	सैक्टर 3, पंचकुला में क्रिकेट स्टेडियम का उन्नयन तथा पट्टे पर देना	हुडा	4.00	बी.ओ.टी.	21 दिसम्बर 2007
6.	सैक्टर 38, गुड़गांव में क्रिकेट स्टेडियम का उन्नयन तथा पट्टे पर देना	हुडा	4.00	बी.ओ.टी.	25 मार्च 2008
7.	100 गांवों में 100 रिजर्वड ओसमोसिस संयंत्रों का प्रतिष्ठापन	जन स्वास्थ्य विभाग	11.25	बी.ओ.टी.	31 मार्च 2010
8.	अबूब शहर में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	5.70		पूर्ण किया गया
9.	पंचकूला में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	2.21		पूर्ण किया गया
10.	हिसार में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	2.21		पूर्ण किया गया
11.	नारनौल में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	2.21		पूर्ण किया गया
12.	रोहतक में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	5.16		पूर्ण किया गया
13.	करनाल में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	3.77		पूर्ण किया गया
14.	कुरूक्षेत्र में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	5.63		पूर्ण किया गया
15.	फरीदाबाद में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	3.90		पूर्ण किया गया
16.	जींद में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	2.21		पूर्ण किया गया
17.	यमुनानगर में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	3.90		पूर्ण किया गया
18.	झज्जर पावर ट्रांसमिशन परियोजना	एच.वी.पी.एन.एल.	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	जनवरी 2012
19.	गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा	18.30	सेवा करार	पूर्णमार्च 2010
20.	गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा	9.53	सेवा करार	31 मार्च 2010
	कुल		572.92		

परिशिष्ट 1.11

सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के अन्तर्गत मूलभूत संरचना कार्यान्वयन का ब्यौरा

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.4; पृष्ठ 28)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
1.	गुड़गांव-फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़-सोहना मार्गों का डिजाईन, अभियान्त्रिकी, वित्त, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण	लोक निर्माण विभाग	180.00	बी.ओ.टी.	31 जनवरी 2009	जून 2012 में जारी अस्थायी कम्पलीशन सार्टिफिकेट तथा सड़क पहले से ही सार्वजनिक प्रयोग में है
2.	कुण्डली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रैसवे का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	2,545.00	बी.ओ.टी.	14 नवम्बर 2005	31 दिसम्बर 2009 तक आंशिक पूर्णता तथा सम्पूर्ण परियोजना मई 2013 तक पूर्ण की जानी है
3.	गुड़गांव में मनोरंजन पार्क का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	70.50	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	सम्पूर्ण परियोजना दिसम्बर 2012 तक पूर्ण की जानी है
4.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, गुड़गांव	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	नौ वर्षों की अवधि के दौरान तीन चरणों में कार्यान्वित की जानी है
5.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, झज्जर	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	नौ वर्षों की अवधि के दौरान तीन चरणों में कार्यान्वित की जानी है
6.	यूनिटेक विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, कुण्डली-सोनीपत	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	22,000.00	संयुक्त उद्यम	04 अप्रैल 2007	दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है
7.	पेट्रोकैमीकल हब, पानीपत	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	3,730.00	संयुक्त उद्यम	14 अप्रैल 2006	2016 तक दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है
8.	नैनोसिटी, पंचकुला	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	1,846.00	संयुक्त उद्यम	31 अक्तूबर 2006	दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है
9.	यूरोपियन टेक्नोलोजी पार्क, फरीदाबाद	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	1,448.00	संयुक्त उद्यम	10 अक्तूबर 2006	दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है
10.	सैक्टर 29, गुड़गांव में आडीटोरियम भवन को पट्टे पर देना	एच.यू.डी.ए.	40.00	बी.ओ.टी.	15 फरवरी 2008	फरवरी 2010
11.	दिल्ली मेट्रो सिकन्दरपुर से एन.एच.-8 गुड़गांव तक मेट्रो लिंक का विकास	एच.यू.डी.ए.	900.00	बी.ओ.टी.	16 जुलाई 2009	जुलाई 2012
12.	सामान्य सेवा केन्द्र स्कीम	हारट्रोन	18.00	बी.ओ.टी.	17 अप्रैल 2007	वर्तमान में निष्क्रिय। वैकल्पिक मॉडलों का अध्ययन किया जा रहा है। आई.टी. विभाग विश्लेषण कर रहा है तथा नए मॉडल विकसित करेगा।
13.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	39.78	बी.ओ.ओ./बी.ओ.ओ.टी.	19 नवम्बर 2009	18 नवम्बर 2014
14.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	11.22	बी.ओ.ओ./बी.ओ.ओ.टी.	25 नवम्बर 2009	24 नवम्बर 2014
15.	213 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत विस्तृत कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना	स्कूल शिक्षा	47.00	बी.ओ.ओ./बी.ओ.ओ.टी	03 मार्च 2010	अप्रैल 2015
	कुल		57,875.50			

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, की विवरणी

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1: पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचतें	बचतों की प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)					
1	2	राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	79.69	14.69	18
2	4	राजस्व	898.01	421.74	47
3	6	वित्त	3,292.88	51.37	2
4	7	योजना एवं सांख्यिकी	257.38	20.74	8
5	8	भवन तथा सड़कें	1,066.29	300.75	28
6	9	शिक्षा	6,804.31	882.37	13
7	10	तकनीकी शिक्षा	397.80	143.48	36
8	11	खेल तथा युवा कल्याण	116.62	30.95	27
9	12	कला तथा संस्कृति	15.02	7.88	52
10	13	स्वास्थ्य	1,420.00	222.05	16
11	14	शहरी विकास	84.53	30.68	36
12	15	स्थानीय सरकार	1,488.35	587.83	39
13	16	श्रम	31.42	7.93	25
14	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	140.57	18.63	13
15	19	एस.सीज, एस.टीज तथा अन्य बी.सीज का कल्याण	343.56	94.11	27
16	20	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,850.24	244.29	13
17	21	महिला और बाल विकास	577.80	83.90	15
18	22	भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	63.07	10.64	17
19	23	खाद्य तथा आपूर्ति	212.49	122.78	58
20	24	सिंचाई	1,370.70	409.81	30
21	25	उद्योग	81.01	11.76	15
22	27	कृषि	945.59	290.56	31
23	28	पशुपालन और डेयरी विकास	374.39	29.00	08
24	30	वन तथा वन्य जीवन	236.50	16.84	07
25	32	ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	1,315.91	130.63	10
26	33	सहकारिता	195.67	22.73	12
27	34	परिवहन	1,272.20	192.18	15
28	36	गृह	1,666.97	105.25	06
29	37	निर्वाचन	29.40	7.25	25
30	38	जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	1,447.36	105.35	07
31	40	ऊर्जा तथा बिजली	3,612.27	15.36	0
32	41	इलैक्ट्रानिक्स तथा आई.टी	24.30	16.79	69
33	42	न्याय प्रशासन	299.17	49.40	17
34	44	मुद्रण तथा स्टेशनरी	52.99	12.46	24
राजस्व (भारित)					
35	3	सामान्य प्रशासन	9.24	2.39	26
36	6	वित्त	4,532.29	380.05	08
पूंजीगत (दत्तमत)					
37	8	भवन तथा सड़कें	1,594.88	351.37	22
38	14	शहरी विकास	500.00	148.52	30
39	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	45.59	35.99	79
40	19	एस.सीज, एस.टीज एवं अन्य बी.सीज का कल्याण	2.84	1.84	65
41	20	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2.86	2.86	100
42	23	खाद्य तथा आपूर्ति	4,610.07	148.94	3
43	34	परिवहन	163.60	23.91	15
44	38	जनस्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	1,010.22	201.05	20
45	40	ऊर्जा तथा बिजली	984.10	182.50	19
46	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	1,159.79	532.72	46
पूंजीगत (भारित)					
47	8	भवन तथा सड़कें	10.00	4.54	45
48	44	लोक ऋण	7,955.67	2,944.26	37
		कुल	**54,645.61**	**9,673.12**	

परिशिष्ट 2.2

2011-12 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 41)

क्र. स.	अनुदानों की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	कारण/टिप्पणियां
1.	4-राजस्व	1.76	बाढ़ न होने के कारण ''2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 05-आपदा राहत निधि, 106- क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुन: चलाना'' शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 5 करोड़ का समग्र प्रावधान लौटाया गया। तत्पश्चात्, इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय उपगत हुआ। सरकार द्वारा इसके कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
2.	6-वित्त	52.65 तथा 0.64	''2049-ब्याज भुगतान, 01-आन्तरिक ऋण पर ब्याज, 101- बाजार ऋणों पर ब्याज, 99- ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज तथा 305- ऋण का प्रबन्ध'' शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा, कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
3.	24-सिंचाई	62.23	''2700-मुख्य सिंचा ई, 02- पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 800-अन्य खर्च, 99-ब्याज'' शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
4.		2.46	''2700-मुख्य सिंचाई, 02- पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 101-अनुरक्षण तथा म रम्मत, 98-अन्य अनुरक्षण व्यय, 99- उचंत, 94-स्टॉक को डेबिट,'' शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
5.		1.77	शीर्ष ''2700- मुख्य सिंचाई, 02- पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001- निर्देशन तथा प्रशासन, 89- विशेष राजस्व'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
6.		129.90	शीर्ष ''4701- मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजी गत परिव्यय, 06- जल के समान वितरण के लिए नया माईनर, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियन्ता'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
7		89.12	शीर्ष ''4701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07- नाबार्ड के अन्तर्गत पुराने/ विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियन्ता'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
8		0.38	शीर्ष ''4701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06- जल के समान वितरण के लिए नया माईनर, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता, 88-पेंशन प्रभार'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
9		23.89	शीर्ष ''4701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 99-स्थापन खर्चे'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
10		47.75	शीर्ष ''4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001- निर्देशन तथा प्रशासन, 97-निष्पादन'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।

क्र. स.	अनुदानों की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	कारण/टिप्पणियां
11		0.09	शीर्ष ''4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001- निर्देशन तथा प्रशासन, 88-पेंशन प्रभार'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
12		37.64	शीर्ष ''4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-विद्यमान चैनलों /ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
13		0.09	शीर्ष ''4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-विद्यमान चैनलों /ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 88-पेंशनरी प्रभार '' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
14		8.67	शीर्ष ''4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 14-दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001- निर्देशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
15		5.53	शीर्ष ''4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 13-नहरी प्रणालियों का आधुनिकीकरण तथा लाईनिंग, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
16		0.23	शीर्ष ''4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय , 16-विद्यमान चैनलों /ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निर्देशन तथा प्रशासन , 15-चैनलों की लाईनिंग, 799-उचंत, 99-उचंत, 94-स्टाक को डेबिट'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
17		0.35	शीर्ष ''4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 14-दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001- निर्देशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
18	लोक ऋण	83.92	शीर्ष ''6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, 109-अन्य संस्थाओं से ऋण, 101-बाजार ऋण, 72-8.3% हरियाणा राज्य विकास ऋण 2011-12'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
19		30.68	शीर्ष ''6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, 109-अन्य संस्थाओं से ऋण, 71-8% हरियाणा राज्य विकास ऋण 2011-12'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
	कुल	**579.75**	

परिशिष्ट 2.3

बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण दर्शाने वाले ब्यौरे

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 41)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	आहरित राशि		टिप्पणियां	लेखापरीक्षा की अवधि
		दिनांक	राशि (₹ लाख में)		
1	जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी	31 मार्च 2011	137.00	आई.डी.बी.आई. बैंक में रखी गई	दिसम्बर 2009 से दिसम्बर 2011
2	जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी	31 मार्च 2011	192.17		नवम्बर 2009 से दिसम्बर 2011
3	जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, झज्जर	31 मार्च 2011	186.73		अक्तूबर 2009 से दिसम्बर 2011
4	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़	14 मार्च 2011	150.00	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा सदस्य सचिव के खातों में रखी गई	अप्रैल 2010 से मार्च 2011
5	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला	31 मार्च 2011	3.91	बैंक खाते में जमा रखी गई	अप्रैल 2010 से मार्च 2011
6	प्रिंसीपल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरवाला, हिसार	31 मार्च 2011	6.50	बैंक खाते में जमा करवाई गई	नवम्बर 2007 से अप्रैल 2011
7	निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण हरियाणा	31 मार्च 2011	587.00	बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखी गई	अप्रैल 2010 से मार्च 2011
8.	प्रिंसीपल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार	31 मार्च 2011	10.76	बैंक खातों में रखी गई	जुलाई 2008 से जून 2011
9.	प्रिंसीपल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), करनाल	30 मार्च 2011	3.02	बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखी गई	मई 2010 से अप्रैल 2011
10	निदेशक, पुलिस अकादमी, मधुबन करनाल	31 मार्च 2012	88.21	प्रबंध निदेशक, हरियाणा लोक आवास निगम के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट तैयार किया गया	जुलाई 2011
11	निदेशक, पुलिस अकादमी, पंचकूला	27 मार्च 2012	15.00	प्रीरीट समिति, पंचकूला के बचत बैंक खाते में रखी गई	केन्द्रीय लेखापरीक्षा
12	महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकुला	28 मार्च 2012	22.74	प्रीरीट समिति, पंचकूला के बचत बैंक खाते में रखी गई	केन्द्रीय लेखापरीक्षा
13	महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकुला	28 मार्च 2012	73.02	प्रीरीट समिति, पंचकूला के बचत बैंक खाते में रखी गई	केन्द्रीय लेखापरीक्षा
14	महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकुला	31 मार्च 2012	900.00	प्रीरीट समिति, पंचकूला के बचत बैंक खाते में रखी गई	केन्द्रीय लेखापरीक्षा
15	महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकुला	22 मार्च 2012	150.00	प्रबंध निदेशक, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन, पंचकुला के माध्यम से यमुनानगर तथा सोनीपत जिलों में पुलिस कंट्रोल रूम के निर्माण के लिए राशि आहरित की गई।	केन्द्रीय लेखापरीक्षा
16	महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकुला	27 मार्च 2012	500.00	प्रबंध निदेशक, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन, पंचकुला के माध्यम से मधुबन स्पोर्टस काम्पलैक्स में पुलिस फोर्सो के आधुनिकीकरण, खेल मूलभूत संरचना के उन्नयन के लिए राशि आहरित की गई	केन्द्रीय लेखापरीक्षा
	कुल		**3,026.06**		

अर्थात ₹ 30.26 करोड़

परिशिष्ट 2.4

प्रकरणों के ब्यौरे जहां पूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.3.7; पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	पूरक
राजस्व (दत्तमत)					
1	3-सामान्य प्रशासन	122.20	119.88	2.32	4.90
2	4-राजस्व	761.18	476.27	284.91	136.83
3	5-आबकारी एवं कराधान	117.85	114.28	3.57	00.79
4	7-आयोजना एवं सांख्यिकी	255.61	236.64	18.97	1.77
5	8-भवन तथा सड़कें	1,059.79	765.53	294.26	6.50
6	9-शिक्षा	6,801.92	5,921.94	879.98	2.39
7	12-कला एवं संस्कृति	10.02	7.15	2.87	5.00
8	13-स्वास्थ्य	1,368.18	1,197.95	170.23	51.81
9	14-शहरी विकास	80.64	53.85	26.79	3.90
10	15-स्थानीय सरकार	1,114.55	900.52	214.03	373.80
11	19-एम.सीज, एस.टीज तथा अन्य बी.सीज का कल्याण	339.78	249.45	90.33	3.78
12	21-महिला तथा बाल विकास	524.79	493.90	30.89	53.02
13	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	60.44	52.43	8.01	2.63
14	24-सिंचाई	1,226.63	960.89	265.74	144.07
15	25-उद्योग	78.16	69.25	8.91	2.85
16	27-कृषि	915.68	655.04	260.64	29.91
17	28-पशु पालन तथा डेयरी विकास	372.82	345.39	27.43	1.56
18	30-वन तथा वन्य जीवन	233.36	219.66	13.70	3.15
19	36-गृह	1,621.86	1,561.72	60.14	45.10
20	37-निर्वाचन	24.52	22.16	2.36	4.88
	उप-योग	**17,089.98**	**14,423.90**	**2,666.08**	**878.64**
पूंजीगत (दत्तमत)					
21	8-भवन तथा सड़कें	1,573.88	1,243.51	330.37	20.99
22	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	42.76	9.59	33.17	2.83
23	38-जन स्वास्थ्य तथा जल आपूर्ति	991.00	809.17	181.83	19.22
24	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	956.91	627.07	329.84	202.88
	उप-योग	**3,564.55**	**2,689.34**	**875.21**	**245.92**
पूंजीगत (भारित)					
25	लोक ऋण	6,666.12	5,011.40	1,654.72	1,289.55
	उप-योग	**6,666.12**	**5,011.40**	**1,654.72**	**1,289.55**
	कुल योग	**27,320.65**	**22,124.64**	**5,196.01**	**2,414.11**

परिशिष्ट 2.5

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां पूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए, की विवरणी

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान एवं विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	आधिक्य
पूंजीगत (दत्तमत)							
1	24	सिंचाई	443.50	125.00	568.50	823.14	254.64
राजस्व (दत्तमत)							
2	42	न्याय प्रशासन	35.38	7.25	42.63	50.93	8.30
		कुल	**478.88**	**132.25**	**611.13**	**874.07**	**262.94**

परिशिष्ट 2.6

अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों के पुनर्विनियोजन का ब्यौरा

(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.3.8 पृष्ठ 43)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत(-)
1	1	विधान सभा	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा 103-विधान सभा सचिवालय 98-मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव	(ओ) 5.71 (एस) 9.93 (आर) (-) 0.05 15.59	14.12	(-) 1.47
2	2	राज्यपाल एवं मंत्री परिषद	2013-मंत्री परिषद् 105-मंत्रियों द्वारा ऐच्छिक अनुदान	(ओ) 40.60 (एस) 15.00 (आर) (-) 9.92 45.68	42.84	(-) 2.84
3	4	राजस्व	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-आपदा राहत निधि 101-आरक्षण निधियों तथा आपदा राहत निधि जमा खातों को हस्तांतरण 99-राज्य अंशदान	(ओ) 202.55 (एस) 136.83 (आर) (-) 170.99 168.39	137.17	(-) 31.22
4			02-बाढ़ एवं चक्रवात इत्यादि 106-क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत तथा पुर्नस्थापना	(ओ) 5.00 (आर) (-) 5.00	1.76	1.76
5			2030-स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन 02-गैर न्यायिक स्टाम्प 101-स्टाम्प की लागत 99-निरीक्षण स्टाफ	(ओ) 7.00 (आर) (-) 0.02 6.98	5.97	(-) 1.01
6			2053-जिला प्रशासन 093-जिला स्थापनाएं 99-स्थापना	(ओ) 98.61 (R) 4.08 102.69	96.26	(-) 6.43
7	6	वित्त	2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ 01-सिविल 104-उपदान	(ओ) 499.74 (आर) (-) 43.98 455.76	460.12	4.36
8			2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 92-एन.सी.आर.पी.बी. से ऋणों पर ब्याज	(ओ) 193.76 (आर) 57.59 251.35	24.38	(-) 226.97
9			91-8.5% करमुक्त राज्य सरकार के विशेष बॉडस (पावर बॉडस)	(ओ) 90.24 (आर) (-) 12.89 77.35	-	(-) 77.35
10			96-नाबार्ड के नैशनल रूरल क्रेडिट फण्ड से ऋण	(ओ) 97.49 (आर) (-) 10.16 87.33	91.99	4.66
11			101-बाजार ऋणों पर ब्याज 99-ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	(ओ) 1,451.27 (आर) (-) 104.58 1,346.69	1,351.40	4.71
12			123-राज्य सरकार द्वारा जी.ओ.आई. की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 93-लघु बचत संग्रहण पर ब्याज	(ओ) 1,257.05 (आर) (-) 87.60 1,169.45	1,162.16	(-) 7.29

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत(-)
13			115-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज 99-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	(ओ) 40.00 (आर) 60.00 100.00	1.51	(-) 98.49
14			305-ऋणों का प्रबंध 99-नए ऋणों के निर्गम पर व्यय	(ओ) 3.50 (आर) (-) 0.85 2.65	-	(-) 2.65
15			60-अन्य दायित्वों पर ब्याज 101-जमाओं पर ब्याज	(ओ) 3.50 (आर) 1.50 5.00	0.26	(-) 4.74
16			200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 97-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	(ओ) 10.34 (आर) (-) 6.36 3.98	66.65	62.67
17			05-आरक्षण निधियों पर ब्याज 101-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षण निधियों पर ब्याज 98-मूल्यह्रास आरक्षण निधि (मोटर परिवहन)	(ओ) 27.45	52.75	25.30
18			60-अन्य दायित्वों पर ब्याज 701-विविध 99-भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा राज्य सरकार के रोकड़ शेष की सूचना हेतु टेलीग्राम प्रभार	(ओ) 0.40	2.59	2.19
19	7	आयोजना एवं सांख्यिकी	3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं 102-जिला आयोजना मशीनरी 95-जिला योजना	(ओ) 152.12 (आर) (-) 0.03 152.09	143.09	(-) 9.00
20	8	भवन एवं सड़कें	3054-सड़कें एवं पुल 80-सामान्य 797-आरक्षण निधियों तथा जमा लेखाओं को/ से हस्तांतरण 99-सीआरएफ. - अंतर लेखा हस्तांतरण को/ से हस्तांतरण	(ओ) 150.00 (आर) (-) 4.16 145.84	73.69	(-) 72.15
21			001-निदेशन एवं प्रशासन 99-मुख्य शीर्ष 2059 - लोकनिर्माण से हस्तांतरित स्थापना प्रभारों का प्रोराटा हस्तांतरण	(ओ) 164.70	144.44	(-) 20.26
22			01-राष्ट्रीय राजमार्ग 337-रोड़ वर्क्स 99-राष्ट्रीय राजमार्ग का रख - रखाव तथा मरम्मत	(ओ) 7.00 (आर) (-) 0.99 6.01	2.72	(-) 3.29
23			2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 799-उचंत	(ओ) 3.00 (आर) 16.86 19.86	12.66	(-) 7.20
24			2216-आवास 05-सामान्य पूल आवास 001-निदेशन एवं प्रशासन 99-निदेशन एवं प्रशासन	(ओ) 5.01	7.17	2.16
25			4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य खर्चे 98-आईटी.आई. का सर्वोत्तम केन्द्र में उन्नयन (केन्द्रीय योजना)	(ओ) 7.50 (आर) (-) 2.04 5.46	3.90	(-) 1.56

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत(−)
26	9	शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा 01-बेसिक शिक्षा 101-सरकारी प्राथमिक विद्यालय 88-कक्षा I से V तक प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं की स्थापना	(ओ) 1,313.78 (आर) (-) 108.47 1,205.31	1,202.75	(-) 2.56
27			01-बेसिक शिक्षा 101-सरकारी प्राथमिक विद्यालय 98-कक्षा VI से VIII तक मिडल शिक्षा 98-स्थापना व्यय	(ओ) 855.43 (आर) 56.13 911.56	908.28	(-) 3.28
28	13	स्वास्थ्य	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - औषधि की अन्य प्रणालियां 101-आयुर्वेद 87-आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरियों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की कौंटीनेंस दवाईयों की खरीद तथा लघु कार्य	(ओ) 63.23 (आर) (-) 11.82 51.41	46.84	(-) 4.57
29			03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथिक 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 84-एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत राज्य हिस्से के रूप में सहायता अनुदान	(ओ) 35.00	23.02	(-) 11.98
30	14	शहरी विकास	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य शहरी विकास स्कीमें 051-निर्माण 96- पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर) विभाग के लिए प्रेरक पैकेज	(ओ) 50.00 (आर) (-) 30.00 20.00	24.67	4.67
31	21	महिला एवं बाल विकास	2236-पोषण 02-पोषक भोजन तथा बिवरेजिज का वितरण 101-विशेष पोषण कार्यक्रम 95-पूरक पोषण कार्यक्रम	(ओ) 120.50 (आर) (-) 28.88 91.62	93.27	1.65
32			2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 02-सामाजिक कल्याण 103-महिलाओं का कल्याण 87-महिला प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र तथा स्टाईपेंडरी स्कीमें 99-समर्थित एनजीओज को जी.आई.ए.	(एस) 5.06 (आर) (-) 0.47 4.59	6.62	2.03
33			102-बाल कल्याण 92-एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीमें (डब्ल्यू.सी.डी.)	(ओ) 240.95 (एस) 47.95 (आर) (-) 60.76 228.14	274.44	46.30
34	23	खाद्य एवं आपूर्ति	3456-सिविल आपूर्ति (I) 104-उपभोक्ता कल्याण निधि (2) 99-उपभोक्ता कल्याण निधि से व्यय	(ओ) 10.00	-	(-) 10.00
35			4408-खाद्य भण्डार और भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय 01-खाद्य 101-प्रापण एवं आपूर्ति 98-प्रभार्य स्थापना लागत	(ओ) 186.95 (आर) (-) 44.47 142.48	75.79	(-) 66.69
36			97-पूंजी पर ब्याज	(ओ) 300.00 (आर) (-) 26.18 273.82	323.82	50.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर:पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत(–)
37			02-भण्डारण और भाण्डागार 101-ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम 99-गोदामों का निर्माण	(ओ) 10.00 (आर) (-) 5.88 4.12	9.91	5.79
38	24	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 240.52 (एस) 72.25 (आर) (-) 23.58 289.19	82.30	(-) 206.89
39			89-विशेष राजस्व	(ओ) 44.17 (आर) (-) 11.07 33.10	9.40	(-) 23.70
40			92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 31.44 (आर) (-) 13.10 18.34	6.29	(-) 12.05
41			01-बहुद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 55.50 (एस) 4.75 (आर) (-) 2.70 57.55	3.41	(-) 54.14
42			89-विशेष राजस्व	(ओ) 23.61 (आर) (-) 7.18 16.43	0.62	(-) 15.81
43			92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 3.42 (आर) (-) 1.54 1.98	0.24	(-) 1.74
44			799-उचंत 99-उचंत 97-विविध अग्रिमों को क्रेडिट	(ओ) 0.02	(-) 3.24	(-) 3.26
45			24-एफ.सी. (XIII) वाणिज्यिक के अन्तर्गत जल क्षेत्र प्रबंध परियोजना 101-रख-रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख-रखाव व्यय	(एस) 53.02 (आर) (-) 25.52 27.50	7.54	(-) 19.96
46			18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 39.00 (एस) 8.00 (आर) (-) 11.18 35.82	18.58	(-) 17.24
47			92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 6.47 (आर) (-) 3.92 2.55	1.21	(-) 1.34
48			80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियंता	(ओ) 26.96 (आर) (-) 7.84 19.12	4.39	(-) 14.73
49			04-लोहारू नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 101-रख-रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख-रखाव व्यय	(ओ) 2.04 (आर) (-) 0.77 1.27	-	(-) 1.27
50			2701-मध्यम सिंचाई 08-जुई नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 13.19 (आर) (-) 5.44 7.75	6.02	(-) 1.73
51			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय	(ओ) 33.20 (आर) (-) 4.20 29.00	43.54	14.54

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर:पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत(−)
52			05-जवाहर लाल नेहरू परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 58.10 (एस) 5.05 (आर) 17.87 81.02	75.97	(-) 5.05
53			80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-सुधार, उन्नयन, परिचालन तथा रख-रखाव	(ओ) 33.00	42.39	9.39
54			18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 101-रख-रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख-रखाव कार्य	(ओ) 6.15 (आर) 1.50 7.65	12.10	4.45
55			2701-मध्यम सिंचाई 10-सिवानी लिफ्ट सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 10.35 (आर) (-) 0.17 10.18	14.18	4.00
56			101-रख-रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख-रखाव कार्य	(ओ) 1.56 (आर) 0.65 2.21	3.36	1.15
57			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना 800-अन्य व्यय 98-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 16.03 (आर) 2.97 19.00	14.83	(-) 4.17
58			4701-मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06-जल के समान वितरण के लिए नई माईनर 001-निदेशन एवं प्रशासन 98-नहर का निर्माण	(ओ) 30.00 (एस) 50.00 (आर) (-) 1.35 78.65	108.51	29.86
59			19-कौशल्या डैम 800-अन्य व्यय 98-नहरों का निर्माण	(ओ)11.00 (आर)0.79 11.79	14.38	2.59
60			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 001-निदेशन एवं प्रशासन 201-ड्रेनेज तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजना 99-बाढ़ सुरक्षा तथा आपदा के लिए तैयारी	(ओ)38.00 (एस)20.00 (आर)10.60 68.60	77.46	8.86
61			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार 001-निदेशन एवं प्रशासन 799-उचंत 99-उचंत	(ओ) 0.25	9.10	8.85
62			800-अन्य व्यय 98-नहरों का निर्माण	(ओ) 8.00 (आर) 3.40 11.40	12.44	1.04
63			13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण तथा लाईनिंग 800-अन्य व्यय 98-नहर का निर्माण	(ओ) 65.00 (आर) (-) 53.55 11.45	7.92	(-) 3.53

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत(-)
64			789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य में एस.सी. आबादी में जल के पुनरूद्धार में सुधार	(ओ) 35.00 (आर) (-) 26.83 8.17	0.84	(-) 7.33
65			16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-निर्माण कार्यों में सुधार तथा राज्य में एस.सी. आबादी में जल मार्गों के पुनरूद्धार में सुधार	(ओ) 20.00 (आर) (-) 3.56 16.44	9.07	(-) 7.37
66			14-दादूपुर नालवी सिंचाई परियोजना 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य में एस.सी. आबादी में भूजल का मीठे पानी में रिचार्ज	(ओ) 2.00 (आर) 0.95 2.95	1.29	(-) 1.66
67			4701-मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06-जल के समान वितरण के लिए नई माईनर 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए जल के समान वितरण के लिए नई माईनर में सुधार	(ओ) 33.00 (आर) 21.93 54.93	10.95	(-) 43.98
68			07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार	(ओ) 20.00 (आर) 18.40 38.40	3.51	(-) 34.89
69			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य में एस.सी. जनसंख्या क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा, पुनरूद्धार तथा आपदा प्रबंध	(ओ) 10.00 (आर) 1.60 11.60	2.94	(-) 8.66
70			201-ड्रेनेज तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजना 98-शहरी स्टार्म वाटर ड्रेनेज कार्य	(ओ) 7.00	5.02	(-) 1.98
71			4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16-विद्यमान चैनलों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार 800-अन्य व्यय 98-नहरों का निर्माण	(ओ) 29.00 (एस) 20.00 (आर) (-) 10.75 38.25	49.66	11.41
72			4701- मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06-जल के समान वितरण के लिए नई माईनर 800-अन्य व्यय 98-नहर का निर्माण	(ओ) 111.40 (एस) 35.00 (आर) (-) 20.00 126.40	151.10	24.70

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत(−)
73	27	कृषि	2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा 01-फसल पालन 277-शिक्षा 99-हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	(ओ) 109.12 (आर) (-) 10.07 99.05	88.93	(-) 10.12
74			2401-फसल पालन 105-मैन्योरज एवं फर्टीलाईजरज 98-रसायनिक उर्वरकों की खरीद और वितरण-कृषि विभाग के स्टाफ की निरंतरता	(ओ) 14.76 (आर) (-) 2.35 12.41	13.99	1.58
75	28	पशुपालन एवं डेयरी विकास	2403-पशुपालन 102-पशु एवं भैस विकास 95-अम्बाला, भिवानी, जींद, पेहोवा तथा सिरसा में गहन पशु विकास परियोजनाओं की स्थापना हेतु स्कीम	(ओ) 32.48 (आर) (-) 1.36 31.12	26.83	(-) 4.29
76	32	ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 101-पंचायती राज 82-पी.आर.आई. के वैट पर अधिभार	(ओ) 90.00 (एस) 62.80 152.80	121.40	(-) 31.40
77			003-प्रशिक्षण 98-सामुदायिक विकास 97-विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र नीलोखेड़ी का सुदृढीकरण	(ओ) 15.00	0.45	(-) 14.55
78			2505-ग्रामीण रोजगार 01-राष्ट्रीय कार्यक्रम 702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 88-राष्ट्रीय सम विकास योजना/पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि 99-सामान्य योजना	(ओ) 24.61 (एस) 13.71 (आर) 2.65 40.97	28.83	(-) 12.14
79	33	सहकारिता	2425-सहकारिता 001-निदेशन एवं प्रशासन 98-आरसी.एस., हरियाणा में फील्ड कार्यालय के सुदृढीकरण की योजना	(ओ) 29.46 (आर) (-) 3.28 26.18	27.33	1.15
80			4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय 108-अन्य सहकारिताओं में निवेश 94-एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम	(ओ) 4.21	2.33	(-) 1.88
81	36	गृह	2055-पुलिस 109-जिला पुलिस 99-जिला पुलिस बल	(ओ) 1,166.22 (आर) (-) 100.08 1,066.14	1,069.19	3.05
82	38	जल स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 79-उचंत	(ओ) 0.70 (आर) (-) 0.15 0.55	(-) 89.47	(-) 90.02
83			101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज का रख-रखाव 97-नहरी जल प्रभार	(ओ) 3.00 (एस) 211.42 (आर) 208.44 422.86	243.88	(-) 178.98
84			01-जलापूति 001-निदेशन एवं प्रशासन 96-कार्यकारी अभियंता तथा उनकी स्थापना नियमित/कनफर्मड मैकेनिकल स्टाफ	(ओ) 300.63 (एस) 19.69 (आर) 32.27 352.59	341.76	(-) 10.83

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत(−)
85			102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 97-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	(ओ) 277.25 (एस) 290.43 (आर) 270.08 837.76	572.37	(-) 265.39
86			4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 799-उचंत	(ओ) 10.00 (आर) (-) 1.70 8.30	(-) 279.56	(-) 287.86
87			101-शहरी जलापूर्ति 94-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	(ओ) 195.00 (आर) (-) 155.58 39.42	78.35	38.93
88			99-शहरी जलापूर्ति 98-मेवात (ते.वि.आ.)	(ओ) 15.00 (आर) (-) 0.09 14.91	98.51	83.60
89			99-जलापूर्ति संवर्धन	(ओ) 91.00 (आर) 5.32 96.32	106.35	10.03
90			97-ते.वि.आ. (शिवालिक तथा दक्षिण हरियाणा)	(ओ) 10.00 (आर) (-) 4.15 5.85	15.00	9.15
91			102-ग्रामीण जलापूर्ति 98-त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति 99-एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी - कवरेज सैंट्रल	(ओ) 85.00 (एस) 19.22 (आर) 0.13 104.35	168.21	63.86
92			96-मरूस्थल विकास कार्यक्रम	(ओ) 120.00 (आर) 0.57 120.57	153.88	33.31
93			93-ग्रामीण जलापूर्ति 94-जलापूर्ति संवर्धन	(ओ) 60.00 (आर) 18.64 78.64	92.18	13.54
94			01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति 87-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	(ओ) 30.00 (आर) (-) 3.27 26.73	28.00	1.27
95			93-ग्रामीण जलापूर्ति 91-मेवात (ते.वि.आ.)	(ओ)15.00 (आर) (-) 4.38 10.62	15.00	4.38
96			95-ते.वि.आ. (शिवालिक तथा दक्षिण हरियाणा)	(ओ) 60.00 (आर) (-) 58.82 1.18	60.00	58.82
97			98-त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति 94-एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी (समर्थन गतिविधियां)	(ओ) 13.00 (आर) (-) 11.21 1.79	13.00	11.21
98			97-एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी - सस्टेनेबिल्टी (सैंट्रल)	(ओ) 28.00 (आर) (-) 1.11 26.89	28.00	1.11
99			789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 98-ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति परिवारों को मुफ्त प्राईवेट वाटर कनेक्शन	(ओ) 37.00 (आर) (-) 13.53 23.47	37.00	13.53
100			99-शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति परिवारों को मुफ्त प्राईवेट वाटर कनेक्शन	(ओ) 15.00 (आर) (-) 1.49 13.51	15.00	1.49

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत(-)
101			02-सीवरेज तथा स्वच्छता 101-शहरी स्वच्छता सेवाएं 94-सीवरेज तथा स्वच्छता	(ओ) 120.00 (आर) (-) 12.26 107.74	123.50	15.76
102	42	न्याय प्रशासन	2014-न्याय प्रशासन 105-सिविल तथा सैशन कोर्टस 94-तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत न्याय प्रदानगी में सुधार 99-जिला तथा सैशन जज	(ओ) 77.54 (एस) 10.60 (आर) (-) 1.55 86.59	84.62	(-) 1.97
103			97-अधीनस्थ जज	(ओ) 71.58 (एस) 10.43 (आर) (-) 0.79 81.22	79.85	(-) 1.37
104			102-उच्च न्यायालय 98-स्थापना 98-स्थापना खर्चे	(ओ) 30.73 (एस) 6.55 (आर) 1.31 38.59	46.89	8.30
105	लोक ऋण	लोक ऋण (सभी भारित)	6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण 109-अन्य संस्थाओं से ऋण 97-एन.सी.आर.पी.बी. से उन्नयन के लिए ऋण (भवन एवं सड़कें)	(ओ) 47.37 (आर) 55.71 103.08	-	(-) 103.08
106			6004-केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए ऋण 105-बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संबंध में समेकित राज्य योजना ऋण	(ओ) 96.67	196.59	99.92
107			6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण 109-अन्य संस्थाओं से ऋण 96-एन.सी.आर.पी.बी. (पी.एच.) से ऋण	(ओ) 168.94 (आर) 97.90 266.84	264.57	(-) 2.27
108			105-राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	(ओ) 195.52	198.00	2.48
109			101-बाजार ऋण 73-10.35% हरियाणा राज्य विकास ऋण 2011-12	(ओ) 100.01 (आर) 46.37 146.38	100.01	(-) 46.37
110			74-9.45% हरियाणा राज्य विकास ऋण 2011-12	(ओ) 80.00 (आर) 37.09 117.09	80.00	(-) 37.09
111			89-12% हरियाणा राज्य विकास ऋण 2011-12	(ओ) 40.99 (आर) 19.01 60.00	40.99	(-) 19.01
112			90-11.5% हरियाणा राज्य विकास ऋण 2010-11	(ओ) 26.16 (आर) 12.13 38.29	26.16	(-) 12.13
113			109-अन्य संस्थाओं से ऋण 92-एन.सी.आर.पी.बी. (स्वास्थ्य) से ऋण	(आर) 8.33	-	(-) 8.33
114			93-एन.सी.आर.पी.बी. (सिंचाई) से ऋण	(आर) 7.51	-	(-) 7.51
115			94-एन.सी.आर.पी.बी. (टी.ई.) से ऋण	(आर) 2.20	-	(-) 2.20
116			111-राष्ट्रीय लघु बचत निधि केन्द्रीय सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	(ओ) 455.94 (आर) (-) 314.25 141.69	471.16	329.47

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरःपुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+) / बचत (−)
117	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	6801-विद्युत परियोजनाओं से ऋण 205-संचारण एवं संवितरण 98- हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण	(ओ) 643.90 (आर) (-) 570.50 73.40	157.09	83.69
118			7610-सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण 800-अन्य अग्रिम 99-अनाज की खरीद हेतु अग्रिम	(ओ) 66.00 (आर) (-) 24.07 41.93	36.28	(-) 5.65
119			201-भवन निर्माण अग्रिम 99-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों से अन्य सरकारी सेवकों को अग्रिम	(ओ) 102.10 (एस) 28.00 (आर) (-) 0.81 129.29	127.52	(-) 1.77
कुल					**18,755.33**	**(+) 1,228.74** **(-) 2,321.72**

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोजन से अधिक व्यय (+)	49	1,228.74
विनियोजन में से बचत (-)	70	2,321.72
कुल	**119**	**3,550.46**

₹ 10 करोड़ से अधिक के आधिक्य मामले	**मामलों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
क्र.सं. 51. 72, 73, 90, 94, 98, 100 और 102,	8	114.72
₹ 10 करोड़ से अधिक के बचत मामले		
क्र.सं. 21, 29, 34, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 74, 78, 79, 85, 112और 113	15	224.52
कुल	**23**	**439.24**

₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य मामले	**मामलों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
क्र.सं. 16, 17, 33, 36, 58, 88, 89, 92, 93, 97, 107, 117और 118	13	1,005.73
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत मामले		
क्र.सं. 3, 8, 9, 13, 20, 35, 38, 41, 68, 69, 77, 83, 84, 86, 87, 106, 110और 111	18	1,955.95
कुल	**31**	**2,961.68**

परिशिष्ट 2.7

वास्तविक बचतों (₹ 50 लाख अथवा अधिक) के आधिक्य में अभ्यर्पित निधियों को दर्शाने वाले ब्यौरे

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 43)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें(-)/आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि
राजस्व (दत्तमत)					
1	6-वित्त	3,292.88	(-) 51.38	56.01	4.63
2	11-खेल एवं युवा कल्याण	116.62	(-) 30.95	31.77	0.82
3	21-महिला एवं बाल कल्याण	577.80	(-) 83.90	133.89	49.99
4	33-सहकारिता	195.67	(-) 22.73	23.90	1.17
5	36-गृह	1,666.97	(-) 105.25	108.75	3.50
6	38-जन स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	1,447.36	(-) 105.35	440.28	334.93
राजस्व (भारित)					
7	3-सामान्य प्रशासन	9.24	(-) 2.39	3.75	1.36
पूंजीगत (दत्तमत)					
8	8-भवन एवं सड़कें	1,594.88	(-) 351.37	352.22	0.85
9	14-शहरी विकास	500.00	(-) 148.52	152.89	4.37
10	38-जन स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	1,010.22	(-) 201.05	275.75	74.70
11	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,159.79	(-) 532.72	608.93	76.21
पूंजीगत (भारित)					
12	लोक ऋण	7,955.67	(-) 2,944.26	3,253.09	308.83
	कुल	**19,527.10**	**(-) 4,579.87**	**5,441.23**	**861.36**

अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें(-)/आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि
पूंजीगत (दत्तमत)					
1	24-सिंचाई	568.50	254.64	64.70	319.34
	कुल	**568.50**	**254.64**	**64.70**	**319.34**

परिशिष्ट

2.8

अनभ्यर्पित ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचतों का ब्यौरा

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 43)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	बचतें	अभ्यर्पित राशि	बचतें जो अभ्यर्पित की जानी शेष रही
राजस्व (दत्तमत)				
1	1-विधान सभा	1.63	0.16	1.47
2	2-राज्यपाल और मंत्री परिषद	14.69	11.87	2.82
3	4-राजस्व	421.74	381.34	40.40
4	7-आयोजना एवं सांख्यिकी	20.74	5.87	14.87
5	8-भवन एवं सड़कें	300.75	219.25	81.50
6	9-शिक्षा	882.37	862.46	19.91
7	13-स्वास्थ्य	222.05	199.21	22.84
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	18.63	17.43	1.20
9	23-खाद्य एवं आपूर्ति	122.78	111.97	10.81
10	24-सिंचाई	409.81	124.46	285.35
11	27-कृषि	290.56	279.72	10.84
12	28-पशुपालन एवं डेयरी विकास	29.00	22.39	6.61
13	29-मत्स्य पालन	2.19	0.01	2.18
14	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	130.63	72.67	57.96
15	42-न्याय प्रशासन	49.40	45.97	3.43
राजस्व (भारित)				
16	6-वित्त	380.05	111.72	268.33
पूंजीगत (दत्तमत)				
17	23-खाद्य एवं आपूर्ति	148.94	137.55	11.39
पूंजीगत (भारित)				
18	24-सिंचाई	5.85	शून्य	5.85
	कुल	**3,451.81**	**2,604.05**	**847.76**

परिशिष्ट

2.9

मार्च 2012 के अंत में ₹ 10 करोड़ के आधिक्य में निधियों के अभ्यर्पण का ब्यौरा

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 43)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	प्रावधान के साथ अभ्यर्पित की प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)				
1	2 - राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद	79.69	11.87	15
2	4 - राजस्व	898.01	381.34	42
3	6-वित्त	3,292.88	56.01	2
4	8-भवन एवं सड़कें	1,066.29	219.25	21
5	9-शिक्षा	6,804.31	862.46	13
6	10-तकनीकी शिक्षा	397.80	143.50	36
7	11-खेल एवं युवा कल्याण	116.62	31.77	27
8	13-स्वास्थ्य	1,420.00	199.21	14
9	14-शहरी विकास	84.53	30.47	36
10	15-स्थानीय सरकार	1,488.35	587.36	39
11	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	140.57	17.43	12
12	19-एस.सी., एस.टी. तथा अन्य बी.सी. का कल्याण	343.56	93.97	27
13	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,850.24	244.05	13
14	21-महिला एवं बाल विकास	577.80	133.89	23
15	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	63.07	10.06	16
16	23-खाद्य एवं आपूर्ति	212.49	111.97	53
17	24-सिंचाई	1,370.70	124.46	9
18	25-उद्योग	81.01	11.69	14
19	27-कृषि	945.59	279.72	30
20	28-पशुपालन तथा डेयरी विकास	374.39	22.39	6
21	30-वन तथा वन्य जीवन	236.50	16.19	7
22	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	1,315.91	72.67	6
23	33-सहकारिता	195.67	23.90	12
24	34-परिवहन	1,272.20	192.10	15
25	36-गृह	1,666.97	108.75	7
26	38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	1,447.36	440.28	30
27	40-उर्जा एवं विद्युत	3,612.27	15.34	0
28	41-इलैक्ट्रोनिक्स एवं आई.टी.	24.30	16.79	69
29	42-न्याय प्रशासन	299.17	45.97	15
30	44-मुद्रण एवं लेखन सामग्री	52.99	12.26	23
राजस्व (भारित)				
31	6-वित्त	4,532.29	111.72	2
पूंजीगत (दत्तमत)				
32	8-भवन एवं सड़कें	1,594.88	352.22	22
33	14-शहरी विकास	500.00	152.89	31
34	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	45.59	35.17	77
35	23-खाद्य एवं आपूर्ति	4,610.07	137.55	3
36	24-सिंचाई	568.50	64.70	11
37	34-परिवहन	163.60	23.91	15
38	38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	1,010.22	275.75	27
39	40-उर्जा एवं विद्युत	984.10	182.50	19
40	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,159.79	608.93	53
पूंजीगत (भारित)				
41	लोक ऋण	7,955.67	3,253.09	41
	कुल	**54,855.95**	**9,715.55**	

परिशिष्ट 2.10

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता दर्शाने वाले ब्यौरे

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 43)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष योजना/स्कीम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2012 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	04-राजस्व	2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास	29.07	24.57	85	18.07	62
2	06-वित्त	2048-ऋण के परिहार्य की कमी के लिए विनियोजन	150.89	150.89	100	150.89	100
3	07-वित्त	3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	226.03	118.98	53	86.00	38
4	08-भवन एवं सड़कें	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	75.79	42.94	57	30.19	40
5		4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	50.03	27.29	55	2.90	6
6		4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	125.38	71.80	57	44.57	36
7	14-शहरी विकास	2217-शहरी विकास	53.85	32.78	61	29.00	54
8	15-स्थानीय सरकार	2217-शहरी विकास	900.34	477.58	53	365.31	41
9	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	52.43	29.26	53	10.3	20
10	24-सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	176.04	159.94	91	152.91	87
11		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	611.29	353.12	58	326.15	53
12		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	133.27	66.72	50	57.74	43
13		2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास	114.79	82.78	72	37.78	33
14	25-उद्योग	2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	47.10	33.27	71	23.21	49
15	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	974.95	633.58	65	413.61	42
16		3604-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और सुपुर्दगी	99.42	78.23	79	53.72	54
17	33-सहकारिता	2425-सहकारिता	172.94	110.23	64	17.02	10
18		4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	13.86	12.25	88	7.21	52
19		5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	80.18	55.91	70	28.47	36
20	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2215-जलापूति एवं स्वच्छता	1,336.20	693.01	52	547.46	41
21	44-मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	21.50	10.97	51	8.90	41
	कुल		5,445.35	3,266.10		2,411.41	

परिशिष्ट 2.11

2011-12 के दौरान अनुमानित प्राप्तियां और व्यय तथा उनके विरूद्ध वास्तविकता दर्शाने वाले ब्यौरे

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				व्यय			
		बजट अनुमान	वास्तविक			बजट अनुमान	वास्तविक
क	राजस्व लेखा			क	राजस्व लेखा		
I	**कर राजस्व**	**22,772.00**	**23,081.01**	I	**वित्तीय सेवायें**	**255.47**	**243.89**
(1)	बिक्री कर*	14,100.00	13,383.69	(1)	कर संग्रहण प्रभार	254.45	242.99
(2)	राज्य उत्पाद शुल्क	2,400.00	2,831.89	(2)	अन्य वित्तीय सेवायें	1.02	0.9
(3)	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	2,350.00	2,793.00	II	**सामान्य सेवायें**	**10,428.60**	**9,975.94**
(4)	यात्री और माल कर	425	429.32	(1)	प्रशासनिक सेवाएं	2,242.47	2,176.57
(5)	अन्य कर राजस्व	216.89	221.41	(2)	ऋण सेवाएं	4,531.98	4,151.70
(6)	केन्द्रीय करों से हिस्सा	2,765.11	2,681.55	(3)	अन्य सामान्य सेवायें	3,654.15	3,647.67
(7)	वाहन कर	515.00	740.15	III	**सामाजिक सेवायें**	**13,968.52**	**12,641.67**
II	**कर-भिन्न राजस्व**	**9,246.19**	**7,476.58**	(1)	शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति	6,913.76	6,034.15
(1)	ऋण सेवाएं	827.18	866.60	(2)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,368.39	1,198.08
(2)	सामान्य सेवाएं	303.16	336.02	(3)	तकनीकी शिक्षा	363.04	254.32
(3)	सामाजिक सेवाएं	1,775.84	1,483.53	(4)	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,776.58	2,307.75
(4)	आर्थिक सेवाएं	1,380.90	2,035.50	(5)	अन्य सामाजिक सेवायें	2,546.75	2,847.37
(5)	भारत सरकार से सहायतानुदान	4,959.11	2,754.93	IV	**आर्थिक सेवायें**	**9,923.49**	**9,053.97**
ख	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	**16.56**	**9.24**	(1)	ग्रामीण विकास	1,101.49	1,097.17
ग	**लोक ऋण**	**13,568.89**	**10,766.83**	(2)	कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,738.38	1,421.09
(1)	बाजार उधार	5,754.05	6,356.65	(3)	उद्योग एवं खनिज	109.42	89.16
(2)	लघु बचत ऋण, एन.एस.एस.एफ.	1,000.00	141.69	(4)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,264.98	997.21
(3)	राज्य योजना ऋण	674.58	96.19	(5)	परिवहन	2,068.54	1,592.85
(4)	अन्य ऋण	2,023.40	289.82	(6)	अन्य आर्थिक सेवाएं	3,640.68	3,856.49
(5)	एस.बी.आई.ऋण	3,200.00	3,575.00	V	**सहायतानुदान तथा अंशदान**	**102.76**	**99.42**
(6)	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	943.86	307.48	ख	**पूंजीगत व्यय**	**4,640.51**	**5,372.34**
घ	**ऋण (वसूलियां)**	**232.93**	**294.12**	ग	**ऋण का पुनर्भुगतान**	**6,666.12**	**4,037.14**
				घ	**ऋण (अग्रिम)**	**956.90**	**627.07**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**45,836.57**	**41,627.78**		कुल योग (क+ख+ग+घ)	**46,942.37**	**42,051.44**

* बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर

परिशिष्ट 2.12

स्कीमें, जिनके लिए परिव्यय ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में अनुमोदित किए गए थे किन्तु मार्च 2012 तक कोई बजट प्रदान नहीं किया गया था, के ब्यौरे

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 45)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	अनुमोदित लागत
	कृषि	
1	हरियाणा में कृषीय मानव संसाधन विकास हेतु प्लान स्कीम	90.00
2	संकर कपास बीज उत्पादन तथा खेती का प्रचार	300.00
3	अनुसूचित जातियों को ट्रैक्टर और ट्रालरज प्रदान करना	110.00
4	जापानी बैंक के लिए भूमि सुधार और जल प्रबंध	11,500.00
5	हरियाणा में भूमि और भूमि काटने पर अनुसूचित जाति किसानों के लिए परिदान	100.00
	पशुपालन तथा डेरी-उद्योग	
6	अंबाला तथा हिसार में सुअर फार्म का सुदृढ़ीकरण के लिए अनुसूचित जाति उप-प्लान (एस.सी.एस.पी.)	50.00
7	राज्य डेरी प्रयोगशाला, रोहतक द्वारा पशुचारा सकेंद्रित खनिज, मिश्रण और परीक्षण उपकरण में गुणवत्ता नियंत्रण लाने के लिए स्कीम	5.00
8	अनुवांशिक सुधार हेतु गौशाला का सुदृढ़ीकरण	50.00
9	गुणवत्ता उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए जैविक सुरक्षा संस्थान का सुदृढ़ीकरण	250.00
	मत्स्य पालन	
10	एक्वाकल्चर तथा पोस्ट-हार्वेस्ट मूलभूत संरचना का विकास - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ई.ए.पी.)	7,319.00
11	मत्स्य पालन के कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्कीम-केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सी.एस.एस.)	10.00
	सहकारिता	
12	ग्रामीण गोदामों पर अनुसूचित जातियों (एससी.) के व्यक्तियों के लिए ब्याज परिदान	200.00
13	कृषि वित्त संस्थानों में निवेश हरियाणा राज्य पशुधन विकास बोर्ड (एच.एस.एल.डी.बी.)	500.00
	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.)	
14	सूक्ष्म ऊर्जा प्लान के प्रतिष्ठान के प्रति वित्तीय प्रोत्साहन	380.00
15	ग्रामीण ऊर्जा प्रशिक्षणों (आर.ई.टीज) पर प्रदर्शन	100.00
	सामुदायिक विकास	
16	सीवरेज निपटान इकाईयां प्रदान करना	10.00
17	व्यक्तिगत निवास शौचालय सहित गरीबी रेखा से नीचे (बीपी.एल.)/अनुसूचित जाति परिवारों की कुल आवृत्ति	10.00
	शिवालिक विकास बोर्ड	
18	धानियों का विद्युतीकरण	1,770.00
	सिंचाई	
19	ओट्टू लेक का पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण	6,266.00
20	लघु सिंचाई स्कीमें, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	17,089.00
21	अंबाला सिंचाई स्कीम	28,310.00
22	पंपों तथा नए पंपों की क्षमता बढ़ाना	4,557.00
23	घग्गर नदी 12 के.एम. अपस्ट्रीम पंचकूला पर देवांवाला डैम का निर्माण	7,975.00
24	कानूनी प्रभार	7,975.00
25	बीबीपुर लेक का पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण	874.00
26	कोटला लेक का पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण	2,278.00
27	मसानी रिजर्वायर का पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण	1,139.00

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	अनुमोदित लागत
	कृषि	
28	घरौंडा सिंचाई स्कीम	2,278.00
29	लाडवा सिंचाई स्कीम	2,278.00
	बाढ़ नियंत्रण तथा ड्रेनेज	
30	यमुनानगर, करनाल, सोनीपत तथा फरीदाबाद में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य	17,500.00
	कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	
31	मानीटरिंग कक्ष (75:25)	750.00
	विद्युत	
32	पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई (हाइडल) 6x8 एम.डब्ल्यू.	530.00
33	पानीपत थर्मल स्टेज 4	1,000.00
34	फरीदाबाद थर्मल	2,500.00
35	विविध (एफ.टी.पी.एस. का आई.टी./आर. एण्ड एम.)	1,825.00
36	सूचना प्रौद्योगिकी	600.00
	ग्रामीण तथा स्माल स्केल उद्योग	
37	रत्न एवं आभूषण विकास पार्क, गुड़गांव को वित्तीय सहायता	400.00
38	आई.एफ.सी. कक्ष का सृजन	35.00
39	औद्योगिक क्षेत्र का उन्नयन	5.00
40	कुंडली पलवल एक्सप्रेसवे	1.00
41	दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (सीएस.एस. 50:50)	5.00
	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	
42	एच.एस.आर.डी.सी. द्वारा डिजाइन सैल का संस्थापन	100.00
	पर्यटन	
43	राज्य से बाहर पर्यटन स्कीम	10.00
	प्राथमिक शिक्षा	
44	स्कूलों का उन्नयन तथा स्टाफ की निरंतरता तथा मिडल स्कूल के लिए अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति	25.00
	माध्यमिक शिक्षा	
45	शिक्षण पर्यावरण का सुधार	1,972.12
	उच्चतर शिक्षा	
46	छात्रों/शिक्षकों को साफ्ट स्किलज की प्रदानगी	50.00
47	एन.जी.ओज/रिसर्च स्कालरों को प्रयोजनाओं की प्रदानगी के माध्यम से आयोजित किये जाने वाले अनुसंधान एवं विकास अध्ययन	25.00
	कला एवं संस्कृति	
48	22 नई उप मंडल लाईब्रेरियां खोलना	25.00
49	सी.डी. ब्लाकों में 72 लाईब्रेरियां खोलना	25.00
	तकनीकी शिक्षा	
50	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का सुदृढ़ीकरण	600.00
	स्वास्थ्य	
51	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएच.सीज.) में प्रयोगशाला सुविधाएं प्रदान करना	20.00
52	नगरपालिका में कंप्यूटरों के पदों का सृजन	5.00
53	जिला अंबाला, सिरसा, कुरूक्षेत्र तथा भिवानी में कोबाल्ट यूनिट का संस्थापन	100.00
54	ड्रग नियंत्रण प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा राज्य ड्रग प्रयोगशाला का उन्नयन	750.00
55	राज्य मुख्यालय में पीएन.डी.टी. मानीटरिंग कक्ष की स्थापना	500.00

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	अनुमोदित लागत
	कृषि	
56	चार जिलों में दंत मोबाइल क्लीनिकों के स्थापन के माध्यम से मौखिक दंत स्वास्थ्य सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण	2,000.00
57	प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति	2.00
58	शिशु लिंगानुपात में सर्वोत्तम कार्य करने वाले पहले तीन जिलों को पुरस्कार	50.00
59	शारीरिक गतिविधियों के लिए व्यायामशाला की स्थापना	50.00
	आयुष	
60	राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना	199.40
61	दवा जांच प्रयोगशाला की स्थापना	45.45
	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (शहरी)	
62	ख-शहरी: जल आपूर्ति सीवरेज सुविधाओं का विस्तार	50,000.00
63	ग-सीवरेज ट्रीटमैंट कार्य: (वाई.ए.पी.-III)	50.00
	नगर एवं ग्राम आयोजना	
64	रेवाड़ी के नजदीक अनुमोदित रेलवे फ्रेट कोरीडोर पर लोजिस्टिक पार्क का सृजन	100.00
	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	
65	अनुसूचित जातियों के लिए कृषीय भूमि की खरीद	0.10
66	पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	165.00
	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक संस्थान	
67	आई.टी. एवं वी.ई. निदेशालय के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण	1,000.00
68	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आईज) तथा महिला स्कंध की गैस्ट क्लासिज का पूर्ण आई.टी.आईज में उन्नयन	100.00
69	जिला व्यावसायिक स्कंध	30.00
70	बेसिक ट्रेनिंग सैंटर (प्रशिक्षुता प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में पुनःनामित) की स्थापना	7.00
71	उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली	8.00
72	शिवालिक विकास बोर्ड के अंतर्गत आई.टी.आईज का विस्तार	450.00
	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	
73	होस्टल का निर्माण तथा लिफ्ट का प्रतिष्ठापन	10.00
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	
74	पाठ्य पुस्तक बिक्री डिपो, करनाल के भवन की मरम्मत	4.65
	कुल	**1,87,402.72**
	अर्थात् (₹ करोड़ में)	**1,874.03**

परिशिष्ट 2.13

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में अनुमोदित बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं (ई.ए.पी.), किन्तु कोई बजट परिव्यय प्रदान नहीं किये गये थे, के ब्यौरे

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 45)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	11वीं योजना में अनुमोदित परिव्यय		
				राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय सहायता	कुल
1	कृषि	जापानी बैंक अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता (मृदा एवं जल) का भूमि सुधार और जल प्रबंध	93,500	2,300	9,200	11,500
2	मत्स्य पालन	एक्वाकल्चर तथा पोस्ट-हार्वेस्ट मूलभूत संरचना का विकास			7,319	7,319
3	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	जलापूर्ति सीवरेज सुविधाओं का विस्तार			50,000	50,000
योग				**2,300**	**66,519**	**68,819**
अर्थात् (₹ करोड़ में)						**688.19**

परिशिष्ट 2.14

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित किन्तु छोड़ी गई स्कीमों/परियोजनाओं के ब्यौरे

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 45)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	शीर्ष/कोड	ग्यारहवीं योजना (2007-11) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2008-09 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2009-10 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2010-11 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2011-12 वास्तविक व्यय
कृषि								
1	राज्य में कीटनाशक/उर्वरक लैबों का संस्थापन	2401	500.00	29.90	70.73	65.83	-	-
2	ट्यूबवैल बोरिंग मशीनरी तथा उपकरण का सुदृढ़ीकरण	2401	300.00	95.00	100.00	19.65	-	-
3	प्रगतिशील किसान क्लब के सहकारी भवन का सुदृढ़ीकरण	2401	185.00	32.00	58.90	-	-	-
4	अतिरिक्त रोजगार का सृजन	2401	150.00	21.53	24.46	-	-	-
5	मुख्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना	2401	3,300.00	348.80	2.00	-	-	-
6	सिरसा में बीज परीक्षण लैब का संस्थापन	2401	120.00	11.49	29.68	17.33	-	-
7	राज्य में सर्वोत्तम किसान के लिए किसान पुरस्कार	2401	40.00	-	9.00	-	-	-
8	प्रमुख फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन की सामयिक सूचना (50:50)	2401	104.00	3.51	-	-	-	-
9	फसल सांख्यिकी में सुधार (50:50)	2401	75.00	3.84	-	-	-	-
10	गन्ना उत्पादकों को पोस्ट होल डिगर की खरीद पर सहायता	2401	500.00	68.40	-	-	-	-
11	क्षारीय भूमि सुधार के लिए जिप्सम सामग्री पर सब्सिडी	2402	2,700.00	180.00	180.00	200.00	-	-
12	भूजल का त्वरित पुनर्भरण	2402	500.00	16.89	69.40	64.31	-	-
13	हरियाणा में भूमि लेबलिंग पर सब्सिडी के लिए स्कीम	2402	100.00	13.22	15.00	14.94		-
14	लघु टैंकों के निर्माण पर सब्सिडी प्रदान कराना	2402	500.00	18.94	-	-	-	-
15	जल वहन के लिए पी.वी.सी. पाइपों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए स्कीम	2402	100.00	5.56	-	-	-	-
बागवानी								
16	मशरूम कृषि का विकास तथा प्रोत्साहन	2401	184.00	27.78	36.50	-	-	-
17	आर्गेनिक कृषि का विकास	2401	153.00	20.47	33.96	-	-	-
पशुपालन तथा डेयरी उद्योग								
18	दुधारू पशुओं की डेयरी इकाइयों की स्थापना	2403	500.00	84.15	-	-	-	-
19	विशेष पशुधन नस्ल कार्यक्रम	2403	500.00	82.16	-	-	-	-
मत्स्य पालन								
20	मत्स्य पालन शिक्षा, प्रशिक्षण तथा विस्तारण (सी.एस.एस. 80:20)	2405	25.00	3.39	-	-	-	-
वन								
21	सामाजिक तथा फार्म वानिकी	2406	30,239.00	719.07	971.40	926.09	140.00	-
22	कार्मिकों का प्रशिक्षण	2406	200.00	16.00	20.30	29.50	-	-

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	शीर्ष/ कोड	ग्यारहवीं योजना (2007-11) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2008-09 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2009-10 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2010-11 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2011-12 वास्तविक व्यय
वन्य जीवन परिरक्षण								
23	वन्य जीवन तथा इको पर्यटन का प्रबंध	2406	500.00	78.18	-	-	-	-
सहकारिता								
24	मिल्क प्लांट रोहतक का विस्तारण/उन्यन	2425	1,400.00	300.00	1061.00	39.00	-	-
25	शूगरफैड द्वारा टिशू कल्चर परियोजना	2425	40.00	4.00	9.50	-	-	-
26	जीपों/कारों की खरीद/प्रतिस्थापन	2425	75.00	9.98	9.44	-	-	-
ग्रामीण विकास								
27	मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) (75:25)	2501	4,000.00	642.51	491.75	-	-	-
28	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी.आर.वाई.)	2501	13,000.00	2,177.48	-	-	-	-
पंचायतें								
29	स्वच्छता पर राज्य प्रोत्साहन स्कीम	2515	2,994.00	88.00	-	-	-	-
शिवालिक विकास बोर्ड								
30	सड़कें तथा पुल		320.00	-	171.00	76.77	-	-
विद्युत								
31	यू.एच.बी.वी.वी. तथा डी.एच.बी.वी.एन.: ए.पी.डी.आर.पी. (ए.सी.ए.)		1,430.00	-	545.00	-	-	-
32	यू.एच.बी.वी.वी. तथा डी.एच.बी.वी.एन.: नाबार्ड		500.00	250.83	-	-	-	-
वृहद् तथा मध्यम उद्योग								
33	वृद्धि केंद्र (सी.एस.एस. 67:33)		55.00	-	54.30	-	-	-
ग्रामीण तथा लघु पैमाना उद्योग								
34	ई.ओ.यू.ज. के लिए भाड़ा सब्सिडी का प्रोत्साहन		8,400.00	850.00	1,446.70	-	-	-
35	निवेश सब्सिडी का अनुदान		1,586.00	1,000.00	-	-	-	-
36	प्लास्टिक अभियात्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्रीय संस्थान का संस्थापन		477.00	50.00	150.00	-	-	-
37	डी.आई.सी. विकास कार्यक्रम के लिए मुख्यालय पर स्टाफ		600.00	14.08	29.24	-	-	-
38	फलैटिड फैक्ट (एस.एस.आई. इकाइयां) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता		400.00	-	50.00	-	-	-
39	विद्यमान गुणवत्ता बाजार केन्द्रों का विस्तारण		100.00	1.57	72.37	--	-	-
40	मुख्य मंत्री ग्रामीण योजना		100.00	2.17	-	-	-	-
41	निर्यातों को प्रोत्साहन, सैलों का सृजन तथा निर्यातकों को राज्य अवार्ड		10.00	2.00	-	2.00	-	-
42	विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में टेक्नीकल स्टाफ का प्रशिक्षण		10.00	0.40	1.29	-	-	-
43	जनरेटिंग सैटों की खरीद के लिए सब्सिडी		590.00	245.00	-	-	-	-

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	शीर्ष / कोड	ग्यारहवीं योजना (2007-11) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2008-09 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2009-10 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2010-11 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2011-12 वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)								
44	परियोजना रिपोर्ट की तैयारी तथा एच.एस.आरडी.सी. के माध्यम से सम्भाव्यता अध्ययन	5054	500.00	-	107.56	97.10	-	-
45	एच.एस.आरडी.सी. का सुदृढ़ीकरण	5054	1,000.00	-	-	48.55	-	-
सड़क परिवहन								
46	ड्राइवरों का प्रशिक्षण स्कूल		500.00	1.05	-	-	-	-
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी								
47	जीव प्रौद्योगिकी के विकास तथा हस्तान्तरण के लिए केंद्र	3425	200.00	6.00	-	-	-	-
पर्यटन								
48	हरियाणा में वन्य जीवन पर्यटन का विकास	2506	150.00	12.84	-	30.00	-	-
प्राथमिक शिक्षा								
49	मूलभूत संरचना तथा उपकरणों का प्रबंध	2202	1,900.00	344.58	-	-	-	-
50	नर्सिंग कक्षाओं का सुधार	2202	780.00	142.80	-	-	-	-
51	प्राथमिक स्कूलों का उन्नयन	2202	25.00	-	1.20	-	-	-
52	प्रधान मंत्री ग्राम योजना (पीएम.जी. वाई. (एस.सी.) सहित हरिजनों/कमजोर वर्ग की लड़कियों को यूनिफार्म	2202	5,030.00	1,003.54	-	-	-	-
53	खेल के मैदानों तथा खेलकूद गतिविधियों का विकास	2202	280.00	50.00	-	-	-	-
54	प्रधान मंत्री ग्राम योजना (पीएम.जी. वाई. (एस.सी.) सहित उपस्थिति स्कारलशिप	2202	2,700.00	526.70	-	-	-	-
55	सेवारत प्रशिक्षण	2202	25.00	10.00	-	-	-	-
56	नि:शुल्क स्टेशनरी तथा लेखन सामग्री (एस.सी.)	2202	1,870.00	354.25	-	-	-	-
57	कक्षा 1-5 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करना	2202	2,250.00	433.27	-	-	-	-
58	पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कोचिंग	2202	75.00	20.00	-	-	-	-
59	हरिजन लड़कियों तथा कमजोर वर्ग की लड़कियों को यूनिफार्म	2202	2,860.00	550.00	-	-	-	-
60	कमजोर वर्ग विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्टेशनरी	2202	1,800.00	44.00	-	-	-	-
61	खेल मैदानों तथा खेलकूद का विकास	2202	250.00	50.00	-	-	-	-
62	सुधार/प्रोत्साहन कार्यक्रम	2202	100.00	19.52	19.88	-	-	-
63	एस.सी. विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूल बैग	2202	3,875.00	691.79	-	-	-	-
64	एस.सी./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़की विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क जर्सी, जूते तथा जुराबें	2202	6,293.00	1,178.61	-	-	-	-
65	प्राथमिक तथा माध्यमिक के लिए श्रेष्ठ एस.सी. विद्यार्थियों के लिए स्कालरशीप	2202	3,250.00	554.87	-	-	-	-
66	एस.सी. विद्यार्थियों को नि:शुल्क लेखन सामग्री, शब्दकोश तथा ज्यामैट्री बाक्स	2202	1,750.00	268.98	--	-	-	-

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	शीर्ष/कोड	ग्यारहवीं योजना (2007-11)	वार्षिक योजना 2007-08	वार्षिक योजना 2008-09	वार्षिक योजना 2009-10	वार्षिक योजना 2010-11	वार्षिक योजना 2011-12
			अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
माध्यमिक शिक्षा								
67	एस.सी. लड़के तथा लड़कियों को निःशुल्क साइकिल	2202	2,670.00	253.44	-	-	-	-
68	स्कूलों में साफ्ट स्किल का विकास	2202	400.00	160.00	-	-	-	-
69	हरिजन लड़कियों/कमजोर वर्गों को यूनीफार्म	2202	3,040.00	602.68	-	-	-	-
70	व्यापक साक्षरता अभियान	2202	625.00	125.00	15.00	-	-	-
71	कमजोर वर्ग विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी	2202	912.00	160.97		-	-	-
72	कम्प्यूटर शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रोत्साहन	2202	30.00	4.86	4.32	-	-	-
73	9वीं से 12वीं तक की एससी. लड़कियों के लिए निःशुल्क जर्सी, जूते, जुराबें	2202	2,200.00	523.66	-	-	-	-
74	9वीं से 12वीं तक के एससी. लड़के तथा लड़कियों के लिए निःशुल्क अंग्रेजी तथा हिंदी शब्दकोश	2202	1,300.00	209.89	-	-	-	-
75	सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में नए अभिक्रम तथा गुणात्मक सुधार	2202	850.00	170.00	-	-	-	-
76	एस.सी. लड़कियों तथा लड़कों को निःशुल्क स्कूल बैग	2202	550.00	104.94	-	-	-	-
77	विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कोचिंग	2202	300.00	57.00	-	-	-	-
उच्चतर शिक्षा								
78	सरकारी महाविद्यालय टी.डी.सी. कक्षाओं में एससी. विद्यार्थियों को रियायत	2202	4,475.00	1,390.94	-	-	-	-
79	सरकारी महाविद्यालय 9,000 एससी. विद्यार्थियों को पुस्तकों की आपूर्ति	2202	1,000.00	283.67	319.42	459.70	-	-
80	सरकारी महाविद्यालय सरकारी महाविद्यालयों में एससी. विद्यार्थियों के लिए शिक्षा यात्रा	2202	100.00	16.00	-	-	-	-
81	सरकारी महाविद्यालय सरकारी महाविद्यालयों में 3000 एससी. लड़कियों को साईकिलें प्रदान करना	2202	375.00	67.31	-	-	-	-
82	सरकारी महाविद्यालय सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में एससी./एस.टी. के लिए खेलकूद प्रोत्साहन स्कीम	2202	100.00	16.00				
83	सरकारी महाविद्यालय एससी./बी.सी. विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कोचिंग	2202	50.00	8.08	-	-	-	-
84	सरकारी महाविद्यालय अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन	2202	25.00	4.77	-	-	-	-
85	सरकारी महाविद्यालय विद्यमान सरकारी महाविद्यालयों में नए कोर्स आरम्भ करना	2202	800.00	100.00	-	-	-	-
तकनीकी शिक्षा								
86	जी.पी. नरवाना, जी.पी. सांपला, एस. आई.डी. रोहतक में नए पॉलिटेक्निकस खोलना	2203	6,100.00	1,000.00	-	-	-	-
87	विद्यमान बहु-तकनीकियों में क्षमता विस्तारण	2203	4,800.00	799.00	843.21	-	-	-
88	सूचना, प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरीकरण	2203	470.00	46.49	56.25	-	-	-
89	नॉन-फोर्मल तकनीकी शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	2203	300.00	12.26	37.00	-	-	-
90	एजूसेट तथा ई-प्रौद्योगिकी/लर्निंग	2203	300.00	5.37	49.02	-	-	-
91	तकनीकी शिक्षा परियोजना फेस- IV	2203	414.00	314.00	-	-	-	-

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	शीर्ष / कोड	ग्यारहवीं योजना (2007-11) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2008-09 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2009-10 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2010-11 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2011-12 वास्तविक व्यय
खेलकूद								
92	किशोरों का विकास तथा सशक्तीकरण	2204	275.00	25.00	30.00	-	-	-
93	सांस्कृतिक प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीय संघटन	2204	110.00	15.00	20.00	-	-	-
94	यूथ क्लब	2204	75.00	12.69	-	-	-	-
स्वास्थ्य								
95	अतिरिक्त निमार्ण सहित पीएच.सीज के भवनों का निर्माण	4210	3,500.00	558.47	426.42	25.00	-	-
96	अस्पतालों तथा सीएच.सीज के कम्प्यूटरीकरण का विस्तारण	2210	800.00	68.55	75.20	102.38	-	-
97	ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी हट्स की स्थापना	4210	800.00	46.00	54.31	22.96	-	-
98	उप केन्द्रों के भवनों का निर्माण	4210	250.00	29.81	5.20	1.00	-	-
99	उपकरणों तथा फर्नीचर की मरम्मत तथा अनुरक्षण	2210	250.00	30.00	-	-	-	-
100	किराया खरीद की हस्तान्तरण सुविधाएं	2210	250.00	12.49	20.00	-	-	-
101	मेवात क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरक्षण का संवर्धन	2210	300.00	42.00	18.59	19.27	-	-
102	स्वास्थ्य संस्थाओं में जलापूर्ति का संवर्धन		300.00	35.25	20.00	13.43	-	-
103	स्वास्थ्य संरक्षण समर्पण पर लोक / निजी / पार्टनरशिप के लिए मार्गदर्शक परियोजना	2210	300.00	9.81	-	-	-	-
104	ग्रामीण क्षेत्रों (प्रचार) में स्वास्थ्य शिक्षा	2210	25.00	0.98	0.86	0.50	-	-
105	सी.एच.सीज / पी.एच.सीज में टेलीफोन सुविधाएं	2210	2.00	-	0.10	-	-	-
106	गुडगांव में अस्पतालों का उन्नयन तथा पोस्ट 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों का सृजन	4210	3,000.00	123.52	444.80	1,545.66	-	-
107	राज्य में कैजुअल्टी सेवाओं का प्रावधान	2210	700.00	25.50	93.30	174.73	-	-
108	राजकीय अस्पताल स्टाफ की निरन्तरता	2210	350.00	40.47	40.18	59.82	-	-
109	जिला अस्पतालों में इन्टेनसिव केयर यूनिट का संस्थापन तथा निरंतरता	2210	350.00	22.19	41.68	57.77	-	-
110	शहरी क्षेत्रों में डिस्पैंसरी खोलना	2210	500.00	19.95	46.35	113.89	-	-
111	अस्पताल तथा कम्यूनिटी हैल्थ केंद्रों में कॉपरीहेंसिव स्पैशलिस्ट केयर प्रदान करने के लिए जन / निजी भागीदारी	2210	250.00	11.00	-	-	-	-
112	हरियाणा भवन डिस्पैंसरी, नई दिल्ली का सुदृढ़ीकरण	2210	100.00	14.37	15.13	25.33	-	-
113	मंडी खेड़ा अस्पताल (गुडगांव) का निर्माण	4210	100.00	15.00	10.00	20.94	-	-
114	जिला स्तर पर ट्रामा केंद्र तथा स्टाफ का सृजन	2210	2,000.00	15.47	153.05	464.72	-	-
115	प्रिंटिंग स्टेशनरी वस्तुओं / फार्मों / रजिस्टरों की खरीद के लिए प्रबंध	2210	100.00	14.70	18.64	19.50	-	-
116	भिवानी में लॉड्री प्लांट चलाना	2210	10.00	1.49	1.96	1.50	-	-

क्र. सं.	विकास का मुख्य शीर्ष	शीर्ष/कोड	ग्यारहवीं योजना (2007-11) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2008-09 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2009-10 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2010-11 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2011-12 वास्तविक व्यय
आयुष								
117	विद्यमान आयुर्वेदिक/यूनानी/ होम्यो औषधालयों का सुधार	2210	30.00	17.91	-	-	-	-
कर्मचारी राज्य बीमा								
118	ई.एस.आई. डिस्पैंसरी ग्रही बोलोनी चौक तथा बावल (रिवाड़ी) का खोलना	2210	8.00	1.20	0.63	3.05	-	-
आवास								
119	पंचकूला तथा चण्डीगढ़ में सरकारी रिहायशी मकान		2,500.00	469.22	795.02	760.33	-	-
120	ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों को आवसीय स्थल		600.00	29.22	0.40	1.52	-	-
121	जेल का सरकारी रिहायशी भवन		900.00	11.90	5.78	267.13	-	-
शहरी विकास								
122	लघु तथा मध्यम नगर का संघटित विकास (सी.एस.एस. 50:50)		400.00	36.05	-	-	-	-
नगर तथा ग्राम आयोजना (एन्सी.आर.)								
123	शिक्षा सिटी का विकास		51.60	14.40	-	-	-	-
अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण								
124	छठी तथा आठवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले एस.सी. विद्यार्थियों को स्कालरशिप/अवसर लागत	2225	8,000.00	1,462.57	-	-	-	-
125	एस.सी. विद्यार्थियों (9-12) के लिए स्कालरशिपस देना तथा ट्यूशन फीसों/परीक्षा फीसों की प्रतिपूर्ति	2225	1,1700.00	1,614.00	-	-	-	-
126	छठी से बाहरवीं तक कक्षाओं के एस.सी. विद्यार्थियों को स्टेशनरी वस्तुएं की खरीद के लिए अनुदान	2225	5,000.00	539.00	-	-	-	-
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता								
127	जे.जे. एक्ट (सीएस.एस. 50:50) का कार्यान्वयन; रिमाण्ड अवलोकन गृह	2235	204.00	11.35	167.60	-	-	-
128	जे.जे. एक्ट (सीएस.एस. 50:50) का कार्यान्वयन; स्टेट ऑफटर केयर होम	2235	23.00	1.50	1.50	-	-	-
129	जे.जे. एक्ट (सीएस.एस. 50:50) का कार्यान्वयन; स्पेशल स्कूल/गृह	2235	5.00	0.19	0.12	-	-	-
130	जे.जे. एक्ट (सीएस.एस. 50:50) का कार्यान्वयन; स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान	2235	55.00	17.23	8.44	-	-	-
131	किशोर न्याय निधि	2235	50.00	10.00	20.00	-	-	-
132	बेसहारा महिलाओं तथा विधवाओं के लिए गृह-सह प्रशिक्षण केंद्र	2235	50.00	11.46	5.99	-	-	-
औद्योगिक प्रशिक्षण तथा वोकेशनल शिक्षा								
133	मेवात विकास एजेंसी के अंतर्गत आई.टी.आईस का विस्तारण	2230	450.00	9.89	19.41	-	-	-
134	टीचर ट्रेनिंग संस्थान का खोलना तथा संस्थान (एस.आई.वी.ई.) में विभिन्न गतिविधियां	2230	50.00	4.16	-	-	-	-
हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान								
135	एच.आई.पी.ए. प्रशासन-सह-शिक्षण ब्लाक तल का निर्माण तथा लिफ्ट का प्रतिष्ठापन		10.00	1.44	-	-	-	-
लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)								
136	हरियाणा लोक सेवा आयोग भवन		150.00	28.54	109.62	40.50	-	-
	योग		**1,92,144.60**	**25,698.37**	**9,836.06**	**5,831.70**	**140.00**	
	अर्थात् (₹ करोड़ में)		**1,921.45**	**256.98**	**98.36**	**58.32**	**1.40**	

परिशिष्ट 2.15

अनुमोदित योजना 2011-12 में शामिल स्कीमों के ब्यौरे, किन्तु संशोधित अनुमानों के दौरान वापस ले ली गई और कोई व्यय नहीं किया गया था

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 45)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित परिव्यय		
			2011-12	2010-11	2009-10
1	कृषि	मृदा और जल संरक्षण: मृदा स्वास्थ्य और उपजाऊपन के प्रबंध पर राष्ट्रीय परियोजना के लिए स्कीम	5.00		
2	बागवानी	रेशम उत्पादन में कैटलिटीक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) (50:25:25)	31.00		
3	भूमि अभिलेख	पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण (25:75)	50.00		
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	एस.वाईएल. परियोजना (हरियाणा का हिस्सा) का निर्माण	10.00	10.00	
5		जल विकास सर्वे और जांच/वाटर रिचार्जिंग	100.00		
6		भिंडावास झील का नवीकरण और आधुनिकीकरण	2,000.00		
7	विद्युत	हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लि. हाइडल पावर हाऊसिज का आर और एम. और अन्य विविध कार्य	1,500.00	500.00	
8		हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लि. पी.टी.पी.एस., पी.पी.टी. -यूनिट-3 और 4 ऋण और अनुदान	4,027.00		
9		हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लि. पी.टी.पी.एस., पी.पी.टी. -यूनिट-3 और 4 इक्विटी	5,973.00		
10		हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लि. पी.टी.पी.एस., पी.पी.टी. -यूनिट-5	3,000.00		
11		दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम मांग-साइड प्रबंध गतिविधियां	60.00		
12		**डी.एच.बी.वी.एन.** एरिया लोड डिस्पैच सैन्टर (ए.एल.डी.सी.)	40.00	800.00	
13		**डी.एच.बी.वी.एन.** विद्युत घटक सुधार	5,000.00		
14	नवीकरण योग्य ऊर्जा विभाग	ऊर्जा और औद्योगिक अपशिष्ट से संबंधित अपशिष्ट पर आधारित डैमनसट्रेशन प्रोजैक्ट की संस्थापना	0.10		
15		नई प्रौद्योगिकी के अनुसंधान विकास और परामर्श/अध्ययन के लिए स्कीम	1.00		
16	उद्योग	बृहद् और मध्यम उद्योग बायलरज संगठन का सुदृढ़ीकरण	1.00	0.80	
17		ग्रामीण और लघु उद्योग औद्योगिक मूलभूत संरचना उन्नयन स्कीम (आई.आई.यू.एस.)	900.00		
18		ग्रामीण और लघु उद्योग डी.आई.सी. भवनों का निर्माण और विस्तार	140.00	140.00	
19	इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	0.10		
20		गुड़गांव में आई.आई.टी. का संस्थापन	0.10		
21	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़कें)	रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी रेलवे लाइन को राज्य हिस्से का भुगतान	6,000.00		
22	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	सम्मेलन/कार्यशालाएं/सेमीनार/संगोष्ठी	1.00		
23	आर्थिक एवं सांख्यिक विश्लेषण	अलाभकारी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठन और राष्ट्रीय भवन संगठन का सर्वेक्षण	0.05	0.05	
24		आवास एवं पर्यावरणीय सांख्यिकीय प्रणाली की स्थापना	0.05	0.05	
25		जिला सांख्यिकी एजैंसिज का सुदृढ़ीकरण	0.05	0.05	
26		परिवार आय तथा व्यय सर्वेक्षण	0.05	0.05	
27		आर्थिक सर्वेक्षण	0.05	0.05	
28	माध्यमिक शिक्षा	एस.सी. विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें	100.00	615.30	650.00
29		स्कूलों में शिक्षा प्रबंध प्रशासन और प्लानिंग का सुदृढ़ीकरण	81.00		
30	तकनीकी शिक्षा	एस.सीज़ के लिए विभिन्न प्रतियोगिता और नियुक्ति के लिए विशेष कोचिंग	50.00	10.00	10.00

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित परिव्यय		
			2011–12	2010–11	2009–10
31		वाई.एम.सी.ए. एजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद का आधुनिकीकरण	5.00	7.00	10.00
32		छात्राओं को मैरिट आधारित नकद ईनाम के लिए स्कीम	20.0	20.00	70.00
33		आन्तरिक राजस्व सृजन	1.00	1.00	1.00
34		समुदाय कालेज और राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना	100.00		
35	स्वास्थ्य	एस.सी. मरीजों के लिए आरोग्य कोष	1.00		
36		एस.सी. बहुल जनसंख्या वाले गांवों (एससी.एस.पी.) में उप केन्द्रों को खोलना/निर्माण	30.00	30.00	
37		कैंसर, मैंटल, टी.बी. के लिए राज्य संस्थान	1.00		
38	आयुष	पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में आयुष के विशेषीकृत थैरापी सैंटर की स्थापना	2.00	5.00	
39		सी.एच.सीज में आयुष आई.पी.डी. क्लीनिकों की स्थापना (85:15)	33.00	2.00	
40		जिला अस्पतालों में आयुष विंग की स्थापना (85:15)	10.10	2.00	
41	कर्मचारी राज्य बीमा	ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खनक, भिवानी की ओपनिंग	2.00		
42		ई.एस.आई. अस्पताल, एन.एच. फरीदाबाद में 200 से 300 बिस्तर तक उन्नयन	4.00		
43	महिला एवं बाल विकास	निदेशालय (नया भवन) के लिए भवन का निर्माण	1.00		
44		महिला शक्ति सदन	0.35		
45	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एच.आई.पी.ए.)	प्रशिक्षण फिल्मों/दृश्य श्रवण उपकरणों की खरीद	2.00		
46		अनुसंधान परियोजनाएं	0.50		
47		उद्यम विकास केंद्र	0.50	1.00	
48		वाहनों का प्रतिस्थापना	4.00		
		कुल	**29,288.00**	**2,144.35**	**741.00**
		अर्थात् (₹ करोड़ में)	**292.88**	**21.44**	**7.41**

परिशिष्ट 2.16

उन स्कीमों के ब्यौरे जहां संशोधित अनुमानों में प्रावधान घटाया गया था किंतु कोई व्यय नहीं किया गया था

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 46)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग	स्कीम का नाम	अनुमोदित प्लान	संशोधित अनुमान
1	कृषि	राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा स्कीम (50:50)	400.00	100.00
2	बागवानी	कृषि और सब्जी फसल	10.00	1.00
3	बागवानी	अच्छी कृषि पद्वति और पीड़कनाशियों का प्रभाव	100.00	1.00
4	पशुपालन और डेयरी उद्योग	गौशाला आयोग की स्थापना के लिए स्कीम	200.00	25.00
5	समुदाय विकास	स्वास्थ्य और स्वच्छता स्कीम, शिक्षा और ग्रामीण सड़कें	600.00	450.00
6	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	बी.एम.एल. को हांसी ब्रांच के साथ जोड़ना	100.00	60.00
7	नवीकरण योग्य ऊर्जा विभाग	ऊर्जा दक्षता अभिक्रमों को बढ़ावा देना	20.00	5.00
8	उद्योग	ग्रामीण और लघु उद्योग: एम.एस.एम.पी. समूह विकास कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	900.00	300.00
9	विज्ञान और प्रोद्यौगिकी	हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीम	100.00	60.75
10	आयुष	प्रोगाम मैनेजमैंट यूनिटस (पी.एम.यूज/डी.एम.यूज-4) (50:50) का संस्थापन	15.80	2.32
11	कर्मचारी राज्य बीमा	ए.डी.ए. के एक पद का सृजन	0.50	0.39
12	शहरी विकास	राजीव गांधी आवास योजना	6,535.06	4,316.06
13	एस.सीज और बीसीज का कल्याण	प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से असंगठित सैक्टर में एससी. उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए वित्तिय सहायता	50.00	0.10
14		बच्चे जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसायों (50:50) में संलिप्त हैं, को प्री मैट्रिक स्कालरशिप देना	0.15	0.05
15		बी.सी. और अल्पसंख्यकों के लिए आवास वित्त स्कीम	200.00	0.10
16	महिला और बाल विकास	एसिड पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राहत	24.00	10.00
17	मुद्रण और स्टेशनरी	सरकारी प्रैस सैक्टर 18, चण्डीगढ़ का विस्तार	18.00	17.00
18	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	राज्य निर्वाचन आयोग भवन का निर्माण	10.00	1.00
19		हासपिटैलिटी बिल्डिंगज	5.00	1.00
20		मंत्री कार सैक्शन-केन्द्रीय सरकार कार्यशाला भवन	5.00	1.00
21		कोषालय और लेखा भवन	10.00	1.00
कुल			**9,303.51**	**5,352.77**
अर्थात् (₹ करोड़ में)			**93.04**	**53.53**

परिशिष्ट 2.17

उन स्कीमों के ब्यौरे जहां संशोधित अनुमानों में प्रावधान बढ़ाया गया था किंतु कोई व्यय नहीं किया गया था

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 46)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित अनुमान
1	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	एस. एण्ड टी कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान	250.00	1,300.60
2	माध्यमिक शिक्षा	सूचना संचार एवं प्रोद्योगिकी स्कीम (सी.एस.एस. 75:25)	1,671.00	1,885.00
3	खेलकूद	पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) (सी.एस.एस. 75:25)	170.00	340.00
4	महिला एवं बाल विकास	माहिला जागरूकता प्रबंध अकादमी को वित्तीय सहायता	30.00	43.00
5		नवयुवतियों तथा निस्सहाय महिलाओं तथा विधवाओं के लिए गृह सह व्यवसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र	8.00	38.00
		कुल	**2,129.00**	**3,606.60**
		अर्थात् (₹ करोड़ में)	**21.29**	**36.06**

परिशिष्ट 2.18

उन स्कीमों के ब्यौरे जहां अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था किंतु कोई व्यय नहीं किया गया था

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 46)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित अनुमान
1	बागवानी	फसल बीमा (सी.एस.एस.)	14.00	14.00
2	पशुपालन और डेरी उद्योग	राज्य वैटरनरी काउंसील की स्थापना (50:50)	5.00	5.00
3	मछली पालन	ओरनामैंटल मछली पालन का विकास	10.00	10.00
4		राष्ट्रीय मछली पालन विकास बोर्ड (सी.एस.एस.)	5.00	5.00
5		इनलैंड कैप्चर फिशरीज का विकास (नदी/तालाब सी.एस.एस.)	3.50	3.50
6		फ्रैश वाटर प्रॉन फारमिंग का विकास	1.00	1.00
7	सहकारिता	पी.ए.सीज के लिए जमा गारंटी के लिए गारंटी फीस का अंशदान	5.00	5.00
8		सहकारिता विभाग का कम्प्यूटरीकरण	50.00	50.00
9	मेवात विकास बोर्ड	खेल	10.00	10.00
10	कमांड एरिया विकास	फील्ड इंटरमीडिएट और लिंक ड्रेनज का निर्माण	56.00	56.00
11	प्राधिकरण	सिवानी नहर कमांड परियोजना	332.45	332.45
12	विद्युत	11 के वी फीडरज का यू.एच.बी.वी.एन. द्वि/त्रिविभाजन	900.00	900.00
13	नवीकरण योग्य ऊर्जा विभाग	एल.ई.डी. आधारित सोलर लान्टेन्ज पर नई शिक्षा स्कीम और नई प्रौद्योगिकी का अध्ययन और प्रोत्साहन	1.00	1.00
14	उद्योग	वृहद् और मध्यम उद्योग: एच.एस.आई.डी.सी. का शेयर कैपीटल	1.00	1.00
15		ग्रामीण और लघु उद्योग: फुड प्रोसैसिंग उद्योगों का विस्तार	1.00	1.00
16		ग्रामीण और लघु उद्योग: सी.एन.जी./पी.एन.जी. के वितरण नेटवर्क की स्थापना	10.00	10.00
17	इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना	राष्ट्रीय ई-गर्वनेंन्स राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए ए.सी.ए.	1,032.00	1,032.00
18	प्रौद्योगिकी	यू.आई.डी. (ते.वि.आ.)	642.00	642.00
19	सिविल विमानन	ट्रेनर/एडवान्सड ट्रेनर एयर क्राफ्ट का प्रापण	0.50	0.50
20		गलाइडरज/पावर गलाइडरज/हैलीकॉपटर का प्रापण	0.50	0.50
21	सड़क परिवहन	विनियामक स्कंध का भूमि तथा भवन कार्यक्रम	100.00	100.00
22		एच.आर.ई.सी. को शेयर पूंजी	1.00	1.00
23		सड़क सुरक्षा कार्यक्रम	50.00	50.00
24	विकेन्द्रीकृत/जिला आयोजना	विकेन्द्रीकृत योजना	1.00	1.00
25	प्राथमिक शिक्षा	एस.सी. लड़कों को फ्री साईकिलों की प्रदानगी	190.00	190.00
26	माध्यमिक शिक्षा	विद्यार्थी सुरक्षा बीमा पालिसी	25.00	25.00
27		आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लाक्स में मॉडल स्कूलों का खोलना (सी.एस.एस. 25:75)	1,359.00	1,359.00
28		शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में लड़कियों के होस्टल का निर्माण/चलाना (सी.एस.एस.)	360.00	360.00
29	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. विद्यार्थियों को फ्री किताबों की आपूर्ति	50.00	50.00
30	खेल	राज्य खेल काउंसिल	5.00	5.00

क्र. सं.	विभाग	स्कीम का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित अनुमान
31	स्वास्थ्य	अस्पतालों में डिपैन्डेन्ट फीडर लाइनज प्रदान करना	120.00	120.00
32		सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का मजबूतीकरण	30.00	30.00
33		क्षमता निर्माण के लिए ए.एन.एम./जी.एन.एम. नर्सरी ट्रेनिंग स्कूल का खोलना/सुदृढीकरण	15.00	15.00
34		नशा-मुक्ति केन्द्रों का सुदृढीकरण	20.00	20.00
35	आयूष	डिस्पैंन्सरियों का मॉडल डिस्पैंन्सरियों में उन्नयन	0.20	0.20
36	शहरी विकास	एकीकृत कम लागत स्वच्छता स्कीम	200.00	200.00
37		महिला पार्षद के लिए प्रशिक्षण योजना	4.00	4.00
38		फायर फाइटिंग एमरजेंसी सेवाओं (सी.एस.एस.) का सुदृढीकरण (सी.एस.एस.)	250.00	250.00
39		टाउन और कंट्री प्लानिंग (एन.सी.आर.) एस.सी. के लिए फरीदाबाद के सैक्टर 56 में 250 निवास इकाइयों का निर्माण	2,500.00	2,500.00
40		टाउन और कंट्री प्लानिंग (एन.सी.आर.) कर्मचारियों के लिए एच.आर.डी.	30.00	30.00
41	एस.सीज और बी.सीज का कल्याण	रोजगार अभिमुख संस्था की स्थापना द्वारा रोजगार उत्पादन अवसरों का सृजन	50.00	50.00
42		एच.एस.सी.एफ. और डी. कोर्प बी (1,243) को शेयर पूंजी (50:50)	183.85	183.85
43		लड़कों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (50:50)	90.00	90.00
44		अनुसंधान और अध्ययन	10.00	10.00
45		ओ.बी.सी. लड़कों और लड़कियों के लिए हास्टल का निर्माण (50:50)	70.00	70.00
46	श्रम	फरीदाबाद में लेबर कोर्ट काम्पलैक्स के लिए प्लाट की खरीद	1.20	1.20
47	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	एच.बी.सी. के एन. की शेयर पूंजी	144.60	144.60
48		राज्य स्तरीय परियोजना/विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए घर रोहतक	300.00	300.00
49		अल्प संख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक वजीफा (75:25)	30.00	30.00
50		अनुसंधान केन्द्र की स्थापना/विकलांगों के लिए मनोरंजन केन्द्र और स्पेशल स्कूल	25.00	25.00
51		सभी जिला शहरी सम्पदाओं में सीनियर सिटीजन क्लबों की स्थापना	90.00	90.00
52		स्थानीय स्तर कमेटियों का निधिकरण	4.00	4.00
53		वरिष्ठ नागरिकों को ऐनक उपलब्ध करवाने की स्कीम	25.00	25.00
54		वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्टेट आवार्ड हेतु स्कालरशिप	11.00	11.00
55		हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को आई कार्ड जारी करना	25.00	25.00
56		वरिष्ठ नागरिक सम्मान क्लब	160.50	160.50
57		हरियाणा में नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए एनजीओज को वित्तीय सहायता	100.00	100.00
58		एच.बी.सी. को शेयर कैपीटल और अपाहिजों के लिए इ.डब्ल्यू.एस.के.एन.	141.60	141.60

क्र. सं.	विभाग	स्कीम का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित अनुमान
59	महिला और बाल विकास	जैंडर सैंसीटाइजेशन प्रोग्राम	15.00	15.00
60		स्वाबलंबन (एन.ओ.आर.ए.डी.)	5.00	5.00
61		किशोरों का पुनर्वास और कौशल निर्माण	1.00	1.00
62		राज्य महिला सरकारी कर्मचारी मिशन (75:25)	1.00	1.00
63	लोक निर्माण कार्य (सामान्य प्रशासन)	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कामगारों को मकान स्थल	5.00	5.00
कुल			**9,878.90**	**9,878.90**
अर्थात् (₹ करोड़ में)			**98.79**	**98.79**

परिशिष्ट 2.19

उन स्कीमों के ब्यौरे जहां बजट अनुमान बढ़ाये गये थे किंतु व्यय मूल प्रावधानों से कम था

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 46)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	31 मार्च 2012 तक व्यय	कॉलम 5 से कॉलम 6 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि: फसल पालन	सतत् नीतिगत पहलों का संवर्धन	1,200.00	1,663.00	555.78	33
2.		फसल विनिवेश का उन्नयन	200.00	900.00	66.84	7
3.		उर्वरकों का भंडारण और वितरण	700.00	1,000.00	700.00	70
4.		कृषि अभियांत्रिकी सेवाएं	315.00	320.00	266.80	83
5.		मौसम आधारित फसल बीमा	750.00	900.00	336.44	37
6.		वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन गुणवत्ता शहद प्रो एग्री एंड नॉन एग्री लेबर	200.00	300.00	60.14	20
7.	कृषि: मृदा एवं जल संरक्षण	जल संरक्षण प्रौद्योगिकी पर सहायता देना	1,280.00	1,335.00	1,270.39	95
8.	बागवानी	कृषीय मानव संसाधन विकास परियोजना (ई.ए.पी.) (फेज-II)	85.00	102.53	84.69	83
9.		बागवानी जैव प्रौद्योगिकी	20.00	57.53	15.85	28
10.		सूचना और प्रौद्योगिकी	80.00	96.40	17.96	19
11.	पशुपालन	दूध, अंडे, ऊन तथा मीट के उत्पादन के नमूना सर्वेक्षण आंकलन हेतु स्कीम (50:50 हिस्सा आधार पर)	65.00	68.60	58.30	85
12.	वन	एग्रो फारेस्ट्री क्लोनल तथा नॉन क्लोनल	2,500.00	2,526.22	2,386.89	94
13.	सहकारिता	प्रचार और प्रसार	50.00	78.00	50.00	64
14.		हाउस फैड को शेयर पूंजी	150.00	200.00	150.00	75
15.	ग्रामीण विकास	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)	3,044.00	4,007.00	2,659.92	66
16.	पंचायतें	महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना	5,000.00	6,140.00	3,681.23	60
17.	मेवात विकास बोर्ड	सामुदायिक कार्य	150.00	260.00	127.07	49
18.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	बाढ़ नियंत्रण तथा ड्रेनेज स्थापना	4,500.00	5,300.00	3,985.23	75
19.	नवीकरण ऊर्जा विभाग	आम जनता के लिए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की स्थापना को बढ़ावा	20.00	46.10	20.00	43
20.	उद्योग	एस.सी./एस.टी. लाभग्राहियों के लिए ग्रामीण तथा लघु उद्योग उद्यमी विकास कार्यक्रम	40.00	45.00	39.65	88
21.	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़कें)	पुल	3,500.00	3,700.00	3,480.34	94
22.	आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण	जनसंख्या सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी: राज्य तथा जिला स्तर केंद्र (एस.एस.एस.पी.)(सी.एस.एस.) में राज्य अनुकूल सांख्यिकी योजना	1.00	5.85	0.53	9
23.	माध्यमिक शिक्षा	अपंग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (सी.एस.एस. 50:50)	69.11	70.00	0.18	0
24.	कला एवं संस्कृति	सार्वजनिक पुस्तकालय: जिला/उप मंडलीय पुस्तकालय	76.00	576.00	29.97	5
25.	उच्चत्तर शिक्षा	सरकारी महाविद्यालयों का खोलना तथा विद्यमान महाविद्यालयों में अतिरिक्त कर्मचारियों का प्रावधान और अतिथि शिक्षकों का भुगतान	3,957.50	4,008.80	3,289.44	82
26.		सरकारी महाविद्यालयों में एस.सी. विद्यार्थियों के लिए विशेष घटक	3,860.00	4,160.00	3,546.77	85

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	31 मार्च 2012 तक व्यय	कॉलम 5 से कॉलम 6 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
27.	स्वास्थ्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (सीएस.एस.)	3,500.00	4,700.00	3,500.00	74
28.		अस्पतालों का सुधार तथा विस्तार (मशीनरी तथा उपकरण की खरीद)	1,000.00	1,276.00	870.00	68
29.		मलेरिया	500.00	564.50	457.46	81
30.	कर्मचारी राज्य बीमा	स्टाफ की आउट सोर्सिंग के लिए मजदूरी का प्रावधान	12.50	15.00	5.81	39
31.		बावल में का.रा.बी. औषधालय खोलना	3.00	3.14	0.78	25
32.		गुडगांव के मानेसर मे का.रा.बी. औषधालय खोलना	7.00	7.19	3.35	47
33.		रोहतक के सांपला में का.रा.बी. औषधालय खोलना	3.50	4.30	1.42	33
34.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	शहरी सीवरेज	12,000.00	12,350.00	11,486.06	93
35.	शहरी विकास	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड	250.00	500.00	175.00	35
36.		स्व: स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (सीएस.एस. 75:25)	375.00	532.57	359.08	67
37.	जन संपर्क	कम्प्यूटरीकरण (आई.टी.)	72.00	77.00	63.96	83
38.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन स्कीम	3,304.00	3,674.00	3,152.00	86
39.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम	750.00	825.00	749.00	91
40.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन स्कीम	323.00	385.00	293.00	76
41.	महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम	घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा	80.00	85.00	66.00	78
42.		पोषण:किशोरी शक्ति योजना (नाबालिग कन्या स्कीम)	300.00	400.00	289.00	72
43.		नाबालिग कन्याओं के सुधार हेतु राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला (नई स्कीम)	500.00	600.00	426.56	71
44.	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक संस्थान	मशीनरी, उपकरण तथा फर्नीचर का आधुनिकीकरण	1,500.00	1,732.70	708.23	41
45.	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	होस्टल बिल्डिंग का फर्नीचर तथा फर्नीशिंग	5.00	8.00	5.00	63
46.		पुस्तकालय की पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं तथा उपकरण	0.50	0.58	0.21	36
47.	अन्य सामान्य सेवाएं	II. विद्युत: हायर पावर जनरेशन कार्पोरेशन	57,500.00	67,500.00	20,884.00	31
48.		III. उद्योग: हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम	1,44,350.00	1,55,400.00	93,771.00	60
		कुल	**2,58,148.11**	**2,88,506.01**	**1,64,147.33**	
		अर्थात् (₹ करोड़ में)	**2,581.48**	**2,885.06**	**1,641.47**	

परिशिष्ट

2.20

संशोधित अनुमानों में शामिल स्कीमों के ब्यौरे

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 46)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	संशोधित अनुमान	31 मार्च 2012 तक व्यय	कालम 5 की कालम 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	पशुपालन और डेरी उद्योग	पोली क्लीनिक्स	10.00	6.62	66
2.	सहकारिता	किसानो के लिए एच .एस.सी.आर.डी.बी. को ऋण (आकस्मिक निधियों से)	10,000.00	10,000.00	100
3.	ग्रामीण विकास	बी.पी.एल. सर्वेक्षण	279.61	279.61	100
4.	विद्युत	एन.टी.पी.सी. द्वारा निष्पादित हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लि. 1500 एम.डब्ल्यू. कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना	9,540.00	9,540.00	100
5.		हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम आई.बी.आर.डी. साम्या	4,500.00	4,500.00	100
6.		दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम आई. बी.आर.डी. ऋण (इ.ए.पी.)	4,800.00	3,305.14	69
7.		एच.वी.पी.एन. लिमिटेड एन.सी.आर. क्षेत्र में एन्टीफाग सिस्क इन्सूलेटर	200.00	0	
8.		एच.वी.पी.एन. लिमिटेड विद्युत ट्रांसफार्मर	400.00	0	
9.		एच.वी.पी.एन. लिमिटेड पानीपत में एच.पी.टी.आई. 7 टावर फैबरीकेटिड वर्कशाप	1,500.00	0	
10.		डी.एच.बी.वी.एन. लिमिटेड उप मण्डल कम्प्यूटरीकरण ए.पी.डी.आर.पी. तथा नान-आर-ए. पी.डी.आर.पी.	141.00	0	
11.	माध्यमिक शिक्षा	कक्षा 9 और 11 में एस .सी. लड़की और लड़का विद्यार्थियों की निःशुल्क साईकिलें	344.00	36.52	11
12.		स्वतन्त्रता सेनानियों की लड़कियों/पोतों के लिए मासिक वजीफा	16.17	12.45	77
13.		कानूनी साक्षरता मिशन	7.58	5.26	69
14.		राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा गुणवत्ता ढाँचा (सी.एस.एस.)	11.06	0.28	3
15.	खेल	खेल क्रियाओं का उन्नयन (इ. और टी.)	5.00	2.39	48
16.	चिकित्सा शिक्षा	नलहार जिला मेवात, में मेवात चिकित्सा और अध्यापन महा विद्यालय की स्थापना	846.21	337.14	40
17.		चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पताल खानपुर कलां (सोनीपत) का विस्तार पी.एच.-2 (ते.वि.आ.)	2,500.00	0	
18.	स्वास्थ्य	बायो मैडीकल वेस्ट मैनेंजमैंट के लिए वित्तीय सहायता देना	400.00	335.00	84
19.		एन.पी.सी.डी.सी.एस. तथा एन.पी.एच.सी.ई. का कार्यान्वयन	5.00	0	
20.	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	शहरी नए शीर्ष के अन्तर्गत भवनों/अवासों का निर्माण	125.00	107.73	86
21.	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एच.आई.पी.ए.)	एच.आई.पी.ए. गुड़गांव के लिए इलैक्ट्रीकल उपकरणों की खरीद	6.17	6.17	100

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	संशोधित अनुमान	31 मार्च 2012 तक व्यय	कालम 5 की कालम 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
22.		आर.टी.आई. अंबाला के लिए कार की खरीद	5.14	5.14	100
23.	कृषि	मृदा स्वास्थ्य तथा उर्वरता के प्रबन्धन पर राष्ट्रीय परियोजना	95.00	0	
24.	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा परियोजना फेज IV	440.00	0	
25.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	एन.एम.डी.एफ.सी. के ऋण के भुगतान के लिए हरियाणा पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को विशेष सहायता अनुदान	416.00	0	
26.	महिला और बाल विकास	जे.जे. अधिनियम के अन्तर्गत घरों का निर्माण	119.00	0	
27.	औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसयिक शिक्षा	एम.आई.एस. का कार्यान्वयन (75:25)	27.55	0	
		कुल	36,739.49	28,479.45	
		अर्थात् (₹ करोड़ में)	367.39	284.79	

परिशिष्ट 2.21

स्कीम, जिसके लिए ए.पी. के साथ-साथ आर.ई. में कोई प्रावधान नहीं किया गया था किन्तु व्यय किया गया था, की सूची

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 46)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	31 मार्च 2012 तक व्यय
1	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	एस.सी.एस.पी.	153.99
2		ए.आई.सी.आर.पी. (25 प्रतिशत हिस्सा)	788.77
कुल			**942.76**
अर्थात् (₹ करोड़ में)			**9.43**

परिशिष्ट 2.22

उन स्कीमों के ब्यौरे जिनमें कोई व्यय नहीं किया गया था (अनुदान संख्या 13)

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.1; पृष्ठ 47)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष स्कीमें	विषय शीर्ष	बजट अनुमान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचतें
योजना स्कीम							
1	2210-01-110-48-51-एन. अस्पतालों में स्वतंत्र फीडर लाइन और जलापूर्ति देना	24-सामग्री और आपूर्ति	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
2	2210-01-110-47-51- एन. कैंसर, मानसिक, टी.बी. और श्वसन रोगों के लिए राज्य संस्थान	34-अन्य प्रभार	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
3	2210-01-110-44-51-एन. नशामुक्ति केन्द्रों का खोलना/सुदृढ़ीकरण	01-वेतन	9.80	0.00	9.80	0.00	9.80
4		03-महंगाई भत्ता	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50
5		04-यात्रा व्यय	0.10		0.10	0.00	0.10
6		05-कार्यालय व्यय	4.55	0.00	4.55	0.00	4.55
7		24-सामग्री और आपूर्तियां	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
8		67-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05
9		70-अवकाश यात्रा छूट	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
10	2210-03-789-98-51-एन. अनुसुचित जाति रोगियों के लिए आरोग्य कोश	74-एस. सी. के लिए विशेष कॉम्प प्लान	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
11	2210-03-789-96-51 एस.सी. बहुल जनसंख्या गांवों में उपकेन्द्रों का खोलना/निर्माण	74-एस.सी. के लिए विशेष घटक	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
12	2210-06-003-93-51-एन. ए. एन.एम./जी.एन.एम./ट्रेनिंग स्कूलों का खोलना/ सुदृढीकरण	86-प्रशिक्षण	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
13	2210-80-800-96-51-एन. नागरिक पंजीकरण प्रणाली का दृढीकरण	01-वेतन	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00
14		03-महंगाई भत्ता	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00
15		67-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
16	2210-06-101-77-51 एन. निदेशालय स्तर पर राज्य आफथैलमिक सैल का विस्तार	01-वेतन	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00
17		03-महंगाई भत्ता	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00
18		05-कार्यालय व्यय	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
19		09-सहायता अनुदान सामान्य	842.00	0.00	842.00	0.00	842.00
20		19-मशीनरी और उपकरण	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
21		45-पी.ओ.एल.	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60
22		86-प्रशिक्षण	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
23	2210-80-800-97-51 एन. जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार के आफिस का सुदृढीकरण	01-वेतन	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22
24		03-महंगाई भत्ता	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
25		04-यात्रा व्यय	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20
26		05-कार्यालय व्यय	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22
27		34-अन्य प्रभार	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60
28		67-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06
29	2211-51-001-97-51-बाल उत्तर जीविता सुरक्षित मातृत्व	34-दूसरे प्रभार	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
30	2211-51-03-96-51- एन.पी. डब्ल्यू (एफ.) भिवानी के लिए प्रोमोशनल ट्रेनिंग स्कूल	67-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
कुल			**1,256.90**	**0.0**	**1,256.90**	**0.0**	**1,256.90**
अर्थात् (₹ करोड़ में)			**12.57**		**12.57**		**12.57**

परिशिष्ट 2.23

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय के वेग वाली स्कीमों के ब्यौरे (अनुदान संख्या 13)

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.1; पृष्ठ 47)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/स्कीम वार	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2012 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
योजनेत्तर							
1	2210-01-102-99-51 एन.वी. मुख्यालय स्टाफ	45-पी.ओ.एल.	1.25	0.97	78	0.30	24
2	2210-01-102-98-98-एन.वी. स्थापना व्यय	24-सामग्री और आपूर्तियां	172.50	160.96	93	159.87	93
3		34-अन्य प्रभार	24.96	9.58	38	5.61	22
4		70-एल.टी.सी.	28.97	19.20	66	15.62	54
योजनागत							
5	2210-01-102-98-98-एन.वी. स्थापना व्यय	04-यात्रा व्यय	0.77	0.41	53	0.41	53
6		19-मशीनरी और उपकरण	32.65	23.70	73	15.2	47
7		21-मोटर वाहन	19.08	8.5	45	6.71	35
8		24-सामग्री और आपूर्तियां	1,881.27	939.81	50	569.73	30
9		67-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3.23	2.44	76	2.45	76
10	2210-01-102-95-बी.पी.एल. परिवार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	04-यात्रा व्यय	1.82	0.74	41	0.44	24
11		34-अन्य प्रभार	0.64	0.45	70	0.22	34
12		69-संविदात्मक	36.65	17.40	47	12.13	33
कुल			**2,203.79**	**1,184.16**	**54**	**788.69**	**36**
अर्थात् (₹ करोड़ में)			**22.04**	**11.84**		**7.89**	

परिशिष्ट 2.24

उन स्कीमों के ब्यौरे जिनमें कोई व्यय नहीं किया गया था (अनुदान संख्या 36)

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 48)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष स्कीमें	विषय शीर्ष	बजट अनुमान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत
योजनागत स्कीमें							
1	2055-51-001-99-एन.वी. निर्देशन और प्रशासन	79-एक्स-ग्रेसिया	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
2	2055-36-003-99-एन.वी शिक्षा और प्रशिक्षण	06-किराया, दर और कर	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
3		07-प्रकाशन	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00
4		08-विज्ञापन और प्रचार	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
5	2055-51-003-98-शिक्षा और प्रशिक्षण	07-प्रकाशन	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
6	2055-51-003-97-शिक्षा और प्रशिक्षण	79-एक्स-ग्रेसिया	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
7	2055-51-101-99-सी.आई.डी. और सर्तकता	07-प्रकाशन	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
8	2055-51-101-98-सी.आई.डी. और सर्तकता	79-एक्स-ग्रेसिया	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
9	2055-51-101-97-सी.आई.डी. और सर्तकता	04-यात्रा व्यय	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
10		06-किराया, दर और कर	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
11		17-लघु कार्य	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
12	2055-51-104-99-हरियाणा सशस्त्र पुलिस	06-किराया, दर और कर	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
13	2055-51-111-99-रेलवे और कमांडो फोर्स	07-प्रकाशन	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
14	2055-51-114-99-97-वायरलैस और कम्प्यूटर	69-संविदात्मक सेवायें	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
15		88-आई.टी.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
16	2055-51-116-99-51-एफ.एस.एल.	79-एक्स-ग्रेसिया	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
कुल			**35.00**	**0.0**	**35.00**	**0.0**	**35.00**

परिशिष्ट 2.25

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के वेग वाली स्कीमों का ब्यौरा (अनुदान संख्या 36)

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 48)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	स्कीमवार विस्तृत शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय		मार्च 2012 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
योजनेत्तर							
1	2070-51-107-99-51-आर.वी. निदेशन एवं प्रशासन	04-यात्रा व्यय	7.33	2.84	39	1.66	23
2		21-मोटर वाहन	4.92	1.28	26	1.38	28
3		24-सामग्री एवं आपूर्तियां	7.92	3.22	41	1.92	25
4	2070-51-106-99-51-एन.वी. निदेशन एवं प्रशासन	2-मजदूरी	1.24	0.60	48	0.33	27
5		04-यात्रा व्यय	0.29	0.17	60	0.17	57
6		05-कार्यालय व्यय	1.49	0.71	48	0.41	27
7		06-किराया, दर एवं कर	0.79	0.22	28	0.22	28
8		19-मशीनरी एवं उपकरण	1.74	0.63	0.22	0.57	33
9		21-मोटर वाहन	0.10	0.09	99	0.09	99
10		24-सामग्री एवं आपूर्तियां	0.11	0.05	50	0.06	50
11		67-चिकित्सा	2.30	0.96	42	0.90	39
12	2055-51-001-99-केन्द्रीय पुलिस कार्यालय और रेंजीज	02-मजदूरी	8.94	4.52	51	3.62	41
13		05-कार्यालय व्यय	384.40	244.20	64	179.83	47
14		08-विज्ञापन एवं प्रचार	14.25	8.82	62	3.91	27
15		17-लघु कार्य	41.00	14.50	35	11.61	26
16		21-मोटर वाहन	45.33	14.95	33	11.61	26
17		34-अन्य प्रभार	31.82	16.78	53	9.20	29
18		70-एल.टी.सी.	11.47	5.82	51	1.11	10
19	2055-51-003-97-भर्ती ट्रेनिंग सैंटर सुनारिया (रोहतक)	15-गुप्त सेवाएं व्यय	0.72	0.41	57	0.37	51
20		17-लघु कार्य	31.27	27.23	87	2.69	86
21		21-मोटर वाहन	4.04	1.80	45	1.22	30
22		34-अन्य प्रभार	0.70	0.28	40	0.27	38
23		45-पी.ओ.एल.	8.93	4.60	51	2.87	32
24		60-संविदात्मक सेवाएं	11.14	6.43	58	2.23	20
25		70-एल.टी.सी.	0.89	0.89	100	0.89	100
26	2055-51-003-98-पुलिस अनुसंधान और प्रशिक्षण	02-मजदूरी	3.72	1.32	36	0.54	15
27		05-कार्यालय व्यय	23.75	9.38	39	4.00	17
28		15-गुप्त सेवाएं व्यय	2.25	1.54	68	0.43	19
29		21-मोटर वाहन	8.99	5.85	65	1.59	18
30		24-सामग्री एवं आपूर्तियां	16.11	9.77	61	5.48	34
31		34-अन्य प्रभार	3.17	1.86	59	0.52	16
32		45-पी.ओ.एल.	13.00	7.58	58	2.46	19
33	2055-51-003-99-रंगरूटों का उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र	15-गुप्त सेवाएं व्यय	3.30	1.90	58	1.74	53
34		21-मोटर वाहन	21.91	7.97	36	6.28	29
35		69-संविदात्मक सेवाएं	10.13	4.99	49	2.62	26
36	2055-51-101-97-राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण	05-कार्यालय व्यय	13.00	8.21	63	1.37	11
37		69-संविदात्मक सेवाएं	1.00	0.66	67	0.17	17

क्र.सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	स्कीमवार विस्तृत शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय		मार्च 2012 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
योजनेत्तर							
38	2055-51-101-98-अपराध, कानून व्यवस्था	34-अन्य प्रभार	8.04	3.65	45	3.35	42
39	2055-51-101-99-सी.आई.डी. और एस.सी.आर.बी.	05-कार्यालय व्यय	86.99	28.68	33	18.26	21
40		06-किराया, दर और कर	6.80	3.22	47	0.63	9
41		08-विज्ञापन और प्रचार	2.47	1.27	52	0.01	41
42		17-लघु कार्य	20.86	16.26	78	15.98	77
43		24-सामग्री एवं आपूर्तियां	20.09	10.47	52	6.13	30
44		34-अन्य प्रभार	5.89	4.08	69	1.52	26
45		67-आर.एम.ई.	51.08	23.81	47	15.62	31
46	2055-51-104-99-भारतीय रिजर्व बटालियन	17-लघु कार्य	3.18	1.29	41	1.18	37
47	2055-51-104-99-हरियाणा सशस्त्र पुलिस	15-गुप्त सेवाएं व्यय	11.00	4.17	38	3.77	34
48		67-आर.एम.ई.	69.99	23.82	34	20.06	29
49	2055-51-109-99-जिला पुलिस	08-विज्ञापन और प्रचार	19.82	7.92	40	4.24	21
45		17-लघु कार्य	666.45	257.44	39	213.35	32
50		21-मोटर वाहन	1,099.21	425.07	39	257.40	23
51		24-सामग्री एवं आपूर्तियां	356.79	182.69	51	80.56	23
52		34-अन्य प्रभार (दत्तमत)	982.17	414.73	42	279.05	28
53		34-अन्य प्रभार (भारित)	118.12	88.50	75	44.49	38
54	2055-51-111-99-रेलवे और कमांडों फोर्स	08-विज्ञापन और प्रचार	2.92	1.71	59	1.71	59
55		15-गुप्त सेवाएं व्यय	21.70	11.55	53	5.55	26
56		34-अन्य प्रभार (दत्तमत)	29.94	20.61	69	10.91	36
57		67-आर.एम.ई.	73.99	38.28	52	38.28	52
58	2055-51-114-99-98-स्थापना व्यय	04-यात्रा व्यय	32.71	13.56	41	13.40	41
59		17-लघु कार्य	3.13	3.09	99	3.09	99
60		34-अन्य प्रभार	1.87	0.69	37	0.69	37
61		67-आर.एम.ई.	59.86	21.73	36	20.36	34
62		79-एक्सग्रेसिया	1.00	0.75	75	0.25	25
63	2055-51-114-99-99-सूचना तकनीकी	88-कम्प्यूटरीकरण (आई.टी.)	1,181.34	900.00	76	900.00	76
64	2055-51-115-99-उपकरणों की खरीद	19-मशीनरी और उपकरण	948.82	594.67	63	594.67	63
65	2055-51-116-99-फोरेंसिक साईस लैब्रोरेटरी स्टाफ	34-अन्य प्रभार	0.38	0.36	95	0.31	81
66	2055-51-800-98-एच.पी.एस.सी. को ब्याज और ऋण और जी.आई.ए. का पुनर्भुगतान	09-सामान्य सहायता अनुदान	1,606.00	706.00	44	706.00	44
कुल			**8,236.07**	**4,233.10**	**50**	**3,527.16**	**43**
अर्थात् (₹ करोड़ में)			**82.36**	**42.33**		**35.27**	

परिशिष्ट

2.26

वर्ष 2011–12 हेतु वित्त विभाग को बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्बों को दर्शाने वाले ब्यौरे

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 48)

क्र.सं.	मांग संख्या एवं नामावली	मुख्य लेखा शीर्ष	विभाग का नाम	योजनागत/ योजनेत्तर	बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण की तिथि	वित्त विभाग को प्रस्तुतिकरण की देय तिथि	विलम्ब दिनों में
1	13-स्वास्थ्य	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वास्थ्य	योजनेत्तर	24 जनवरी 2011	06 नवम्बर 2010	79
2	13-स्वास्थ्य	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वास्थ्य	योजनागत	21 फरवरी 2011	06 नवम्बर 2010	107
3		2211-परिवार कल्याण	स्वास्थ्य	योजनागत	06 दिसम्बर 2010	06 नवम्बर 2010	30
4	36-गृह	2055-पुलिस	पुलिस	योजनेत्तर	15 दिसम्बर 2010	06 नवम्बर 2010	39
5		4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	पुलिस	योजनागत	07 जनवरी 2011	06 नवम्बर 2010	62

परिशिष्ट 2.27

वे मामले, जहां मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नए उप/विस्तृत तथा विषय शीर्ष प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की सहमति के बिना खोले गए थे, के ब्यौरे

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6; पृष्ठ 49)

मुख्य शीर्ष	5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय (प्लान)
उप मुख्य शीर्ष	03-राज्य राजमार्ग
लघु शीर्ष	101-पुल
उप शीर्ष	81-हरियाणा राज्य में पुलों का निर्माण
विस्तृत शीर्ष	99-राज्य स्कीम के अंतर्गत पुलों तथा रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण
विषय शीर्ष	16-मुख्य कार्य
विस्तृत शीर्ष	98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए पुलों तथा रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण
विषय शीर्ष	16-मुख्य कार्य
लघु शीर्ष	337-सड़कें
उप शीर्ष	88-हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण
विस्तृत शीर्ष	99-राज्य स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ीकरण तथा सुधार
विषय शीर्ष	16-मुख्य कार्य
विस्तृत शीर्ष	99-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ीकरण तथा उन्नयन
विषय शीर्ष	16-मुख्य कार्य
उप मुख्य शीर्ष	04-जिला एवं अन्य सड़कें
लघु शीर्ष	101-पुल
उप शीर्ष	84-हरियाणा राज्य में पुलों तथा रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण
विस्तृत शीर्ष	99-राज्य स्कीम के अंतर्गत पुलों तथा रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण
विषय शीर्ष	16-मुख्य कार्य
विस्तृत शीर्ष	98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत पुलों तथा रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण
विषय शीर्ष	16-मुख्य कार्य
विस्तृत शीर्ष	97-नाबार्ड स्कीम के अंतर्गत पुलों तथा रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण
विषय शीर्ष	16-मुख्य कार्य
उप मुख्य शीर्ष	04-जिला एवं अन्य सड़कें
लघु शीर्ष	337-सड़कें
उप शीर्ष	99-जिला सड़कें
विस्तृत शीर्ष	99-राज्य स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ीकरण तथा सुधार
विषय शीर्ष	16-मुख्य कार्य
विस्तृत शीर्ष	98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ीकरण
विषय शीर्ष	16-मुख्य कार्य
उप शीर्ष	98-ग्रामीण सड़कें
विस्तृत शीर्ष	99-राज्य स्कीम के लिए सड़क का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ीकरण तथा बाईपास
विषय शीर्ष	16-मुख्य कार्य
विस्तृत शीर्ष	98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ीकरण तथा बाईपास
विषय शीर्ष	16-मुख्य कार्य
विस्तृत शीर्ष	97-नाबार्ड स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ीकरण तथा बाईपास
विषय शीर्ष	16-मुख्य कार्य

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2012 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे

(संदर्भः अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 51)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	वर्ष	कुल अनुदान दिया गया		उपयोग प्रमाण-पत्र देय		उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त		उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1.	उद्योग	2008-09	11	1,785.50	8	1,614.47	3	1,135.97	5	478.50
		2009-10	13	798.10	9	644.10	1	20.00	8	624.10
		2010-11	13	1,301.03	13	1,301.03	3	100.00	10	1,201.03
2.	नवीकरण ऊर्जा	2008-09	17	782.50	8	159.98	7	99.98	1	60.00
		2009-10	10	490.72	7	426.47	6	376.47	1	50.00
		2010-11	10	585.07	10	585.07	5	270.00	5	315.07
3.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2010-11	77	4,915.75	77	4,915.75	17	2,114.11	60	2,801.64
4.	पर्यावरण	2010-11	3	19.00	3	19.00	1	2.00	2	17.00
5.	खेल	2009-10	87	1,422.84	86	1,411.84	35	397.50	51	1,014.34
		2010-11	123	1,850.71	123	1,850.71	4	2.41	119	1,848.30
6.	शिक्षा	2008-09	255	35,968.81	196	31,639.05	90	28,199.22	106	3,439.83
		2009-10	292	33,516.85	280	32,907.35	184	29,300.32	96	3,607.03
		2010-11	409	72,328.20	409	72,328.20	232	39,341.50	177	32,986.70
7.	ग्रामीण विकास	2008-09	248	43,297.30	247	40,429.66	152	17,960.43	95	22,469.23
		2009-10	444	41,738.38	444	41,692.18	336	18,200.80	108	23,491.38
		2010-11	406	33,436.75	410	33,658.97	15	14,149.54	395	19,509.43
8.	शहरी विकास	2010-11	40	29,143.43	40	29,143.43	32	28,571.08	8	572.35
9.	सिंचाई	2010-11	1	350.00	1	350.00	0	0.00	1	350.00
10.	पर्यटन	2010-11	5	24.23	5	24.23	0	0.00	5	24.23
	कुल		**2,464**	**3,03,755.17**	**2,376**	**2,95,101.49**	**1,123**	**1,80,241.33**	**1,253**	**1,14,860.16**

परिशिष्ट 3.2

निकाय एवं प्राधिकरण, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए, के नाम दर्शानेवाली विवरणी

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 51)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निकाय / प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
1.	नगर निगम, अम्बाला	2002-03	26.43
		2005-06	239.80
		2007-08	56.85
		2008-09	901.03
		2009-10	1,042.66
		2010-11	1,915.94
		2011-12	4,769.13
2.	नगर पालिका, नारायणगढ़	2010-11	38.65
		2011-12	587.91
3.	नगर पालिका, कैथल	2009-10	392.60
		2010-11	268.16
		2011-12	1,422.95
4.	नगर पालिका, पुण्डरी	2009-10	118.25
		2010-11	92.38
		2011-12	446.29
5.	नगर पालिका, चीका	2003-04	158.28
		2004-05	81.00
6.	नगर पालिका, कलायत	2006-07	47.05
		2009-10	173.26
		2010-11	35.91
		2011-12	322.31
7.	नगर निगम, यमुनानगर	2009-10	392.09
		2010-11	770.61
		2011-12	2,515.03
8.	नगर पालिका, जगाधरी	2009-10	424.22
9.	नगर पालिका, थानेसर	2007-08	29.33
		2009-10	220.09
		2010-11	703.33
		2011-12	1,079.69
10.	नगर पालिका, शाहबाद	2009-10	234.78
		2010-11	219.21
		2011-12	1,043.06
11.	नगर पालिका, लाड़वा	2009-10	114.84
		2010-11	131.25
		2011-12	562.79
12.	नगर पालिका, पेहोवा	2009-10	125.04
		2010-11	72.22
		2011-12	525.40
13.	नगर पालिका, कुरूक्षेत्र	1998-99	33.75
		2005-06	133.48
		2006-07	180.00
		2007-08	375.00
		2008-09	200.00
14.	नगर निगम, करनाल	1982-83	7.00
		1988-89	32.61
		2009-10	606.46
		2010-11	583.87
		2011-12	2,644.13

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
15	नगर पालिका, तरावड़ी	2009-10 2010-11 2011-12	198.18 47.73 797.19
16.	नगर पालिका, नीलोखेड़ी	2009-10 2010-11 2011-12	188.93 35.26 246.13
17.	नगर पालिका, घरौंडा	2009-10 2010-11 2011-12	244.85 62.15 562.29
18.	नगर पालिका, असंध	2009-10 2010-11 2011-12	372.46 49.19 523.31
19.	नगर पालिका, इन्द्री	2003-04 2005-06 2006-07 2009-10 2010-11 2011-12	74.01 54.21 46.51 139.58 35.22 170.68
20.	नगर पालिका, निसिंग	2009-10 2010-11 2011-12	30.87 36.15 167.52
21.	नगर निगम, पानीपत	2009-10 2010-11 2011-12	574.20 562.20 2,589.92
22.	नगर पालिका, समालखा	2009-10 2010-11 2011-12	172.68 64.53 502.78
23.	नगर निगम, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12	3,444.86 1,588.30 2,250.67
24.	नगर पालिका, मेहम	2009-10 2010-11 2011-12	129.23 42.54 418.77
25.	नगर पालिका, कलानौर	1999-2000 2009-10 2010-11 2011-12	40.00 276.86 38.09 275.64
26.	नगर पालिका, सांपला	2009-10 2010-11 2011-12	100.71 144.20 257.26
27.	नगर परिषद्, पंचकूला	2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12	160.54 27.04 51.61 27.00 359.08 459.50 1,596.22
28.	नगर पालिका, कालका	2006-07 2009-10 2010-11 2011-12	25.06 154.04 30.33 54.18
29.	नगर पालिका, पिंजौर	2003-04 2006-07 2009-10 2010-11 2011-12	34.60 73.93 148.09 29.23 52.22

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
30.	नगर पालिका, सोनीपत	2009-10 2010-11 2011-12	382.04 514.22 3,305.13
31.	नगर पालिका, गन्नौर	2002-03 2006-07 2009-10 2010-11 2011-12	41.16 40.00 161.77 118.96 699.26
32.	नगर पालिका, गोहाना	2005-06 2006-07 2009-10 2010-11 2011-12	69.99 116.98 311.03 250.46 820..65
33.	नगर पालिका, खरखोदा	1998-99 2005-06 2009-10 2010-11 2011-12	50.00 46.41 178.25 44.27 654.22
34.	नगर पालिका, झज्जर	2009-10 2010-11 2011-12	266.91 93.72 1,484.28
35.	नगर पालिका, बहादुरगढ़	1986-87 2009-10 2010-11 2011-12	35.93 517.13 579.11 5,400.45
36.	नगर पालिका, बेरी	2009-10 2010-11 2011-12	286.20 34.78 430.26
37.	नगर निगम, फरीदाबाद	2009-10 2010-11 2011-12	2,170.75 10,708.06 12,139.62
38.	नगर पालिका, पलवल	2007-08 2009-10 2010-11 2011-12	60.19 617.50 199.66 816.83
39.	नगर पालिका, होडल	2006-07 2009-10 2010-11 2011-12	40.00 240.45 86.10 749.69
40.	नगर पालिका, हथीन	2009-10 2010-11 2011-12	120.75 28.75 340.33
41.	नगर पालिका, गुड़गांव	2009-10 2010-11 2011-12	413.45 522.62 3,625.42
42.	नगर पालिका, सोहना	2009-10 2010-11 2011-12	233.77 63.71 794.34
43.	नगर पालिका, हेलीमण्डी	2009-10 2010-11 2011-12	164.93 38.06 374.43
44.	नगर पालिका, पटौदी	2009-10 2010-11 2011-12	133.23 39.39 377.98
45.	नगर पालिका, फारूख नगर	2009-10 2010-11 2011-12	147.90 22.41 382.56

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
46.	नगर पालिका, रेवाड़ी	2009-10	458.43
		2010-11	182.91
		2011-12	1,219.23
47.	नगर पालिका, बावल	2009-10	152.13
		2010-11	27.04
		2011-12	223.71
48.	नगर पालिका, धारूहेड़ा	2008-09	47.40
		2009-10	59.67
		2011-12	400.66
49.	नगर पालिका, फिरोजपुर झिरका	2009-10	246.56
		2010-11	39.19
		2011-12	291.75
50.	नगर पालिका, नूंह	2006-07	40.00
		2009-10	195.03
		2010-11	25.21
		2011-12	297.57
51.	नगर पालिका, तावडू	1999-2000	40.00
		2005-06	59.95
		2009-10	201.62
		2010-11	36.81
		2011-12	577.96
52.	नगर पालिका, पुन्हाना	2009-10	92.57
		2010-11	49.22
		2011-12	330.21
53.	नगर पालिका, नारनौल	1988-89	25.30
		1989-90	28.63
		2005-06	192.58
		2006-07	201.00
		2007-08	25.90
		2008-09	351.81
		2009-10	314.78
		2010-11	135.75
		2011-12	1,212.47
54.	नगर पालिका, मोहिन्द्रगढ़	2009-10	214.08
		2010-11	72.65
		2011-12	431.86
55.	नगर पालिका, कनीना	2009-10	97.32
		2010-11	23.62
		2011-12	183.91
56.	नगर पालिका, अटेली मण्डी	2009-10	60.28
		2010-11	15.15
		2011-12	117.41
57.	नगर पालिका, भिवानी	1987-88	36.40
		1988-89	33.25
		1989-90	36.00
		1995-96	50.00
		1997-98	27.56
		1998-99	72.00
		1999-2000	1,156.87
		2000-01	247.58
		2007-08	48.45
		2009-10	562.44
		2010-11	1,299.76
		2011-12	1,624.58

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
58.	नगर पालिका, चरखी दादरी (भिवानी)	1995-96 1999-2000 2009-10 2010-11 2011-12	33.33 50.00 292.51 590.53 729.24
59.	नगर पालिका, सीवानी	2009-10 2010-11 2011-12	194.70 35.17 275.23
60.	नगर पालिका, बवानी खेड़ा	1998-99 1999-2000 2009-10 2010-11 2011-12	32.03 40.00 198.25 39.19 425.26
61.	नगर पालिका, तोशाम	1999-2000	28.40
62.	नगर पालिका, लोहारू	2009-10 2010-11 2011-12	237.05 29.71 291.08
63.	नगर निगम, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12	739.17 571.24 2,099.35
64.	नगर पालिका, हांसी	2006-07 2009-10 2010-11 2011-12	51.17 274.66 313.87 1,270.76
65.	नगर पालिका, बरवाला	2009-10 2010-11 2011-12	419.12 79.79 646.39
66.	नगर पालिका, नारनौंद	2009-10 2010-11 2011-12	209.15 78.45 302.71
67.	नगर पालिका, उकलाना मण्डी	2011-12	268.00
68.	नगर पालिका, फतेहाबाद	2000-01 2002-03 2004-05 2006-07 2009-10 2010-11 2011-12	50.23 40.16 89.71 33.33 147.05 138.30 2,123.63
69.	नगर पालिका, टोहाना	2009-10 2010-11 2011-12	448.82 275.95 725.49
70.	नगर पालिका, रतिया	2009-10 2010-11 2011-12	285.98 60.36 681.53
71.	नगर पालिका, सिरसा	2009-10 2010-11 2011-12	452.09 744.98 2,498.78
72.	नगर पालिका, डबवाली	2009-10 2010-11 2011-12	351.52 122.31 705.76
73.	नगर पालिका, रानिया	2009-10 2010-11 2011-12	261.13 46.16 311.73
74.	नगर पालिका, कलांवाली	2009-10 2010-11 2011-12	292.03 49.35 309.06

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
75.	नगर पालिका, एलनाबाद	2009-10 2010-11 2011-12	301.38 73.42 474.18
76.	नगर पालिका, जींद	2009-10 2010-11 2011-12	328.22 320.28 1,385.51
77.	नगर पालिका, नरवाना	2009-10 2010-11 2011-12	224.03 114.70 917.36
78.	नगर पालिका, सफीदों	2009-10 2010-11 2011-12	138.68 57.51 593.26
79.	नगर पालिका, उचाना	1999-2000 2006-07 2009-10 2010-11 2011-12	30.00 46.22 101.77 30.78 181.27
80.	नगर पालिका, जुलाना	2009-10 2010-11 2011-12	173.26 35.27 290.67
51.	श्री भूतेश्वर मन्दिर तीर्थ, जीन्द	1994-95	25.29
82.	अरावली विकास संगठन, गुड़गांव	1995-96	100.00
83.	भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क, नई दिल्ली	2002-03	250.00
84.	हरियाणा स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, चण्डीगढ़	1998-99	700.48
85.	जिला बाल कल्याण परिषद्, रेवाड़ी	1999-2000	38.75
86.	धर्मार्थ स्थायी निधि, हरियाणा, मनीमाजरा	2001-02 2002-03	478.00 478.00
87.	ई-गवर्नेस के लिए आई.टी. उपक्रमण निधि, के लिए समीति, चण्डीगढ़	2002-03 2003-04 2004-05 2009-10	165.55 60.00 25.00 56.00
88.	हरियाणा ऊर्जा विकास अभिकरण, चण्डीगढ़	2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	67.30 41.50 384.37 25.00
89.	बालग्राम (एस.ओ.एस.) न्यासी बोर्ड राई, चण्डीगढ़	2003-04	240.00
90.	साकेत अस्पताल, पंचकूला	2004-05 2008-09	50.00 30.00
91.	निदेशक, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी	2004-05	40.00
92.	हरियाणा राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद्	2005-06	170.00
93.	हरियाणा रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद्, पंचकूला	2005-06	150.00
94.	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07 2008-09 2009-10	49.89 600.26 490.72
95.	निदेशक, इलैक्ट्रोनिक, हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07	378.00
96.	आर.आई.टी.ई.एस. इण्डिया लिमिटेड	2009-10	1,750.00
सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय			
97.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2010-11 2011-12	84.20 100.14

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
98.	एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)	2007-08	66.58
		2008-09	61.35
		2009-10	105.29
		2010-11	180.78
		2011-12	174.90
99.	आर्य कन्या महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2011-12	232.80
100.	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2009-10	338.50
		2010-11	344.58
		2011-12	469.00
101.	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10	535.53
		2010-11	531.96
		2011-12	834.00
102.	गुरू नानक कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10	455.80
		2010-11	508.83
		2011-12	620.12
103.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2003-04	49.13
		2004-05	41.68
		2005-06	44.55
		2006-07	53.10
		2007-08	52.89
		2008-09	59.70
		2009-10	70.24
		2010-11	93.58
		2011-12	142.50
104.	बी.एल.जे. सूईवाला महाविद्यालय, तोशाम (भिवानी)	2010-11	127.78
		2011-12	143.00
105.	डी.ए.वी. सैंटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11	307.72
		2011-12	277.32
106.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2010-11	188.38
		2011-12	193.20
107.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी (हिसार)	2010-11	142.33
		2011-12	156.75
108.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	2010-11	109.53
		2011-12	126.50
109.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुण्डरी (कैथल)	2010-11	158.44
		2011-12	151.75
110.	भगवान परशुराम महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र	2008-09	86.65
		2009-10	164.28
		2010-11	278.41
		2011-12	275.00
111.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10	85.75
		2010-11	132.93
		2011-12	112.04
112.	गुरू हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2010-11	142.60
		2011-12	159.00
113.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2007-08	67.35
		2008-09	77.67
		2009-10	156.34
		2010-11	172.90
		2011-12	184.30
114.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2007-08	34.41
		2008-09	41.45
		2009-10	60.13
		2010-11	98.71
		2011-12	104.44

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
115.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुण्डरी (कैथल)	2008-09 2009-10 2010-11 2011-12	89.80 154.41 181.52 241.65
116.	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2010-11 2011-12	87.72 75.37
117.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12	53.98 61.78
118.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12	28.45 38.32 39.60 67.61 81.16 38.30
119.	कन्या महाविद्यालय, खरखौदा (सोनीपत)	2009-10 2010-11 2011-12	68.80 112.62 141.60
120.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12	52.04 69.09 76.30
121.	सी.आर किसान महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11 2011-12	236.47 197.27 325.00
122.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11 2011-12	200.00 212.01 251.58
123.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2009-10 2010-11 2011-12	255.30 416.50 432.50
124.	डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र	2009-10 2010-11 2011-12	209.55 305.77 356.50
125.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद	2009-10 2010-11 2011-12	186.65 261.63 312.70
126.	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल	2011-12	485.50
127.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड डडवान	2009-10 2010-11 2011-12	139.69 195.64 282.55
128.	सी.एम.के. नैशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2010-11 2011-12	257.26 218.35
129.	एम.पी. कन्या महाविद्यालय, डबवाली	2011-12	178.35
130.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12	502.40 552.19 732.66
131.	एफ.सी. महिला महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12	281.53 322.53 336.50
132.	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10 2010-11 2011-12	227.94 237.59 386.31
133.	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12	617.23
134.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12	774.00

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
135.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखीदादरी	2009-10 2010-11 2011-12	90.75 144.63 138.25
136.	एम.एल.आर.एस. शिक्षा महाविद्यालय, चरखीदादरी	2009-10 2010-11 2011-12	76.08 97.86 103.41
137.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2009-10 2010-11 2011-12	78.83 117.67 129.00
138.	के.एल. मेहता डी.एन. महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद	2009-10 2011-12	232.16 394.00
139.	के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12	425.93 359.29 530.12
140	आर.डी.एस. पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12	131.90 229.20 209.70
141.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12	47.97 76.93 85.39
142.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12	26.99 35.06 41.30
143.	अखिल भारतीय जाट हीरोज ममौरियल महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12	581.55 672.91 798.94
144.	जी.बी. डिग्री महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12	83.09 104.20 134.20
145.	एल.एन. हिन्दू महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12	216.74 218.58 266.32
146.	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11 2011-12	373.44 449.00
147.	एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11 2011-12	541.52 691.07
148.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2010-11 2011-12	405.76 684.00
149.	एम.डी.एस.डी. कन्या महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2010-11 2011-12	202.69 234.60
150.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेन्योला	2010-11 2011-12	112.58 132.30
151.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12	210.39 228.10
152.	के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12	289.36 455.10
153.	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12	177.92 208.20
154.	एस.डी. महाविद्यालय, पानीपत	2011-12	455.50
155.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा	2010-11 2011-12	85.98 104.00
156.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना	2010-11 2011-12	112.28 120.44
157.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2011-12	720.44
158.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी	2010-11 2011-12	324.59 453.75
159.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, रादौर	2010-11 2011-12	138.21 200.37

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
160	आई.जी. नैशनल महाविद्यालय, लाडवा	2010-11 2011-12	275.16 390.85
161.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहोवा	2010-11 2011-12	252.96 299.75
162.	आई.जी. महाविद्यालय, कैथल	2010-11 2011-12	110.12 154.25
163.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल	2010-11 2011-12	178.64 222.29
164.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका	2010-11 2011-12	172.63 302.79
165.	एम.एम. महाविद्यालय, फतेहाबाद	2011-12	242.63
166.	बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली (सिरसा)	2010-11 2011-12	53.71 38.50
167.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2010-11 2011-12	510.71 674.50
168.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2010-11	138.94
169.	टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2010-11 2011-12	133.75 113.63
170.	गीता विद्या मन्दिर के.एम.वी., सोनीपत	2011-12	487.02
171.	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	2010-11 2011-12	428.85 495.90
172.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2010-11 2011-12	374.31 422.50
173.	के.एम. शिक्षा महाविद्यालय, भिवानी	2010-11 2011-12	88.25 89.50
174.	जे.वी.एम. जी.आर.आर. महाविद्यालय, चरखी दादरी	2010-11 2011-12	344.82 459.00
175.	महिला महाविद्यालय, झोझूकलां	2010-11 2011-12	30.45 50.55
176.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूंह	2010-11 2011-12	118.02 144.30
177.	एन.बी.जी.एस. मैमोरियल महाविद्यालय, सोहना	2010-11 2011-12	186.80 194.70
178.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिंधरावली	2011-12	110.50
179.	जी.जी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010-11 2011-12	387.34 428.50
180.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़	2010-11 2011-12	405.77 309.00
181.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली	2010-11 2011-12	35.04 34.00
182.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2010-11 2011-12	317.14 424.45
183.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2010-11 2011-12	334.40 391.50
184.	एस.जे.के. महाविद्यालय, कलानौर	2010-11 2011-12	219.11 294.69
185.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	2011-12	323.97
186.	अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2011-12	304.50
187.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2011-12	261.34

परिशिष्ट 3.3

स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण तथा सी.ए.जी. को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(संदर्भः अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 52)

क्र.सं.	निकाय का नाम	सी.ए.जी. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विद्यायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2007-08 से 2011-12	2009-10	2008-09	2004-05	2010-11 से 2011-12	14 माह
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2008-09 से 2012-13	2010-11	2010-11	2006-07	2011-12	दो माह
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2007-08 से 2011-12	2010-11	2009-10	2009-10	2011-12	दो माह
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकूला	2009-10 से 2013-14	2010-11	2010-11	2008-09	2011-12	दो माह
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला	2010-11 से 2014-15	2010-11	2010-11	2008-09	2011-12	दो माह
6.	हरियाणा उर्दू अकादमी, पंचकूला	1996-97 से 2005-06	1996-97 से 2005-06	-	प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित नहीं थे	-	
7.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2008-09 से 2012-13	2011-12	2010-11		-	
8.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा सीए.जी. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2010-11[1]	2007-08	2005-06	2011-12	दो माह
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2011-12	15 वर्ष
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2010-11[2]	-	-	2011-12	दो माह
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	-सम-	2010-11[3]	-	-	2011-12	दो माह
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुड़गांव	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2011-12	15 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2011-12	15 वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2006-07	2006-07	-	2007-08 से 2011-12	पांच वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2011-12	15 वर्ष

क्र.सं.	निकाय का नाम	सी.ए.जी. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विद्यायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	-	-	2011-12	दो माह
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2011-12	15 वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2011-12	15 वर्ष
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2011-12	15 वर्ष
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2011-12	15 वर्ष
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	-सम-	2006-07	2006-07	-	2007-08 से 2011-12	चार वर्ष
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2009-10	2009-10	-	2010-11 से 2011-12	14 माह
23.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2010-11	2006-07	-	2011-12	दो माह
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह- सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2011-12	तीन वर्ष
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह- सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2010-11	2007-08	-	2011-12	दो माह
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह- सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2011-12	दो वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह- सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2011-12	तीन वर्ष
28.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12	दो माह
29.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह- सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	-	-	-	2009-10 से 2011-12	दो वर्ष

1. 2008-09 से 2010-11 तक के वर्षों के लेखे पूर्ण नहीं थे इसलिए वापस भेजे गए।
2. 2000-01 से 2007-08 तक के वर्षों के लेखे पूर्ण नहीं थे इसलिए वापस भेजे गए।
3. 1996-97 से 2010-11 तक के वर्षों के लेखे पूर्ण नहीं थे इसलिए वापस भेजे गए।

परिशिष्ट

3.4

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध–वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(संदर्भः अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 54)

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	अन्तिमकृत गत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम[6]	1987-88	-	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
2.	कृषि	पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.82	विभाग द्वारा स्कीम के अन्तर्गत पीड़कनाशियों/विडीसाईडस की कोई खरीद नहीं की गई थी। इसलिए कोई प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए गए थे।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2006-07	25.20	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2010-11	3,721.20	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2007-08	522.74	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
	कुल			4,269.96	

6 ये स्कीमें 1986–87 (पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984–85 (बीज डीपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 3.5

दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2012 को लम्बित थी, के प्रकरणों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन

(संदर्भः अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्षों से अधिक	कुल
1	पशुपालन	-	1 (6.5)	-	2 (3.02)	1 (0.20)	-	4 (9.72)
2	शिक्षा	2 (0.60)	10 (7.82)	5 (4.35)	4 (2.47)	3 (1.40)	4 (1.23)	28 (17.87)
3	लोक सम्पर्क	1 (0.39)	2 (4.29)	1 (0.08)	-	-	-	4 (4.76)
4	वन विभाग	-	-	7 (11.40)	1 (0.55)	6 (1.12)	1 (0.15)	15 (13.22)
5	चिकित्सा	-	4 (2.04)	-	1 (1.50)	2 (11.92)	-	7 (15.46)
6	तकनीकी शिक्षा	-	11 (23.89)	3 (12.88)	-	-	1 (0.03)	15 (36.80)
7	राजस्व विभाग	-	-	1 (9.28)	-	-	-	1 (9.28)
8	पुलिस	-	1 (3.79)	-	-	-	-	1 (3.79)
9	खेल एवं युवा कल्याण	1 (0.00)	1 (0.87)	-	-	-	-	2 (0.87)
10	महिला एवं बाल विकास	-	-	-	1 (0.12)	-	-	1 (0.12)
11	परिवहन	-	1 (0.36)	1 (3.17)	-	1 (0.60)	-	3 (4.13)
12	सिंचाई	9 (4.73)	13 (3.53)	4 (0.47)	6 (0.25)	8 (0.99)	9 (1.08)	49 (11.05)
13	लोक निर्माण (बी. एण्ड आर.)[7]	1 (0.00)	1 (0.00)	-	-	-	-	2 (0.00)
14	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	9 (19.39)		-	-	1 (0.00)	-	10 (19.39)
कुल		**23 (25.11)**	**45 (53.09)**	**22 (41.63)**	**15 (7.91)**	**22 (16.23)**	**15 (2.49)**	**142 (146.46)**

अर्थात् ₹ 1.46 करोड़

7 हानि की राशि का निर्धारण नहीं किया गया था (अगस्त 2012)।

परिशिष्ट 3.6

चोरी, दुर्विनियोजन/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हानियों के प्रकरणों के संबंध में विभाग/श्रेणीवार विवरण

(संदर्भः अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी प्रकरण		दुर्विनियोजन/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
पशुपालन	2	9.41	2	0.31	4	9.72
शिक्षा	21	14.74	7	3.13	28	17.87
लोक सम्पर्क	3	4.69	1	0.08	4	4.77
वन विभाग	3	4.70	12	8.51	15	13.21
चिकित्सा	2	0.01	5	15.45	7	15.46
तकनीकी शिक्षा	13	25.18	2	11.62	15	36.80
राजस्व विभाग	-	-	1	9.28	1	9.28
परिवहन विभाग	1	0.36	2	3.77	3	4.13
खेल एवं युवा कल्याण	2	0.87	-	-	2	0.87
पुलिस	-	-	1	3.79	1	3.79
महिला एवं बाल विकास	1	0.12	-	-	1	0.12
सिंचाई	37	10.50	12	0.55	49	11.05
लोक निर्माण (बी. एण्ड आर.)	2	-	-	-	2	0.00
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	8	10.36	2	9.03	10	19.39
कुल	**95**	**80.94**	**47**	**65.52**	**142**	**146.46**

अर्थात् ₹ **1.46** करोड़

शब्दावली

भाषा शब्दावली

राजस्व प्राप्तियां	राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा जी.ओ.आई. से सहायतानुदान सम्मिलित हैं।
पूंजीगत प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा जी.ओ.आई. से ऋणों एवं अग्रिमों के अतिरिक्त लोक लेखा से संभूतियां शामिल हैं।
राज्य कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित ऐसे संगठन/संस्था शामिल होते हैं जो राज्य में किन्हीं विशेष कार्यक्रमों, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के लिये राज्य कार्यान्वयन अभिकरण, एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं।
उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात, मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में वित्तीय परिवर्ती की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.5 पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत तक बढ़ती है तो राजस्व प्राप्तियां 0.5 प्रतिशतता प्वाइंट्स तक बढ़ जायेगी।
कोर पब्लिक गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव; प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुयें एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि।
मैरिट गुड्स	मैरिट गुड्स वे आवश्यक वस्तुयें हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिये तथा इसलिये उनकी खपत को प्रोत्साहित करना चाहता है। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्त अथवा सब्सिडाइजड आहार का प्रबन्ध और रूग्णता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है।

विकास व्यय	व्यय आंकड़े का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत लागत और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय समझा जाता है।
ऋण पोषण	ऋण पोषण, काफी समय तक लगातार ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात कायम करने के लिये राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषणता वर्तमान या सौंपे गये दायित्व की पूर्ति के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता को बढ़ाने से मेल खानी चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर ब्याज दर या सार्वजनिक उधारों की लागत से बढ़ जाती है, ऋण-जी.डी.पी. अनुपात स्थिर रहता है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक है या संयमित ऋणात्मक है। दिये गये दर प्रसार (जी.एस.डी.पी. बढ़ोतरी दर-ब्याज दर) और प्रमात्रा प्रसार (ऋण दर प्रसार), ऋण पोषण शर्तें बताती हैं कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार शून्य हो तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततोगत्वा स्थिर हो जायेंगे। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा, ऋणात्मक में बदल जाता है तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात वृद्धि पर होगा। इसके धनात्मक होने के मामले में, ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात अन्ततोगत्वा गिरेगा।
गैर – ऋण प्राप्तियों की	राज्य की वर्धित गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत करने से है। ऋण पोषण को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर-ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें।
उधार ली गई निधियों की	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुये उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।

संकेताक्षरों की शब्दावली

ए. एण्ड ई.	लेखा एवं हकदारी
ए.सी.	आकस्मिक सार
ए.ई.	कुल व्यय
ए.आई.ए.	अखिल भारतीय औसत
ए.पी.	अनुमोदित योजना
ए.पी.डी.आर.पी.	त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
ए.आर.बी.पी.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आर.जी.एफ.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूंजीगत परिव्यय
सी.ओ.	पूंजीगत परिव्यय
डी.सी.सी.	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक
डी.सी.आर.एफ.	ऋण समेकन एवं राहत सुविधा
डी.डी.पी.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
डी.ई.	विकास व्यय
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड़
डी.आर.डी.ए.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
एफ.आर.बी.एम.	राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एच.पी.जी.एल.	हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड
एच.वी.पी.एन.एल.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
आई.ए.वाई.	इन्दिरा आवास योजना
आई.पी.	ब्याज भुगतान
आई.डब्ल्यू.डी.पी.	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
जे.एन.एन.यू.आर.एम.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
के.जी.बी.वी.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय
एम.आई.एस.	सूक्ष्म सिंचाई स्कीम
एम.पी.एल.ए.डी.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमें
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी

एन.एफ.एस.एम.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एन.जी.ओ.	गैर-सरकारी संस्था
एन.एच.एम.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन
एन.पी.ई.जी.ई.एल.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
एन.पी.आर.ई.	योजनेतर राजस्व व्यय
एन.पी.आर.आर.	योजनेतर राजस्व प्राप्तियां
एन.आर.ई.जी.ए.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एन.आर.एच.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
ओ. एण्ड एम.	परिचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
पी.ए.जी.	प्रधान महालेखाकार
पी.सी.सी.ई.	प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय
पी.सी.डी.ई.	प्रति व्यक्ति विकास व्यय
पी.सी.एस.एस.ई.	प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय
पी.एम.जी.एस.वाई.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी.आर.ई.	योजनागत राजस्व व्यय
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.ई.	संशोधित अनुमान
आर.जी.जी.वी.वाई.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना
आर.आर.	राजस्व व्यय
एस. एण्ड डब्ल्यू.	वेतन एवं मजदूरी
एस.ए.आर.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस.जी.आर.वाई.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एस.जी.एस.वाई.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एस.एस.ए.	सर्व शिक्षा अभियान
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्र व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टीएच.एफ.सी. (ते.वि.आ.)	तेरहवां वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर